CONFIDENTIAL

**Memorandum**

Minister-in-Charge — Chief Minister, Haryana.

Administrative Secretary — Addl. Chief Secretary to Government, Haryana, Home Department.

Subject:- The Annual Administrative Report of the Home Department (Police), Haryana for the year 2022.

The Annual Administrative Report (in Hindi) of the Home Department (Police), Haryana for the year 2022 alongwith review and critique (in Hindi & English) is submitted for approval of Council of Ministers in accordance with the instructions issued by Chief Secretary, Haryana contained in his U.O. No. 7/13/88-6PP, dated 08.04.1991.

2. Prior approval of the Chief Minister has been obtained for placing the matter before the Council of Ministers.

Dated, Chandigarh the 25/7/24

( Anurag Rastogi )
Addl. Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

# REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF HOME DEPARTMENT (POLICE) FOR THE YEAR -2022

## CRIME AND LAW AND ORDER SITUATION

There is an atmosphere of all-round peace in the State. The crime situation remained well under control during the year 2022. There has been no terrorist incident in the State during the year. All communities in the State are living peacefully. There has been no major strike in any industrial unit. Students have concentrated on their studies and have not indulged in strike, violence, etc. The minorities, women and the weaker sections of the society have been given full protection by the State Police.

During the year 2022, a total number of 123962 cases have been registered under Indian Penal Code as against 112495 cases registered during the year 2021. There was an increase of 11467 cases.

In comparison to the last year, in the year 2022, there was a decrease of 68 cases of murder. It is also mentioned here that the over-all percentage of worked out cases was 94.74%. The percentage of worked out cases of dacoity and robbery were 86% and 80% respectively. The percentage of recovery in total property offences was 25.62%. The State Police recovered stolen property worth Rs. 65 crore during the year 2022. Thus the police has done commendable work during this period.

## ANALYSIS OF CRIMES OF THE YEAR 2022 AS COMPARED TO THE YEAR 2021

1. Murder cases decreased by 68.
2. Assault on Govt. servant cases increased by 26.
3. Attempt to murder cases increased by 26.
4. Dacoity cases decreased by 47.
5. Robbery cases decreased by 59.
6. Rioting cases increased by 88.
7. Hurt cases increased by 396.
8. Crime against women cases increased by 731.
9. The success rate in solving the murder cases was approximately 89.03%.
10. The success rate in solving culpable homicide cases was 95.13%.
11. The success rate in solving hurt cases was 96.07%.
12. Percentage of cases of kidnapping/abduction solved was 91.79%.
13. After solving 86% cases of dacoity, amount of stolen property recovered was 48.16%.
14. After solving 67% cases of robbery, amount of stolen property recovered was 50.78%.

**CRIME AGAINST WOMEN**

During the year 2022, under the head "Crime Against Women", 225 cases of dowry death, 1943 cases of rape, 2403 cases of molestation, 1942 cases of kidnapping/abduction and 4771 cases of dowry harassment were registered.

**LOCAL AND SPECIAL LAW**

During the year 2022, 13405 cases under the Excise Act, 3802 cases under NDPS Act, 3570 cases under the Arms Act, 5935 cases under the Gambling Act, 378 cases under Prevention of Corruption Act and 8404 cases under Other Local & Special Laws were registered. Recovery of Rs. 457.53 lacs was made under the Gambling Act.

**MODERNISATION:-**

The performance of Haryana Police under modernization during last 4 years is 100%. In the year 2022, Rs. 191,73,72,630/- were utilized for residential and non residential buildings for Haryana Police employees and on other ongoing projects.

**HARYANA HIGHWAY PATROLLING, AN IDEAL INSTITUTION**

Haryana Government has given special attention to Traffic Management on National Highways in the State. A National Highway Safety and Patrol unit has been established which is supervised by a Superintendent of Police rank officer. After its establishment on the National Highway, there is a lot of improvement in Traffic Management and other States are also following Haryana model.

**HARYANA POLICE WELFARE ACTIVITIES**

In the year 2022, the office of DGP, Haryana has done the following welfare activities in favour of families of officers/officials of Haryana Police:-

1. **Special Ex-gratia Grant:-** During the year 2022, as per State Govt. memo No. 35/41/2016-1HG-III dated 10.07.2018, Rs 30,00,000/- has been sanctioned as Special Ex-gratia grant and provided to the dependents of martyr Shri Surender Singh, HPS, DSP who died while fighting with anti-social elements on 19.07.2022.
2. **Ex-Gratia grant:-** During the year 2022, Ex-gratia grant has been sanctioned in 249 cases and amounting to Rs. 2,48,25,000/- have been provided to the families of the deceased police employees.
3. **Monthly Financial Assistance:-** During the year Monthly Financial Assistance (MFA) have been provided to the dependents of 148 deceased police personeel.
4. **Ex-gratia Appointment:-** According to Ex-gratia Appointment Rules 2019, during the year Ex-gratia appointment have been provided in following cases:-

| | |
|---|---|
| PSI | - 02 |
| Constable | - 59 |
| Clerk | - 47 |
| Class 4th | - 19 |

5. **Special Financial Assistant to the Police Personnel who died due to Covid-19:-** Total 41 police personnel are died due to Covid-19 pandemic. During the year 37 cases sent to State Govt. for sanction the Special Financial Assistance, out of which 24 cases have been sanctioned by the State Govt. and 16 cases are still pending with State Govt. 01 case is under consideration to this office.
6. **Funds given from HPWF:-** During the year Rs. 4,19,38,262/- have been sanctioned from HPWF and disbursed to the concerned police units for clear the pendency of pending dues i.e. retirement benefits, farewell parties, death relief money, scholarship and loan from PWF.
7. **Funds given to Police Public Schools:-** During the year Rs. 1,46,88,971/- have been sanctioned from Haryana Police Education Funds and provided to the concerned Police Public Schools as per their requirement.
8. **Insurance Claim from HDFC Bank:-** During the year following cases have been settled by the HDFC bank and amount provided to the dependents of deceased police personnel under "**Police Salary Package**":-

| S/No. | Nature of Cases | No. of cases settled by the bank | Amount provided by the HDFC bank |
|---|---|---|---|
| 1. | Accidental death | 16 | Rs. 7,35,00,000/- |
| 2. | Natural death | 109 | Rs. 4,18,00,000/- |
| Total cases | | 125 | **Rs. 11,53,00,000/-** |

9. **Medical Examination:-** During the year Medical Examination of 18974 police personnel above the age of 35 years have been carried-out by the Govt. Hospitals and Training colleges through the concerned units.
10. During the year all charges of children of deceased police personnel who studying in Police Public Schools have been waived-off.

## HUMAN RIGHTS

Human Rights Cell is working at the Police Headquarters under the supervision of Addl. Director General of Police, Law & Order. Addl. Director General of Police, Law & Order has also been appointed the Head of the Protection of Civil Rights Cell, whereas Crime against Women Cell is being supervised by another officer in the rank of Addl. Director General of Police.

Sd/-
( Anurag Rastogi )
Addl. Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

Dated, Chandigarh the 25.07.2024

CRITIQUE ON THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE HOME DEPARTMENT (POLICE) FOR THE YEAR 2022.

1. During the year 2022, there was nominal increase of 11467 cases registered under the Indian Penal Code compared to the year 2021.

2. There has been decrease in crime in the year 2022 under the heads murder, assault on Govt. Servant, decoity and robbery.

3. Constant efforts are being made to ensure that attitude of the police towards public is responsive and sympathetic. Training is being imparted to the police personnel to this effect.

4. In order to increase efficiency of the police department, the State Government has provided many facilities to the State Police Force under the Modernization Scheme. Besides FSL at Madhuban (Karnal), four Regional FSLs have also been set up at Bhondsi (Gurugram), Sunaria (Rohtak), Hisar & Panchkula. The State Police Force is being equipped with various security equipments, computers, vehicles, wireless sets etc. New offices have been established and steps have been taken to create congenial atmosphere to improve working conditions of the police.

5. The Government has also increased the strength of the police force from time to time with a view to cope up with the shortage of manpower.

6. Various steps have been taken by the State Govt. for the job satisfaction/contentment of Police personnel. Good residential and administrative buildings, medical and educational facilities, ladies welfare centres, canteens, sports, entertainment facilities and Child care facilities (crèche) etc. have been provided to Police personnel for boosting their morale and improving their living standards so that they can perform their duties properly.

( Anurag Rastogi )
Addl. Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

Dated, Chandigarh the 25.07.2024

गोपनीय

ज्ञापन

प्रभारी मंत्री — मुख्यमंत्री, हरियाणा।

प्रशासकीय सचिव — अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।

विषयः— गृह विभाग (पुलिस), हरियाणा की वर्ष 2022 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट।

गृह विभाग (पुलिस), हरियाणा की वर्ष 2022 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट हिन्दी में समीक्षा और विवेचना (हिन्दी तथा अंग्रेजी) के साथ मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की हिदायतें अंशा0 क्रमांक 7/13/88—6 पी0पी0, दिनांक 08.04.1991 के अनुसार मंत्रीपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

2. इस मामले को मंत्रीपरिषद् के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु मुख्यमंत्री महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई है।

Rastogi

( अनुराग रस्तोगी )
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

दिनांक 25.07.2024
स्थान चण्डीगढ़।

## राज्य में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति

## गृह विभाग (पुलिस), की वर्ष 2022 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

राज्य में चारों ओर शांति का वातावरण है। वर्ष 2022 में अपराध की स्थिति पूर्णतः नियन्त्रण में रही। राज्य में इस वर्ष के दौरान कोई भी उग्रवाद की घटना नहीं हुई। राज्य में समस्त जातियां शांति पूर्वक रह रही हैं। राज्य की औद्योगिक ईकाइयों में कोई बडी हड़ताल नहीं हुई और न ही विद्यार्थियों ने किसी हड़ताल में भाग नहीं लिया। राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों, महिलाओं तथा कमजोर एवं निम्न वर्गो को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की गई।

### अपराध स्थिति :–

वर्ष 2022 में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल 123962 अभियोग अंकित हुए जबकि गत वर्ष इसी अवधि के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल 112495 अभियोग अंकित हुए थे। 11467 अभियोगों की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में हत्या के 68 मुकदमों में कमी आई है। सभी मुकदमों में सफलता की दर 94.74 प्रतिशत रही है। डकैती के 86 प्रतिशत, लूट के 80 प्रतिशत मुकदमें हल किए गए। सम्पति विरुद्ध अपराध में 25.62 प्रतिशत सम्पति बरामद की गई। वर्ष 2022 के दौरान राज्य पुलिस ने लगभग 65 करोड़ रुपये की चोरी शुदा सम्पति बरामद की। इस वर्ष पुलिस ने सराहनीय कार्य किया।

### वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में अपराध की तुलनात्मक स्थिति

1. हत्या के 68 मुकदमों की कमी आई है।
2. सरकारी कर्मचारियों पर हमले के 28 मुकदमों की कमी आई है।
3. हत्या के प्रयत्न के 26 मुकदमों की बढ़ोतरी हुई है।
4. डकैती के 47 मुकदमों की कमी आई है।
5. लूट में 59 मुकदमों की कमी आई है।
6. दंगे के 88 मुकदमों की बढ़ोतरी हुई है।
7. चोट के 396 मुकदमों की बढ़ोतरी हुई है।
8. महिला विरुद्व अपराध के मुकदमों में 731 की बढ़ोतरी हुई है।
9. हत्या के मुकदमों में सफलता की दर 89.03 प्रतिशत रही।
10. गैर इरादतन हत्या के मुकदमों में सफलता की दर 95.13 प्रतिशत रही।
11. चोट के मुकदमों में सफलता की दर 96.07 प्रतिशत रही।
12. अपहरण/अपनयन के मुकदमों में सफलता की दर 91.79 प्रतिशत रही।
13. डकैती के 86 प्रतिशत मुकदमों को हल करके 48.16 प्रतिशत चोरी शुदा सम्पति बरामद की।
14. लूट के 80.08 प्रतिशत मुकदमों को हल करके 50.78 प्रतिशत चोरी शुदा सम्पति बरामद की।

### महिला विरुद्व अपराध

वर्ष 2022 के दौरान महिला विरुद्व अपराध के अन्तर्गत 225 दहेज हत्या के मुकदमें, 1943 बलात्कार, 2403 छेड़छाड़ के, 1942 अपहरण/अपनयन तथा 4771 दहेज प्रताड़ना के मुकदमें धारा 498–ए के अन्तर्गत दर्ज किए गए।

### स्थानीय एवं विशेष अधिनियम

वर्ष 2022 के दौरान 13405 मुकदमें आबकारी अधिनियम, 3802 मादक द्रव्य अधिनियम, 3570 शस्त्र अधिनियम, 5935 मुकदमें जुआ अधिनियम, 378 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा 8404 अन्य स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुए। जुआ अधिनियम के अन्तर्गत सट्टे जुआ से 457.53 लाख रुपये बरामद किये गए।

आधुनिकीकरण :–

पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत गत चार वर्ष में हरियाणा पुलिस की उपलब्धि 100 प्रतिशत रही। वर्ष 2022 में 191,73,72,630/– रुपये हरियाणा पुलिस कर्मचारियों के लिए रिहायशी व गैर–रिहायशी भवनों व चल रहे कार्यों के लिए खर्च किए गए हैं।

हरियाणा हाईवे पैट्रोल एक आदर्श संस्था :–

हरियाणा सरकार ने राज्य में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राज मार्गों पर 'उत्तम यातायात प्रबन्धन' की ओर विशेष ध्यान दिया है। नैशनल हाई–वेज सेफटी और पैट्रोल इकाई की स्थापना की गई है जो कि पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन कार्य कर रही है। इसके गठन के बाद राज्य में राष्ट्रीय राज मार्गों पर यातायात के प्रबन्धों में काफी सुधार आया है तथा देश के कुछ अन्य राज्य भी हरियाणा का अनुसरण कर रहे हैं।

हरियाणा पुलिस की कल्याणकारी गतिविधियां :–

पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के कार्यालय द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवारों के लिए वर्ष 2022 में निम्नलिखित कार्य किये गये हैं :–

1. विशेष अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशिः– वर्ष 2022 के दौरान शहीद सुरेन्द्र सिहं, उप पुलिस अधीक्षक के परिवार को 30 लाख रुपये विशेष अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि प्रदान की गई जो दिनांक 19.07.2022 को असामाजिक तत्वों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुऐ थे।
2. अनुग्रहपुर्वक अनुदान राशिः– वर्ष 2022 के दौरान 249 मृत्क पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को कुल राशि 2,48,25,000/– रुपये अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि प्रदान की गई है।
3. मासिक वित्तिय सहायताः– वर्ष 2022 के दौरान 148 मृत्क पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को मासिक वित्तिय सहायता (MFA) प्रदान की गई है।
4. अनुग्रहपूर्वक नीति के तहत नौकरीः– वर्ष 2022 के दौरान वर्ष 2019 के नियमों अनुसार निम्नलिखित पदों पर मृत्क पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के एक आश्रित को नौकरी प्रदान की गई हैः–

    पी.एस.आई. –02
    सिपाही –59
    क्लर्क –47
    चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी –19

5. कोरोना के कारण मरने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता राशिः– वर्ष 2022 के दौरान कुल 37 केस सरकार को भेजे गये थे जिसमें 24 केसों में सरकार द्वारा 20 लाख/5 लाख रुपये प्रदान किये गये है। 13 केस सरकार के पास लम्बित चल रहे हैं।
6. पुलिस इकाईयों को पैसा प्रदान करने बारेः– वर्ष 2022 के दौरान हरियाणा पुलिस कल्याण कोष से 4,19,38,262/– रुपये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की बकाया रिटायरमेंट बैनिफिट, मृत्यु सहायता राशि, विदाई पार्टी, स्कॉलरशीप व लोन का भुगतान किया जा सके।
7. पुलिस पब्लिक स्कूलों को पैसा प्रदान करने बारेः– वर्ष 2022 के दौरान पुलिस पब्लिक स्कूलों को 1,46,88,971/– रुपये प्रदान किये गये है ताकि पुलिस पब्लिक स्कूल सुचारु रुप से चलते रहें।
8. HDFC बैंक द्वारा बीमा क्लेमः– पुलिस सैलरी पैकेज स्कीम के तहत वर्ष 2022 के दौरान निम्नलिखित केसों में पैसा प्रदान किया गया हैः–

| क्र.सं. | केस के प्रकार | केसों की संख्या | प्रदान की गई राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | दुर्घटना बीमा | 16 | 7,35,00,000/– |
| 2 | सामान्य बीमा | 109 | 4,18,00,000/– |
| | कुल बीमा | 125 | 11,53,00,000/– |

9. पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक शारीरिक जांचः– वर्ष 2022 के दौरान 18971 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की निशुल्क शारीरिक जांच करवाई गई है।

10. वर्ष 2022 के दौरान पुलिस पब्लिक स्कूलों में पढने वाले सभी मृत्क पुलिस कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा निशुल्क कर दी गई है।

मानवाधिकार :–

हरियाणा पुलिस द्वारा राज्य में मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के पर्यवेक्षण में पुलिस मुख्यालय पर एक मानवाधिकार सैल की स्थापना की गई है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था को नागरिक अधिकार सुरक्षा सैल का मुखिया बनाया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कार्य की देख–रेख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद के अधिकारी द्वारा की जा रही है।

(अनुराग रस्तोगी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

दिनांक 25.07.2024
स्थान चण्डीगढ़।

<u>गृह विभाग (पुलिस) की वर्ष 2022 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की विवेचना</u>

1. वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल 11467 मुकदमें अधिक दर्ज हुए।
2. वर्ष 2022 में जघन्य अपराधों जैसे हत्या, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, डकैती व लूट आदि के मुकदमों में कमी आई है।
3. पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण रहे यह सुनिश्चित करने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
4. पुलिस विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने राज्य पुलिस बल को काफी सुविधाएं प्रदान की हैं। मुख्य एफ.एस.एल. मधुबन (करनाल) के अलावा, भौंडसी (गुरुग्राम), सुनारियां (रोहतक), हिसार और पंचकूला में चार क्षैत्रीय एफ.एस.एल. स्थापित किए जा चुके है। राज्य पुलिस बल को विभिन्न उन्नत उपकरणों कम्पयूटर, गाडियाँ एवं बेतार यन्त्र से लैस किया जा रहा है। नए कार्यालय के अतिरिक्त पुलिस की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार हेतू अनुकूल माहौल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।
5. पुलिस बल की कमी को मध्यनजर रखते हुये सरकार ने समय–समय पर पुलिस बल की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की है।
6. पुलिस कर्मचारियों के कल्याण व मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न कदम उठाए है। जिनमें उतम रिहायशी मकान, प्रशासकीय भवन, मंनोरंजन, चिकित्सा, महिला कल्याण केन्द्र, कैंन्टीन प्रोविजन स्पोंटस, खेलकूद व अन्य कल्याणकारी सुविधाएं निरन्तर प्रदान करना आदि शामिल है, जिससे उनकी नैतिकता व जीवन स्तर में सुधार हो और वे अपने कर्तव्य का बेहतर ढंग से निर्वाहन कर सकें।

(अनुराग रस्तोगी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

दिनांक 25.07.2024
स्थान चण्डीगढ़।

# पुलिस विभाग की वर्ष 2022 की प्रशासनिक रिपोर्ट

## अध्याय–1

**संगठन / गठन**

पुलिस विभाग हरियाणा राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। प्रशासनिक तौर पर राज्य 5 मण्डलों, 23 जिलों व 4 कमीशनरेट में बांटा गया है। हरियाणा राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा 402 पुलिस थाने तथा 150 स्वीकृत पुलिस चौकियां स्थापित की गई।

वर्ष 2022 में पुलिस विभाग की स्वीकृत संख्या निम्नलिखित है :–

| क्र0 सं0 | पद का नाम | स्वीकृत संख्या |
|---|---|---|
| 1. | पुलिस महानिदेशक | 7 |
| 2. | अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक | 8 |
| 3. | पुलिस महानिरीक्षक | 26 |
| 4. | उप पुलिस महानिरीक्षक | 15 |
| 5. | सहायक पुलिस महानिरीक्षक | 3 |
| 6. | पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक | 88 |
| 7. | उप पुलिस अधीक्षक | 330 |
| 8 | निरीक्षक | 1174 |
| 9. | उप निरीक्षक | 3807 |
| 10. | सहायक उप निरीक्षक | 6435 |
| 11. | मुख्य सिपाही | 13067 |
| 12. | सिपाही | 49731 |
| | कुल जोड़ | **74691** |

**पुलिस विभाग की क्लैरिकल स्टाफ की स्वीकृत संख्या निम्नलिखित है :–**

| क्र0 सं0 | पद का नाम | स्वीकृत संख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रशासकीय अधिकारी | 1 |
| 2 | अधीक्षक | 26 |
| 3 | निजी सचिव | 2 |
| 4 | उप अधीक्षक | 32 |
| 5 | निजी सहायक | 14 |
| 6 | सहायक | 164 |
| 7 | वरिष्ट आशुलिपिक | 67 |
| 8 | कनिष्ट आशुलिपिक | 22 |
| 9 | आशुलिपिक | 26 |
| 10 | लिपिक | 300 |
| | कुल जोड़ | **654** |

आन्तरिक संगठन :–

महिला पुलिस पदानुसार स्वीकृत संख्या :–

| नि0 | उप नि0 | स0 उप नि0 | मु0सि0 | सिपाही | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 337 | 641 | 1066 | 5120 | 7270 |

वर्ष 2022 में गुप्तचर विभाग की स्वीकृत संख्या निम्नलिखित है :–

| क्र0 सं0 | पद का नाम | स्वीकृत संख्या 2021 | स्वीकृत संख्या 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | पुलिस महानिदेशक | 1 | 1 |
| 2 | अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक | 1 | 1 |
| 3 | पुलिस महानिरीक्षक | 2 | 2 |
| 4 | उप पुलिस महानिरीक्षक | 3 | 3 |
| 5 | पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक | 9 | 9 |
| 6 | उप पुलिस अधीक्षक | 24 | 24 |
| 7 | निरीक्षक | 77 | 77 |
| 8 | उप निरीक्षक | 130 | 130 |
| 9 | सहायक उप निरीक्षक | 310 | 310 |
| 10 | मुख्य सिपाही | 809 | 809 |
| 11 | सिपाही | 804 | 804 |
| | **कुल जोड़** | **2170** | **2170** |

हरियाणा राजकीय रेलवे पुलिस की स्वीकृत संख्या :–

| क्र0 सं0 | पद का नाम | |
|---|---|---|
| 1 | पुलिस महानिरीक्षक | 1 |
| 2 | पुलिस अधीक्षक | 2 |
| 3 | उप पुलिस अधीक्षक | 5 |
| 4 | निरीक्षक | 42 |
| 5 | उप निरीक्षक | 110 |
| 6 | सहायक उप निरीक्षक | 209 |
| 7 | मुख्य सिपाही | 406 |
| 8 | सिपाही | 1747 |
| | **कुल जोड़** | 2522 |

हरियाणा सशस्त्र पुलिस एवं आई0आर0बी0 की स्वीकृत संख्या :–

| क्र0 सं0 | पद का नाम | सशस्त्र पुलिस | आई0आर0बी0 |
|---|---|---|---|
| 1 | अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक | 1 | – |
| 2 | पुलिस महानिरीक्षक | 1 | – |
| 3 | उप पुलिस महानिरीक्षक | 1 | – |
| 4 | पुलिस अधीक्षक | 3 | 3 |
| 5 | उप पुलिस अधीक्षक | 22 | 28 |
| 6 | निरीक्षक | 45 | 56 |
| 7 | उप निरीक्षक | 134 | 120 |
| 8 | सहायक उप निरीक्षक | 213 | 224 |
| 9 | मुख्य सिपाही | 682 | 684 |
| 10 | सिपाही | 3565 | 2804 |
| | **कुल जोड़** | **4667** | 3919 |

हरियाणा पुलिस की पुलिस महानिदेशक से लेकर सिपाही तक की कुल स्वीकृत संख्या।

| वर्ष | कुल पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी |
|---|---|
| 1993 | 30431 |
| 1994 | 30437 |
| 1995 | 30519 |
| 1996 | 31965 |
| 1997 | 31892 |
| 1998 | 32327 |
| 1999 | 35319 |
| 2000 | 37949 |
| 2001 | 39547 |
| 2002 | 39410 |
| 2003 | 44431 |
| 2004 | 47312 |
| 2005 | 42937 |
| 2006 | 54779 |
| 2007 | 45642 |
| 2008 | 47197 |
| 2009 | 54778 |
| 2010 | 56747 |
| 2011 | 56607 |
| 2012 | 56949 |
| 2013 | 56979 |
| 2014 | 56979 |
| 2015 | 56989 |
| 2016 | 59044 |
| 2017 | 62229 |
| 2018 | 69090 |
| 2019 | 71707 |
| 2020 | 72370 |
| 2021 | 73391 |
| 2022 | 74691 |

**Sanctioned Strength of Police Department in 2022**

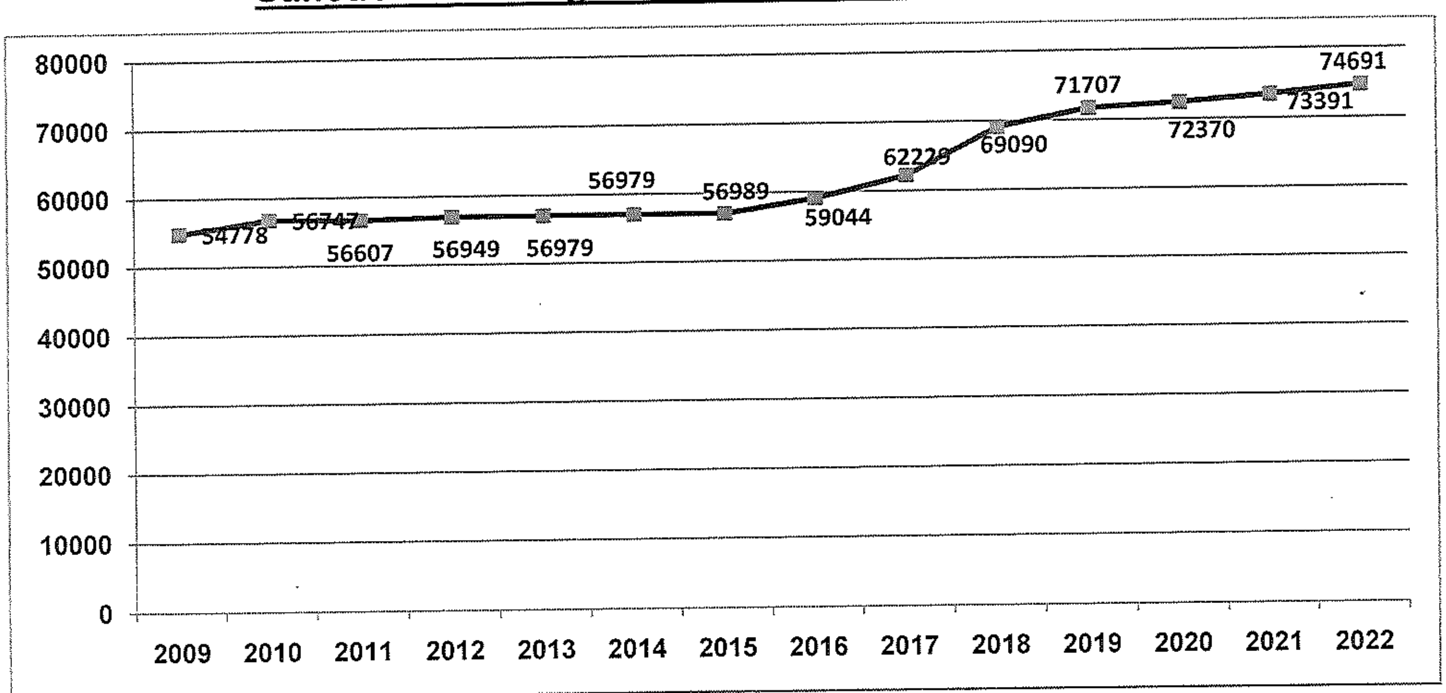

## अध्याय–2

## अपराध की खोज व रोकथाम

### हरियाणा में अपराध की स्थिति

इस वर्ष के दौरान कोई भी आतंकवादी अथवा विध्वन्सकारी घटना राज्य में नहीं घटी तथा अपराधों पर नियन्त्रण रहा।

वर्ष 2022 में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल 123962 मुकदमें अंकित हुए जबकि गत वर्ष 2021 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल 112495 मुकदमें दर्ज हुए थे। इस प्रकार वर्ष 2022 में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 11467 मुकदमें अधिक दर्ज हुए। इसके विपरीत स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत वर्ष 2022 में 35494 अभियोग दर्ज हुए जबकि वर्ष 2021 में 28033 अभियोग दर्ज हुए। इस प्रकार वर्ष 2022 में 7461 मुकदमें अधिक दर्ज हुए हैं।

कुल अपराध– (तुलनात्मक)

| श्रेणी | वर्ष 2021 | वर्ष 2022 | अन्तर | प्रतिशत बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| भारतीय दण्ड संहिता | 112495 | 123962 | 11467 | 10.18 |
| स्थानीय एवं विशेष अधिनियम | 28033 | 35494 | 7461 | 26.61 |
| योग | **140528** | **159456** | **18928** | **13.46** |

### INCIDENCE OF IPC AND LOCAL & SPECIAL LAW ACT DURING 2021 & 2022

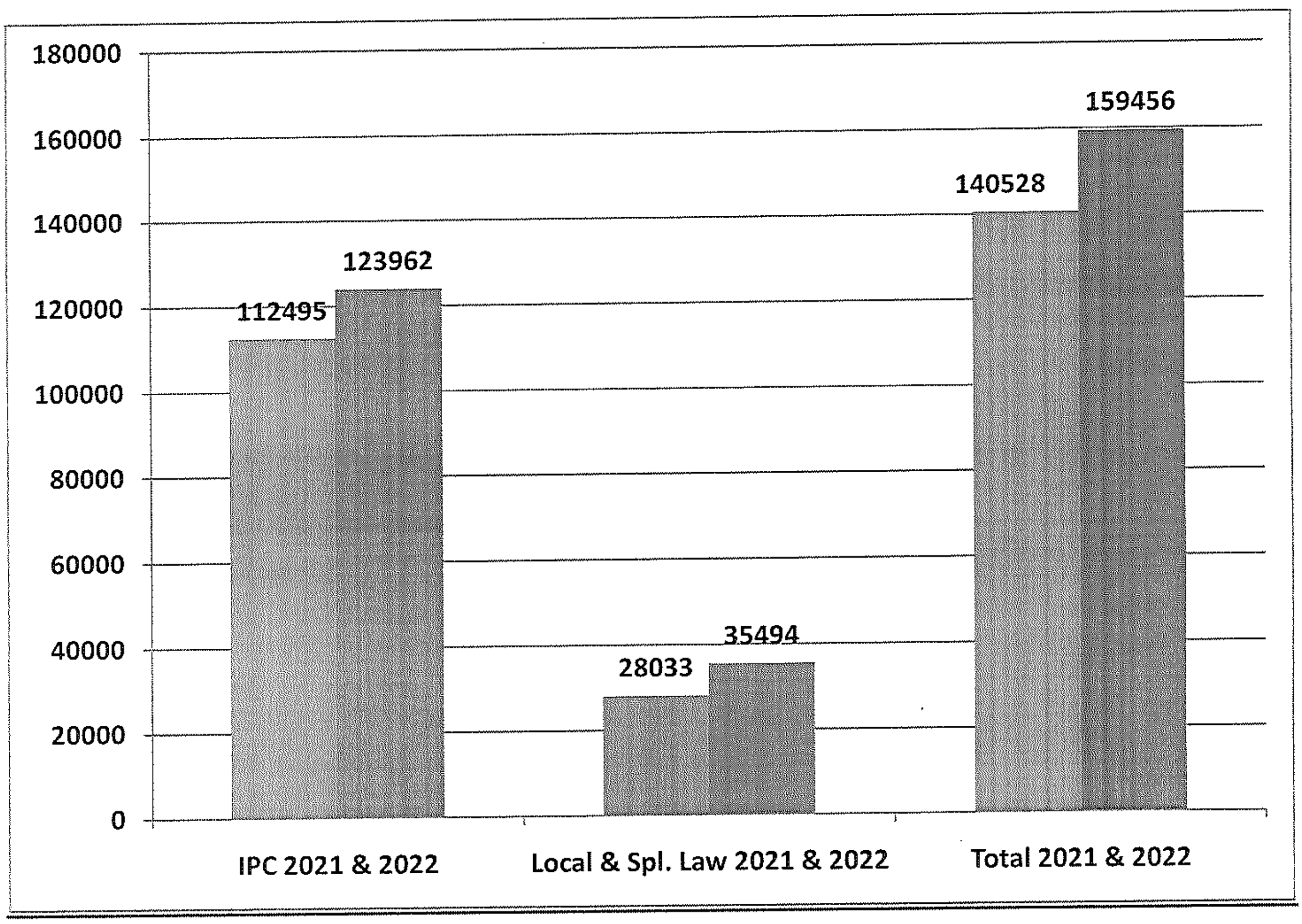

CASES REGISTERED UNDER IPC ACT DURING 2013 TO 2022

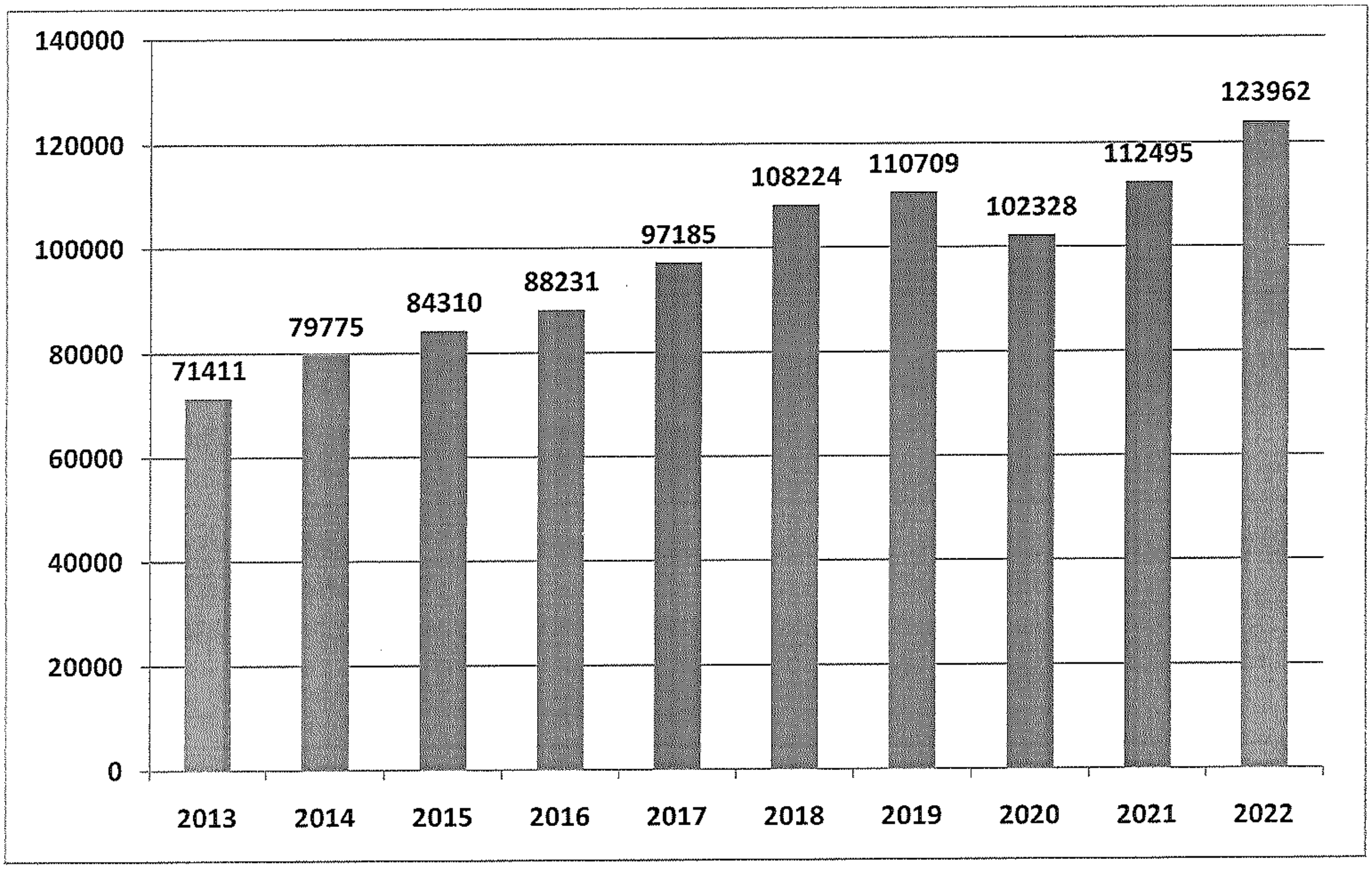


CASES REGISTERED UNDER LOCAL & SPECIAL LAW ACT DURING 2013 TO 2022

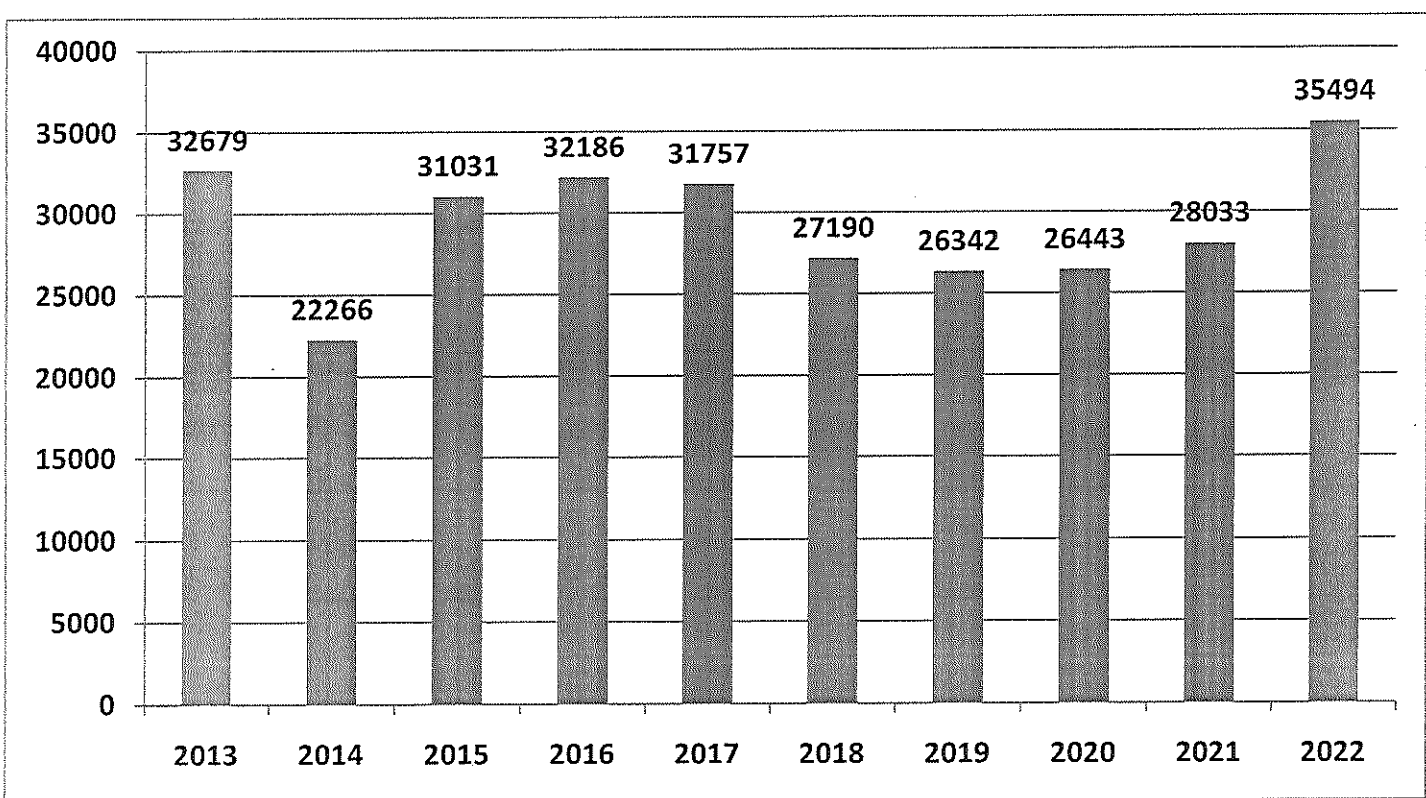

# जिला वार भारतीय दण्ड संहिता

| शीर्षक | अम्बला | भिवानी | दादरी | फरीदाबाद | फतेहाबाद | रेलवे | गुरुग्राम | हांसी | हिसार | झज्जर | जीन्द | कैथल | करनाल | कुरुक्षेत्र | नारनौल | नूह | पलवल | पंचकूला | पानीपत | रेवाड़ी | रोहतक | सिरसा | सोनीपत | य.नगर | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आत्महत्या के लिये उकसाना (305/306 भा.द.स.) | 18 | 29 | 5 | 41 | 19 | 36 | 26 | 9 | 34 | 22 | 26 | 17 | 41 | 21 | 16 | 9 | 25 | 3 | 23 | 25 | 27 | 24 | 36 | 30 | 562 |
| कलह (160 भा.द.स.) | 8 | 3 | 11 | 595 | 8 | 28 | 307 | 3 | 2 | 19 | 12 | 3 | 16 | 5 | 17 | 12 | 14 | 83 | 14 | 4 | 14 | 11 | 33 | 8 | 1230 |
| पशु चोरी | 15 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 11 | 5 | 23 | 7 | 19 | 10 | 21 | 9 | 6 | 13 | 5 | 0 | 9 | 10 | 15 | 8 | 13 | 14 | 234 |
| शस्त्र चोरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| आगजनी (435/436/438 भा.द.स.) | 12 | 22 | 12 | 15 | 11 | 0 | 11 | 7 | 21 | 14 | 10 | 12 | 29 | 11 | 18 | 7 | 17 | 3 | 20 | 13 | 16 | 12 | 30 | 11 | 334 |
| हमला (निर्वस्त्र करने का इरादा) (354B भा.द.स.) | 19 | 24 | 11 | 13 | 23 | 0 | 27 | 15 | 79 | 31 | 22 | 12 | 23 | 27 | 29 | 20 | 58 | 4 | 18 | 13 | 23 | 13 | 38 | 18 | 560 |
| हमला (अपमानजनक विनम्रता) (354 भा.द.स.) | 49 | 7 | 15 | 22 | 5 | 4 | 46 | 5 | 50 | 25 | 13 | 28 | 83 | 77 | 15 | 11 | 40 | 14 | 76 | 11 | 36 | 24 | 67 | 59 | 782 |
| गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास (308 भा.द.स.) | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 94 | 9 | 144 |
| डकेती/ लूट करने का प्रयास (393/398 भा.द.स.) | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 62 |
| हत्या करने का प्रयत्न (307 भा.द.स.) | 61 | 38 | 19 | 49 | 28 | 6 | 58 | 15 | 41 | 58 | 28 | 27 | 59 | 25 | 26 | 68 | 118 | 18 | 51 | 33 | 62 | 28 | 92 | 40 | 1048 |
| आत्महत्या करने का प्रयत्न (309 भा.द.स.) | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| बलात्कार का प्रयत्न (376-376E r/w 511 भा.द.स.) | 1 | 26 | 11 | 27 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 23 | 9 | 7 | 40 | 24 | 5 | 12 | 24 | 6 | 23 | 4 | 26 | 8 | 42 | 30 | 365 |
| साईकिल चोरी | 9 | 7 | 1 | 23 | 2 | 1 | 30 | 1 | 16 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 2 | 7 | 3 | 46 | 25 | 4 | 17 | 10 | 3 | 11 | 241 |
| गृहभेदन (380 r/w 454-460भा.द.स.) | 469 | 326 | 83 | 388 | 331 | 2 | 353 | 249 | 780 | 304 | 571 | 371 | 580 | 431 | 222 | 140 | 246 | 285 | 822 | 224 | 498 | 651 | 418 | 607 | 935 |
| लापरवाही से मौत का कारण (304A) (अन्य) | 9 | 13 | 5 | 30 | 4 | 0 | 49 | 4 | 12 | 24 | 8 | 4 | 25 | 11 | 15 | 11 | 17 | 7 | 14 | 16 | 16 | 6 | 40 | 9 | 349 |
| लापरवाही से मौत का कारण (दुर्घटना) (304A r/w 279 भा.द.स.) | 258 | 163 | 73 | 244 | 103 | 7 | 435 | 84 | 160 | 230 | 178 | 148 | 385 | 256 | 165 | 172 | 240 | 108 | 273 | 265 | 209 | 145 | 372 | 220 | 489 |
| धोखाधड़ी (420 भा.द.स.) | 430 | 161 | 38 | 376 | 70 | 12 | 443 | 57 | 215 | 154 | 118 | 192 | 644 | 308 | 117 | 50 | 164 | 232 | 398 | 151 | 356 | 84 | 242 | 201 | 52 |
| प्रतिरुपण द्वारा धोखा (419 भा.द.स.) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| झुठी/फर्जी खबरें/अफवाहें फैलाना (505 /505 भा.द.स. r/w आई.टी. अधिनियम) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| जाली सिक्के (231-235/237-240/242-254 भा.द.स.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| जाली मुद्रा और बैंक नोट (489-A to 489-ई भा.द.स.) | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| जालसाजी सील या निशान (472/473 भा.द.स.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| ट्रस्ट का अपराधिक उलघंन (406-409 भा.द.स.) | 27 | 11 | 6 | 47 | 21 | 1 | 143 | 11 | 31 | 31 | 15 | 25 | 33 | 17 | 13 | 25 | 35 | 10 | 41 | 17 | 40 | 17 | 32 | 11 | |
| अपराधिक धमकी (506 r/w भा.द.स. ) | 34 | 12 | 9 | 27 | 9 | 3 | 43 | 7 | 24 | 22 | 9 | 14 | 58 | 24 | 16 | 3 | 29 | 14 | 37 | 20 | 29 | 13 | 37 | 22 | |
| अपराधिक गबन (403/404 r/w अन्य भा.द.स.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| अपराधिक अतिचार (447-452 भा.द.स.) | 107 | 93 | 49 | 121 | 128 | 0 | 123 | 56 | 275 | 115 | 108 | 85 | 190 | 76 | 96 | 134 | 205 | 51 | 133 | 83 | 139 | 142 | 204 | 79 | |
| पति या उसके रिस्तेदार द्वारा क्रुरता (498A भा.द.स.) | 261 | 355 | 72 | 286 | 105 | 1 | 418 | 92 | 256 | 260 | 175 | 101 | 352 | 229 | 75 | 67 | 151 | 110 | 327 | 171 | 184 | 225 | 249 | 249 | |
| गैर इरादतन हत्या (304 भा.द.स.) | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 13 | 7 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डकैती (395 भा.द.स.) | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 11 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 106 |
| डकैती (397 भा.द.स.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| चोरी की सम्पत्ति का बेईमानी लेन-देन (411-414 भा.द.स.) | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 | 13 | 1 | 6 | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 22 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 7 | 155 |
| लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा (188 भा.द.स.) | 19 | 2 | 4 | 169 | 1 | 0 | 57 | 1 | 6 | 21 | 7 | 1 | 14 | 8 | 16 | 19 | 5 | 19 | 2 | 1 | 10 | 1 | 32 | 5 | 420 |
| दहेज हत्या (304B भा.द.स.) | 9 | 8 | 6 | 20 | 3 | 5 | 15 | 4 | 4 | 16 | 11 | 7 | 19 | 2 | 7 | 10 | 22 | 1 | 7 | 10 | 10 | 5 | 13 | 11 | 225 |
| हिरासत से भागना (224/225B भा.द.स.) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 |
| अवैध व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण(370A भा.द.स.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| जबरन वसूली और ब्लैकमेल (384-389 भा.द.स.) | 30 | 6 | 6 | 29 | 12 | 0 | 62 | 14 | 35 | 15 | 15 | 10 | 45 | 11 | 10 | 3 | 17 | 6 | 33 | 8 | 14 | 17 | 16 | 20 | 434 |
| जालसाजी (465-471/474 भा.द.स.) | 67 | 45 | 15 | 130 | 25 | 2 | 161 | 33 | 41 | 25 | 28 | 35 | 128 | 39 | 37 | 33 | 36 | 91 | 42 | 26 | 38 | 15 | 60 | 48 | 1200 |
| धोखा (420 r/w 465/468-471 भा.द.स./आईटी अधिनियम) | 12 | 1 | 3 | 20 | 8 | 0 | 125 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | 28 | 7 | 6 | 18 | 13 | 22 | 9 | 5 | 16 | 5 | 12 | 6 | 344 |
| भीषण चोट (325 भा.द.स.) | 79 | 216 | 105 | 118 | 108 | 10 | 192 | 92 | 184 | 108 | 149 | 151 | 146 | 91 | 93 | 65 | 102 | 34 | 193 | 129 | 110 | 179 | 230 | 125 | 3009 |
| गंभीर चोट (एसिड अटैक) (326A भा.द.स.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| गंभीर चोट (खतरनाक हथियार) (326 भा.द.स.) | 12 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 24 | 25 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 27 | 7 | 8 | 37 | 13 | 17 | 267 |
| गंभीर चोट (जीवन/सुरक्षा को खतरे में डालना) (338 भा.द.स.) (रैश ड्राइविंग) | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 10 | 12 | 110 |
| गंभीर चोट (अन्य)(329/331/335 भा.द.स.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| गंभीर चोट (लोक सेवक) (333 भा.द.स.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| अपराधी को शरण देना (212/216/216A भा.द.स.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| मानव तस्करी (370 भा.द.स.) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 |
| महिलाओं की मर्यादा का अपमान (509 भा.द.स.) | 18 | 12 | 4 | 13 | 3 | 2 | 84 | 7 | 26 | 26 | 7 | 3 | 33 | 12 | 17 | 0 | 9 | 13 | 30 | 22 | 13 | 10 | 18 | 11 | 39[illegible] |
| अपहरण/ अपनयन (363 भा.द.स.) | 1 | 1 | 0 | 249 | 2 | 0 | 93 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 22 | 1 | 5 | 2 | 1 | 40[illegible] |
| अपहरण/अपनयन (भीख मांगने के लिये) (363A भा.द.स.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| अपहरण और अपहरण (शादी के लिए- बालिग लड़की)(366 भा.द.स.) | 45 | 28 | 3 | 39 | 32 | 1 | 62 | 7 | 13 | 23 | 53 | 84 | 44 | 56 | 15 | 23 | 30 | 3 | 217 | 29 | 20 | 31 | 46 | 47 | 9[illegible] |
| अपहरण और अपहरण (शादी के लिए-नाबालिग लड़की)(366A भा.द.स.) | 62 | 27 | 10 | 141 | 20 | 1 | 67 | 13 | 81 | 30 | 36 | 41 | 64 | 43 | 24 | 33 | 63 | 19 | 33 | 23 | 14 | 75 | 46 | 25 | 9[illegible] |
| अपहरण और अपहरण (हत्या के लिये)(364 भा.द.स.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | [illegible] |
| अपहरण और अपहरण (फिरौती के लिए) (364A भा.द.स.) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [illegible] |
| अपहरण और अपहरण (अन्य) (365/367/368/369 भा.द.स.) | 71 | 14 | 12 | 34 | 16 | 0 | 57 | 9 | 26 | 103 | 22 | 45 | 34 | 82 | 16 | 44 | 24 | 84 | 348 | 24 | 131 | 21 | 184 | 134 | [illegible] |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुप्त गृह अतिचार या गृह-भेदन (454-460 भा.द.स.) | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 96 |
| डकैती करने के लिए तैयारी और सभा करना (399 r/w 402 भा.द.स.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| गर्भपात, शिशुहत्या, भ्रूणहत्या और परित्याग(312/313/314 भा.द.स.) | 12 | 2 | 4 | 23 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 8 | 6 | 5 | 12 | 7 | 15 | 7 | 155 |
| हत्या (302 भा.द.स.) | 27 | 51 | 17 | 78 | 14 | 22 | 89 | 14 | 36 | 62 | 39 | 35 | 67 | 27 | 33 | 21 | 54 | 13 | 71 | 41 | 63 | 34 | 74 | 30 | 1012 |
| वाहन चोरी | 516 | 402 | 62 | 1809 | 435 | 239 | 3557 | 241 | 924 | 597 | 468 | 537 | 959 | 747 | 212 | 498 | 680 | 410 | 1173 | 467 | 1053 | 643 | 855 | 769 | 18253 |
| न्यायालय में उपस्थित न होना (174A भा.द.स.) | 334 | 337 | 83 | 1045 | 203 | 70 | 2422 | 174 | 1228 | 134 | 202 | 43 | 937 | 341 | 281 | 309 | 57 | 495 | 710 | 237 | 218 | 1394 | 481 | 429 | 12164 |
| सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें और गाने (294 भा.द.स.) | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 0 | 7 | 6 | 26 | 6 | 8 | 0 | 13 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 18 | 0 | 159 |
| सार्वजनिक मार्ग में बाधा (283 भा.द.स.) | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 641 |
| राज्य के खिलाफ अपराध (राजद्रोह) (124A भा.द.स.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| शरारत से संबंधित अपराध (428-433 भा.द.स.) | 2 | 6 | 4 | 21 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 11 | 7 | 140 |
| मिलावट या खाद्य/दवाओं की बिक्री से संबंधित अपराध (272-276 भा.द.स.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| चुनाव से संबंधित अपराध (धार.171-E-171-I भा.द.स.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| धर्म से संबंधित अपराध(295-297 भा.द.स.) | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 85 |
| धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर (153A/153AA भा.द.स.) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| अन्य भा.द.स. | 7 | 5 | 3 | 18 | 6 | 23 | 31 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 17 | 3 | 2 | 11 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 209 |
| राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल (153B भा.द.स.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| बलात्कार (376-376E भा.द.स.) | 87 | 62 | 19 | 167 | 44 | 0 | 194 | 27 | 124 | 62 | 53 | 42 | 125 | 93 | 39 | 83 | 84 | 43 | 122 | 54 | 86 | 66 | 155 | 112 | 194[illegible] |
| पब्लिक वे पर रैश ड्राइविंग (279/279 r/w 336/अन्य भा.द.स.) | 13 | 14 | 3 | 30 | 5 | 7 | 101 | 2 | 19 | 26 | 3 | 8 | 100 | 20 | 4 | 11 | 18 | 12 | 16 | 30 | 17 | 7 | 22 | 17 | 50[illegible] |
| सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना (गंभीर चोट)(279 r/w 338 भा.द.स.) | 150 | 162 | 39 | 77 | 58 | 6 | 311 | 61 | 139 | 134 | 115 | 83 | 169 | 163 | 65 | 93 | 45 | 80 | 146 | 173 | 119 | 95 | 210 | 151 | 28[illegible] |
| सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना (साधारण चोट) (279 r/w 337 भा.द.स.) | 66 | 103 | 22 | 256 | 55 | 3 | 204 | 22 | 109 | 64 | 66 | 66 | 145 | 77 | 128 | 223 | 221 | 36 | 92 | 82 | 103 | 91 | 128 | 56 | 24[illegible] |
| दगें (147-151 भा.द.स.) | 48 | 75 | 16 | 102 | 56 | 4 | 131 | 32 | 154 | 57 | 83 | 57 | 144 | 38 | 43 | 81 | 120 | 28 | 65 | 33 | 95 | 81 | 83 | 40 | 16[illegible] |
| लूट (392/394 भा.द.स.) | 12 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 50 | 6 | 22 | 22 | 21 | 13 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | 19 | 11 | 7 | 2[illegible] |
| लूट (397 भा.द.स.) | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | [illegible] |
| लूट (छीनाझपटी) (379B) | 29 | 21 | 3 | 156 | 27 | 13 | 31 | 10 | 66 | 43 | 14 | 15 | 104 | 33 | 48 | 64 | 146 | 7 | 63 | 32 | 53 | 19 | 75 | 58 | 1[illegible] |
| अश्लील पुस्तकों/वस्तुओं की बिक्री(292/293 भा.द.स.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| यौन उत्पीड़न (354A भा.द.स.) | 16 | 21 | 2 | 32 | 9 | 3 | 47 | 11 | 55 | 10 | 14 | 8 | 7 | 18 | 18 | 10 | 30 | 14 | 13 | 13 | 31 | 7 | 25 | 6 | 420 |
| साधारण चोट(323 r/w 341/342/506 भा.द.स.) | 113 | 226 | 93 | 243 | 140 | 24 | 424 | 92 | 424 | 214 | 181 | 131 | 291 | 123 | 135 | 84 | 171 | 84 | 388 | 173 | 245 | 216 | 547 | 91 | 4853 |
| साधारण चोट (खतरनाक हथियार) (324 भा.द.स.) | 41 | 25 | 21 | 52 | 32 | 4 | 27 | 28 | 69 | 18 | 45 | 52 | 135 | 63 | 12 | 78 | 75 | 21 | 80 | 18 | 62 | 74 | 59 | 38 | 1129 |
| साधारण चोट (खतरे में जीवन/सुरक्षा)(336/337 भा.द.स.) (रैश ड्राइविंग) | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 77 |
| साधारण चोट (अन्य) (327/328/330/334 भा.द.स.) | 10 | 6 | 2 | 7 | 4 | 11 | 8 | 7 | 12 | 12 | 6 | 8 | 17 | 6 | 5 | 3 | 12 | 4 | 15 | 1 | 7 | 8 | 2 | 11 | 184 |
| साधारण चोट (लोक सेवक) (332/353 भा.द.स.) | 36 | 12 | 15 | 21 | 22 | 14 | 52 | 20 | 51 | 27 | 38 | 28 | 58 | 12 | 31 | 23 | 41 | 15 | 35 | 23 | 33 | 24 | 29 | 24 | 684 |
| छीनाझपटी (379A/356) | 104 | 39 | 8 | 129 | 48 | 100 | 225 | 17 | 100 | 41 | 53 | 26 | 96 | 52 | 26 | 67 | 87 | 51 | 143 | 50 | 80 | 68 | 86 | 137 | 1833 |
| पीछा करना (354D भा.द.स.) | 18 | 29 | 5 | 34 | 13 | 3 | 47 | 15 | 52 | 25 | 18 | 11 | 59 | 25 | 14 | 8 | 22 | 19 | 31 | 23 | 41 | 21 | 26 | 12 | 571 |
| चोरी (379-382 भा.द.स.) | 341 | 371 | 56 | 515 | 168 | 636 | 1187 | 186 | 696 | 313 | 485 | 265 | 710 | 374 | 177 | 227 | 302 | 294 | 657 | 264 | 491 | 364 | 404 | 519 | 10002 |
| अप्राकृतिक सम्बधं (377 भा.द.स.) | 21 | 28 | 6 | 60 | 8 | 0 | 20 | 9 | 14 | 12 | 11 | 16 | 28 | 32 | 7 | 12 | 21 | 14 | 26 | 19 | 32 | 37 | 75 | 30 | 538 |
| ताक-झांक (354C भा.द.स.) | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 70 |
| गलत संयम/कारावास (गुमशुदा व्यक्ति) (केवल 346 भा.द.स.) | 458 | 567 | 177 | 1097 | 483 | 34 | 1309 | 290 | 982 | 560 | 678 | 356 | 1247 | 554 | 390 | 145 | 454 | 310 | 1320 | 390 | 754 | 646 | 857 | 628 | 14686 |
| सदोष अवरोध/कारावास (अन्य) केवल 346 भा.द.स.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 55 |
| **कुल योग** | **4738** | **4275** | **1272** | **9397** | **3000** | **1369** | **14748** | **####** | **7842** | **4244** | **4319** | **3339** | **8702** | **4781** | **2821** | **3138** | **4455** | **3303** | **8527** | **3566** | **5780** | **5841** | **7068** | **5329** | **12396** |

# जिला वार स्थानिय एवं विशेष अधिनियम

| अधिनियम का नाम | अम्बला | भिवानी | दादरी | फरीदाबाद | फतेहाबाद | रेलवे | गुरुग्राम | हांसी | हिसार | झज्जर | जीन्द | कैथल | करनाल | कुरुक्षेत्र | नारनौल | नूह | पलवल | पंचकूला | पानीपत | रेवाड़ी | रोहतक | सिरसा | सोनीपत | य.नगर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| शस्त्र अधिनियम, 1959 | 91 | 86 | 53 | 669 | 89 | 17 | 391 | 42 | 128 | 180 | 137 | 67 | 165 | 48 | 87 | 108 | 294 | 11 | 121 | 86 | 222 | 80 | 315 | 83 |
| बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| मवेशी अतिचार अधिनियम, 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| कॉपीराइट अधिनियम, 1957 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| दहेज निषेध अधिनियम, 1961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| विद्युत अधिनियम, 2003 | 55 | 9 | 2 | 4 | 51 | 0 | 14 | 30 | 6 | 14 | 73 | 202 | 679 | 337 | 36 | 29 | 20 | 5 | 49 | 27 | 28 | 60 | 88 | 75 |
| पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 | 3 | 4 | 4 | 22 | 10 | 0 | 10 | 0 | 18 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 16 | 15 | 2 | 5 | 13 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| आबकारी अधिनियम, 1914 | 850 | 386 | 191 | 1269 | 369 | 212 | 1474 | 262 | 485 | 335 | 502 | 858 | 1167 | 884 | 393 | 176 | 549 | 135 | 369 | 249 | 740 | 354 | 665 | 531 |
| विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884 & 1908 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| विस्फोटक अधिनियम 1884 | 1 | 4 | 6 | 44 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| विदेशी अधिनियम, 1946 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वन अधिनियम, 1927 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| हरियाणा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 | 28 | 4 | 3 | 36 | 2 | 0 | 82 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 | 9 | 7 | 23 | 8 | 20 | 18 | 15 | 6 | 47 | 8 |
| हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 | 6 | 3 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 192 | 43 | 0 | 4 | 18 | 6 | 4 | 2 | 15 |
| हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी, 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| हरियाणा धर्म परिवर्तन की अवैध रोकथाम अधिनियम, 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| हरियाणा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 | 21 | 18 | 5 | 15 | 4 | 0 | 44 | 4 | 32 | 13 | 9 | 7 | 24 | 26 | 11 | 4 | 4 | 61 | 14 | 4 | 20 | 8 | 8 | 22 |
| किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 | 7 | 7 | 3 | 18 | 7 | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 | 93 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 148 | 13 | 6 | 10 | 8 | 34 | 1 | 0 | 8 | 32 |
| मोटर वाहन अधिनियम, 1988 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 | 143 | 100 | 57 | 362 | 244 | 53 | 168 | 45 | 191 | 144 | 83 | 130 | 280 | 232 | 46 | 44 | 56 | 124 | 124 | 84 | 175 | 621 | 126 | 170 |
| अन्य स्थानीय और विशेष कानून | 99 | 21 | 11 | 165 | 50 | 3 | 83 | 5 | 112 | 27 | 17 | 27 | 46 | 75 | 20 | 5 | 47 | 85 | 74 | 54 | 46 | 65 | 47 | 45 |
| पासपोर्ट अधिनियम, 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पोक्सो अधिनियम (अन्य) | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| पोक्सो अधिनियम (धारा.4 & 6) | 61 | 51 | 20 | 144 | 35 | 2 | 114 | 21 | 71 | 50 | 50 | 36 | 111 | 64 | 17 | 54 | 53 | 39 | 93 | 51 | 59 | 52 | 102 | 83 |
| पोक्सो अधिनियम (धारा.8 & 10) | 21 | 18 | 2 | 44 | 11 | 1 | 30 | 15 | 23 | 8 | 12 | 9 | 30 | 22 | 7 | 16 | 29 | 7 | 23 | 9 | 9 | 10 | 9 | 20 |
| प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 15 | 43 | 11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 17 | 22 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 11 | 16 |
| सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम को नुकसान की रोकथाम, 1984 | 6 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 33 | 1 | 13 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 17 | 7 |
| राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के अपमान की रोकथाम, 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण, 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 | 657 | 134 | 88 | 1741 | 107 | 6 | 315 | 55 | 341 | 97 | 105 | 104 | 216 | 214 | 50 | 207 | 248 | 346 | 80 | 84 | 163 | 214 | 160 | 203 |
| पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 21 | 0 | 2 | 28 | 5 | 3 | 28 | 2 | 0 | 47 | 32 | 2 | 3 | 24 | 3 |
| जन अधिनियम का प्रतिनिधित्व, 1951 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| गर्भावस्था अधिनियम की चिकित्सा समाप्ति, 1971 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| अनुसुचित जाति/जनजाती (पीओए) अधिनियम, 1989/2015 | 20 | 19 | 13 | 26 | 39 | 2 | 31 | 33 | 173 | 21 | 19 | 15 | 42 | 38 | 18 | 11 | 29 | 15 | 47 | 17 | 17 | 13 | 17 | 31 |
| ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| **कुल योग** | **2199** | **894** | **468** | **4645** | **1044** | **331** | **2922** | **550** | **1698** | **968** | **1060** | **1491** | **2894** | **2010** | **899** | **979** | **1471** | **870** | **1114** | **833** | **1562** | **1524** | **1683** | **1385** |

वर्ष 2022 में मण्डल अनुसार अपराधः–

| मण्डल का नाम | भारतीय दण्ड संहिता अपराध | स्थानीय एवं विशेष अधिनियम अपराध | कुल अपराध |
|---|---|---|---|
| पंचकूला | 3303 | 870 | 4173 |
| हिसार | 23110 | 5876 | 28986 |
| रोहतक | 15571 | 3892 | 19463 |
| गुरुग्राम | 14748 | 2922 | 17670 |
| फरीदाबाद | 9397 | 4645 | 14042 |
| रेवाड़ी | 13980 | 4182 | 18162 |
| करनाल | 20568 | 5499 | 26067 |
| अम्बाला | 14848 | 5594 | 20442 |
| सोनीपत | 7068 | 1683 | 8751 |
| राजकीय रेलवे पुलिस | 1369 | 331 | 1700 |
| कुल | **123962** | **35494** | **159456** |

**PERCENTAGE OF RANGEWISE CRIME IN 2022**

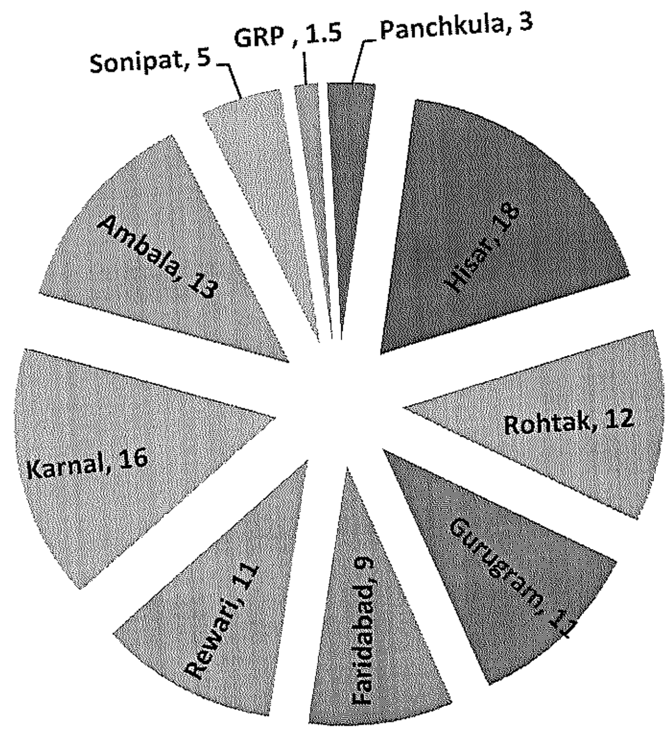


जिला अनुसार अपराध का प्रतिशतः–

| जिले का नाम | भारतीय दण्ड संहिता अपराध | स्थानीय एवं विशेष अधिनियम अपराध | कुल अपराध |
|---|---|---|---|
| पंचकूला | 3303 | 870 | 4173 |
| अम्बाला | 4738 | 2199 | 6937 |
| यमुनानगर | 5329 | 1385 | 6714 |
| कुरुक्षेत्र | 4781 | 2010 | 6791 |
| कैथल | 3339 | 1491 | 4830 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| हिसार | 7842 | 1698 | 9540 |
| सिरसा | 5841 | 1524 | 7365 |
| भिवानी | 4275 | 894 | 5169 |
| जीन्द | 4319 | 1060 | 5379 |
| फतेहाबाद | 3000 | 1044 | 4044 |
| हांसी | 2108 | 550 | 2658 |
| गुरुग्राम | 14748 | 2922 | 17670 |
| फरीदाबाद | 9397 | 4645 | 14042 |
| नारनौल | 2821 | 899 | 3720 |
| रेवाड़ी | 3566 | 833 | 4399 |
| मेवात | 3138 | 979 | 4117 |
| पलवल | 4455 | 1471 | 5926 |
| रोहतक | 5780 | 1562 | 7342 |
| सोनीपत | 7068 | 1683 | 8751 |
| करनाल | 8702 | 2894 | 11596 |
| पानीपत | 8527 | 1114 | 9641 |
| झज्जर | 4244 | 968 | 5212 |
| चरखी दादरी | 1272 | 468 | 1740 |
| राजकीय रेलवे पुलिस | 1369 | 331 | 1700 |
| कुल | **123962** | **35494** | **159456** |

मानव विरूद्ध अपराध– तुलनात्मक

| क्र. सं. | अपराध का शीर्ष | वर्ष 2021 | वर्ष 2022 | अन्तर | प्रतिशत बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हत्या | 1080 | 1012 | –68 | –6.30 |
| 2 | सदोष मानव वध | 56 | 91 | 35 | 62.50 |
| 3 | हत्या का प्रयत्न | 1022 | 1048 | 26 | 2.54 |
| 4 | सरकारी कर्मचारियों पर हमला | 712 | 684 | –28 | –3.93 |
| 5 | चोट | 9944 | 10340 | 396 | 3.98 |
| 6 | दंगे | 1578 | 1666 | 88 | 5.58 |
| 7 | अपहरण/अपनयन | 3681 | 3924 | 243 | 6.60 |
| 8 | बलात्कार | 1904 | 1943 | 39 | 2.05 |
| | कुल योग | **19977** | **20708** | **731** | 3.66 |

मानव विरूद्ध अपराध –सफल हुए मुकदमें –तुलनात्मक

| क्र सं. | अपराध का शीर्ष | वर्ष 2021 | | | वर्ष 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दर्ज मुकदमे | सफल हुए मुकदमे | सफलता का प्रतिशत | दर्ज मुकदमे | सफल हुए मुकदमे | सफलता का प्रतिशत |
| 1 | हत्या | 1080 | 968 | 89.63 | 1012 | 901 | 89.03 |
| 2 | सदोष मानव वध | 56 | 57 | 101.79 | 91 | 85 | 93.41 |
| 3 | हत्या का प्रयत्न | 1022 | 959 | 93.84 | 1048 | 997 | 95.13 |
| 4 | सरकारी कर्मचारियों पर हमला | 712 | 668 | 93.82 | 684 | 646 | 94.44 |
| 5 | चोट | 9944 | 9579 | 96.33 | 10340 | 9934 | 96.07 |
| 6 | दंगे | 1578 | 1451 | 91.95 | 1666 | 1527 | 91.66 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | अपहरण/अपनयन | 3681 | 3418 | 92.86 | 3924 | 3602 | 91.79 |
| 8 | बलात्कार | 1904 | 1885 | 99.00 | 1943 | 1927 | 99.18 |
| | कुल योग | **19977** | **18985** | 95.03 | **20708** | **19619** | 94.74 |

(क) <u>मानव विरुद्ध अपराध</u>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि केवल मानव विरुद्ध अपराधों में सफलता की दर 95 प्रतिशत रही है। सरकारी कर्मचारियों पर हमलों, सदोष मानव वध व चोट के मुकदमों में अनुसंधान की सफलता क्रमशः 94, 93 एंव 96 प्रतिशत रही। वर्ष 2022 में अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत अनुसंधान की सफलता की दर वर्ष 2021 के मुकाबले अनुसंधान हेतू उपलब्ध समयावधि को देखते हुए उल्लेखनीय है।

**MURDER CASES REGISTERED DURING 2013 TO 2022**

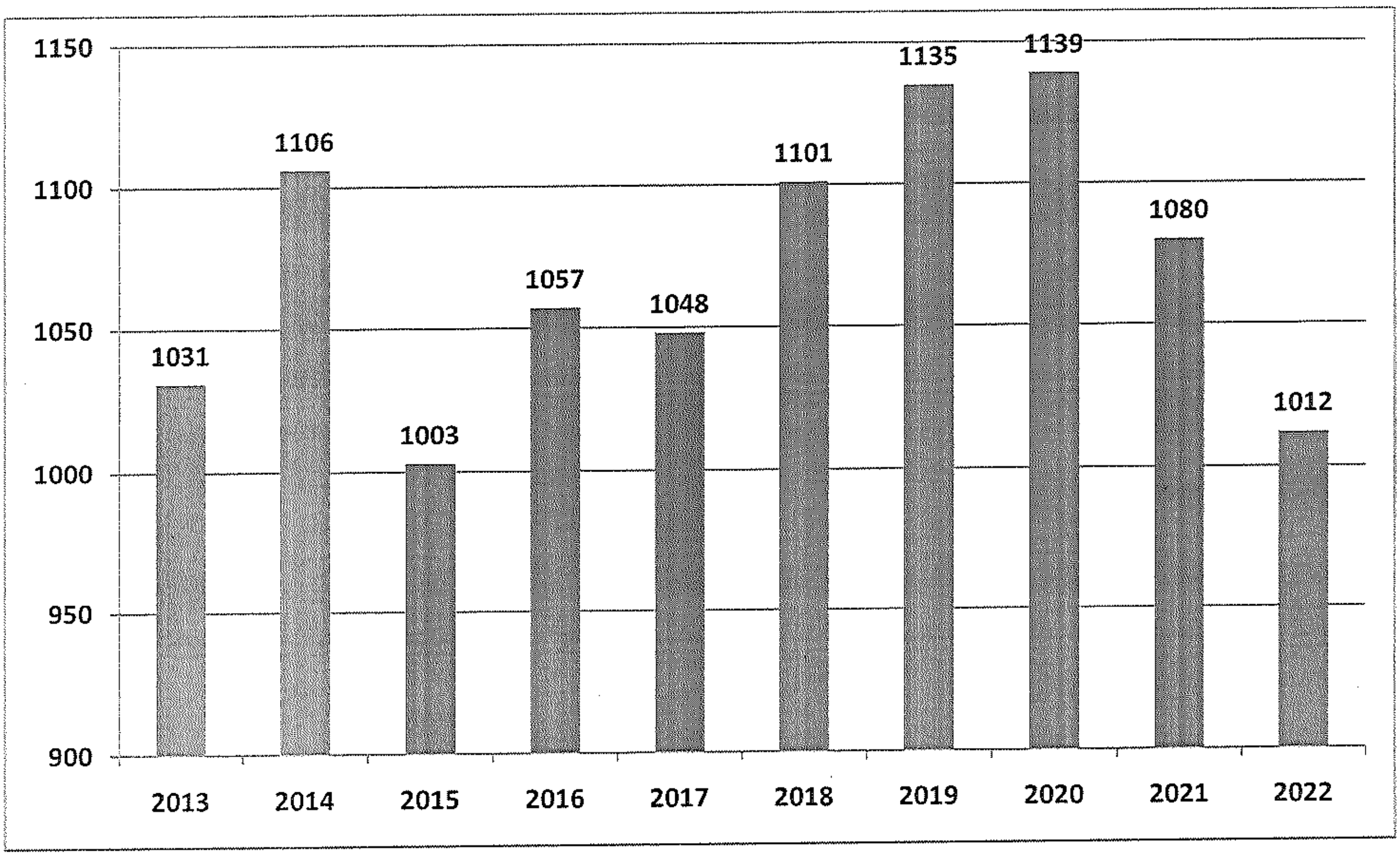


**CULPABLE HOMICIDE CASES REGISTERED DURING 2013 TO 2022**

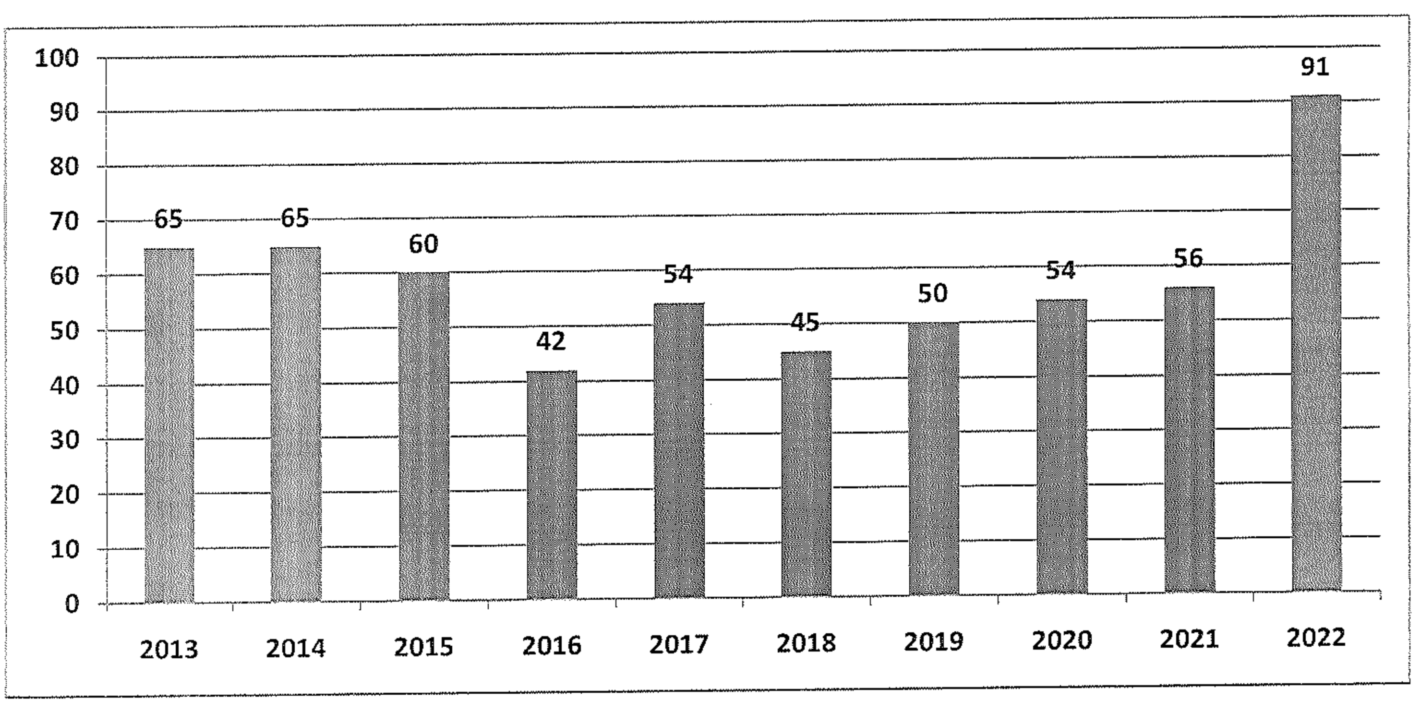

## ATTEMPT TO MURDER CASES REGISTERED DURING 2013 TO 2022

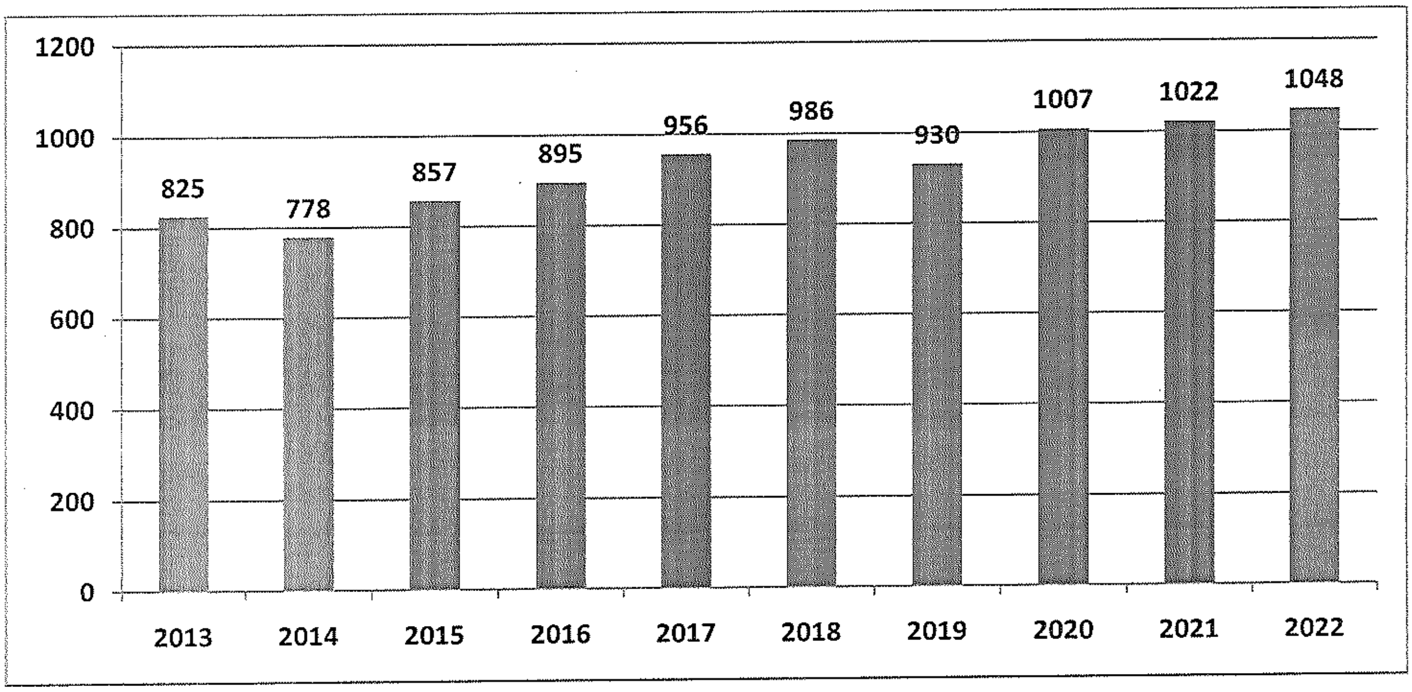


## HURT CASES REGISTERED DURING 2013 TO 2022

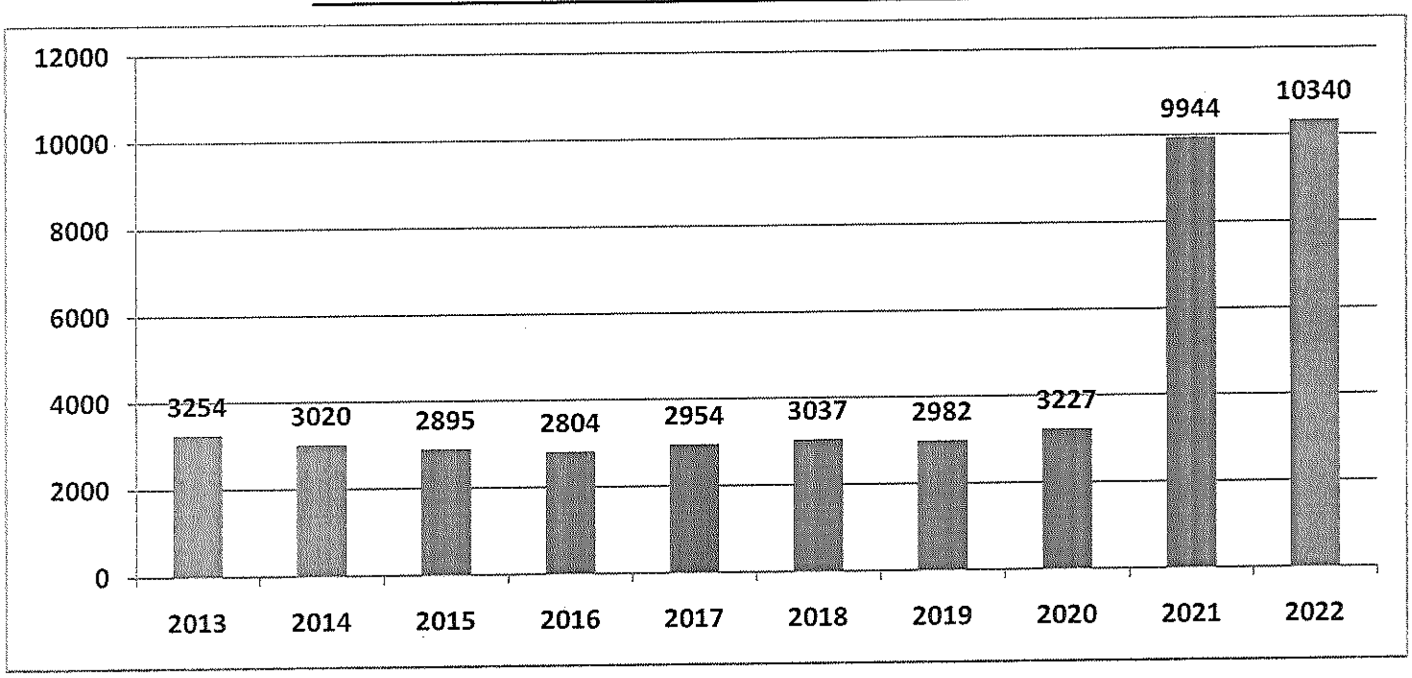


## ASSAULT ON GOVT. SERVANTS CASES REGISTERED DURING 2013 TO 2022

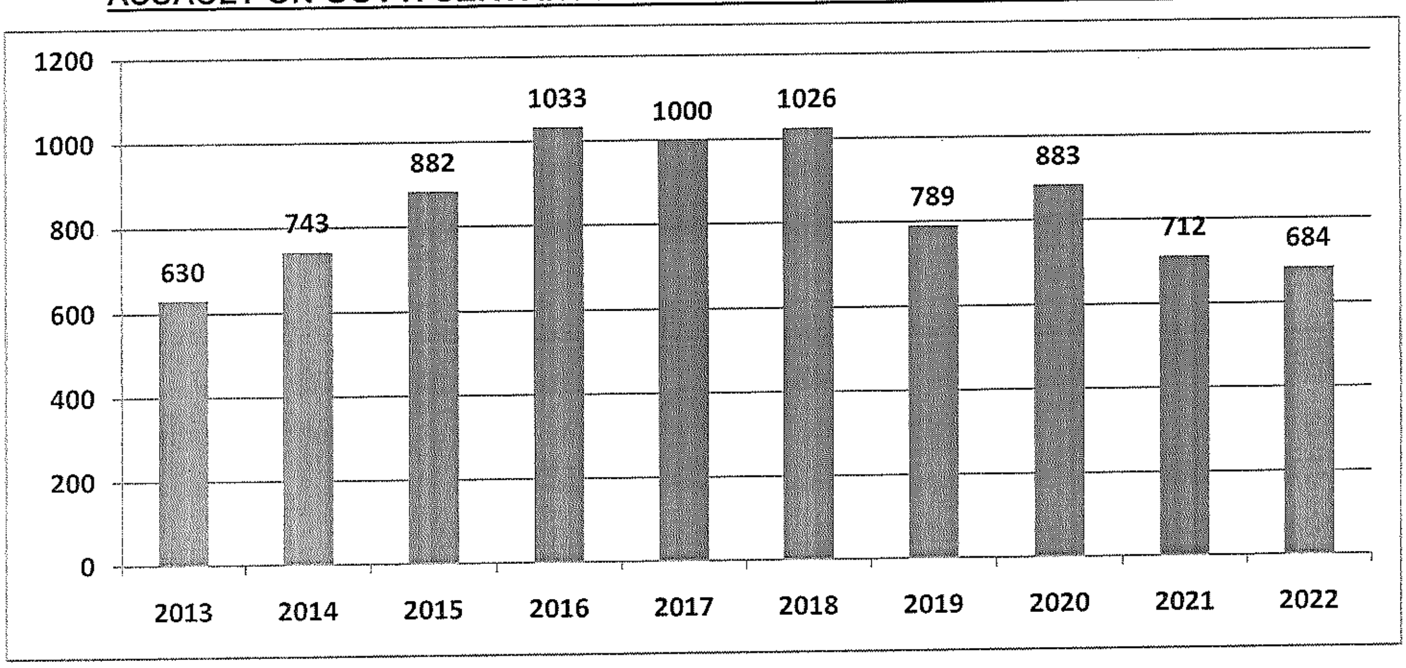

## ख) सम्पति विरुद्ध अपराध

सम्पति विरुद्ध अपराध में 25.62 प्रतिशत सम्पति बरामद की गई। वर्ष 2022 के दौरान राज्य पुलिस ने लगभग 65 करोड़ रुपये की चोरी शुदा सम्पति बरामद की। इस प्रकार पुलिस ने सराहनीय कार्य किया।

सम्पति विरुद्ध अपराध –तुलनात्मक

| क्र सं. | अपराध का शीर्ष | वर्ष 2021 | वर्ष 2022 | अन्तर | प्रतिशत बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डकैती | 163 | 116 | –47 | –28.83 |
| 2 | लूट | 1535 | 1476 | –59 | –3.84 |
| 3 | गृह भेदन | 8554 | 9351 | 797 | 9.32 |
| 4 | चोरी | 26933 | 28752 | 1819 | 6.75 |
| | कुल योग | **37185** | **39695** | **2510** | 6.75 |

सम्पति विरुद्ध अपराध– सफल हुए मुकदमें –तुलनात्मक

| क्र सं. | अपराध का शीर्ष | वर्ष 2021 | | | वर्ष 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दर्ज मुकदमे | सफल मुकदमे | सफलता प्रतिशत | दर्ज मुकदमे | सफल मुकदमे | सफलता प्रतिशत |
| 1 | डकैती | 163 | 148 | 90.80 | 116 | 100 | 86.21 |
| 2 | लूट | 1535 | 1137 | 74.07 | 1476 | 1182 | 80.08 |
| 3 | गृह भेदन | 8554 | 2700 | 31.56 | 9351 | 2853 | 30.51 |
| 4 | चोरी | 26933 | 7941 | 29.48 | 28752 | 7837 | 27.26 |
| | कुल योग | **37185** | **11926** | 32.07 | **39695** | **11972** | 30.16 |

सम्पति विरुद्ध अपराध– बरामदगी –तुलनात्मक रूपये लाखों में

| क्र सं. | अपराध का शीर्ष | वर्ष 2021 | | | वर्ष 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | चोरी हुई सम्पति | बरामद सम्पति | प्रतिशत बरामदगी | चोरी हुई सम्पति | बरामद सम्पति | प्रतिशत बरामदगी |
| 1 | डकैती | 706.39 | 607.32 | 85.98 | 903.97 | 435.36 | 48.16 |
| 2 | लूट | 1479.17 | 1008.22 | 68.16 | 1533.25 | 778.51 | 50.78 |
| 3 | गृह भेदन | 7165.05 | 1872.82 | 26.14 | 7919.85 | 1953.67 | 24.67 |
| 4 | चोरी | 12512.85 | 3563.77 | 28.48 | 15325.50 | 3413.41 | 22.27 |
| 5 | कुल योग | **21863.46** | **7052.13** | 32.26 | **25682.57** | **6580.95** | 25.62 |

## DACOITY CASES REGISTERED DURING 2013 TO 2022

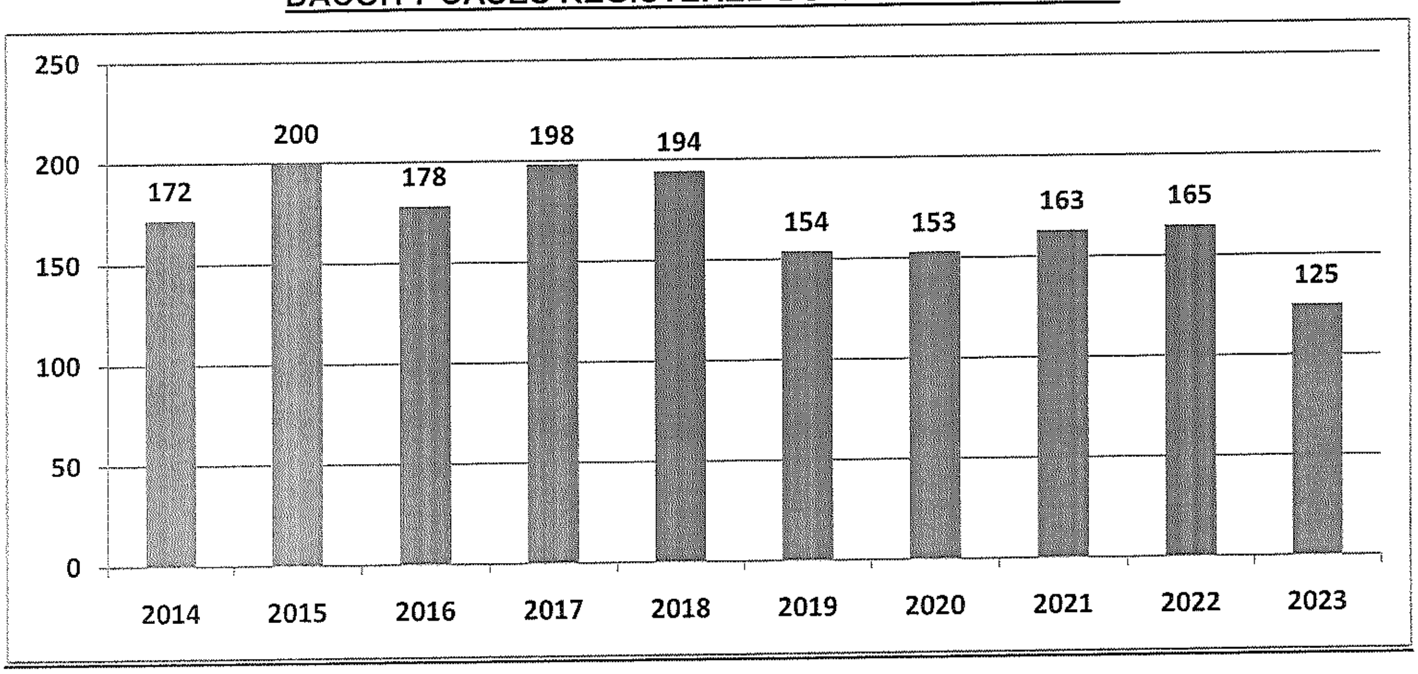

## ROBBERY CASES REGISTERED DURING 2013 TO 2022

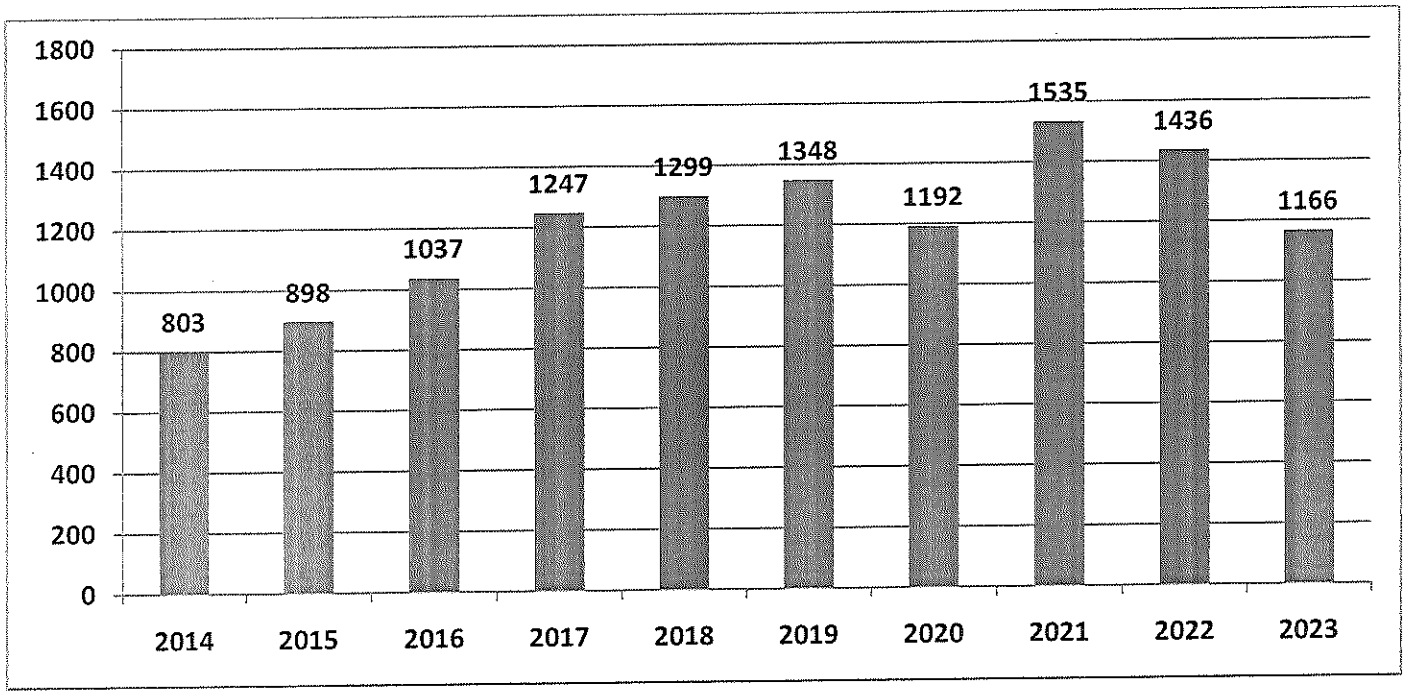


## BURGLARY CASES REGISTERED DURING 2013 TO 2022

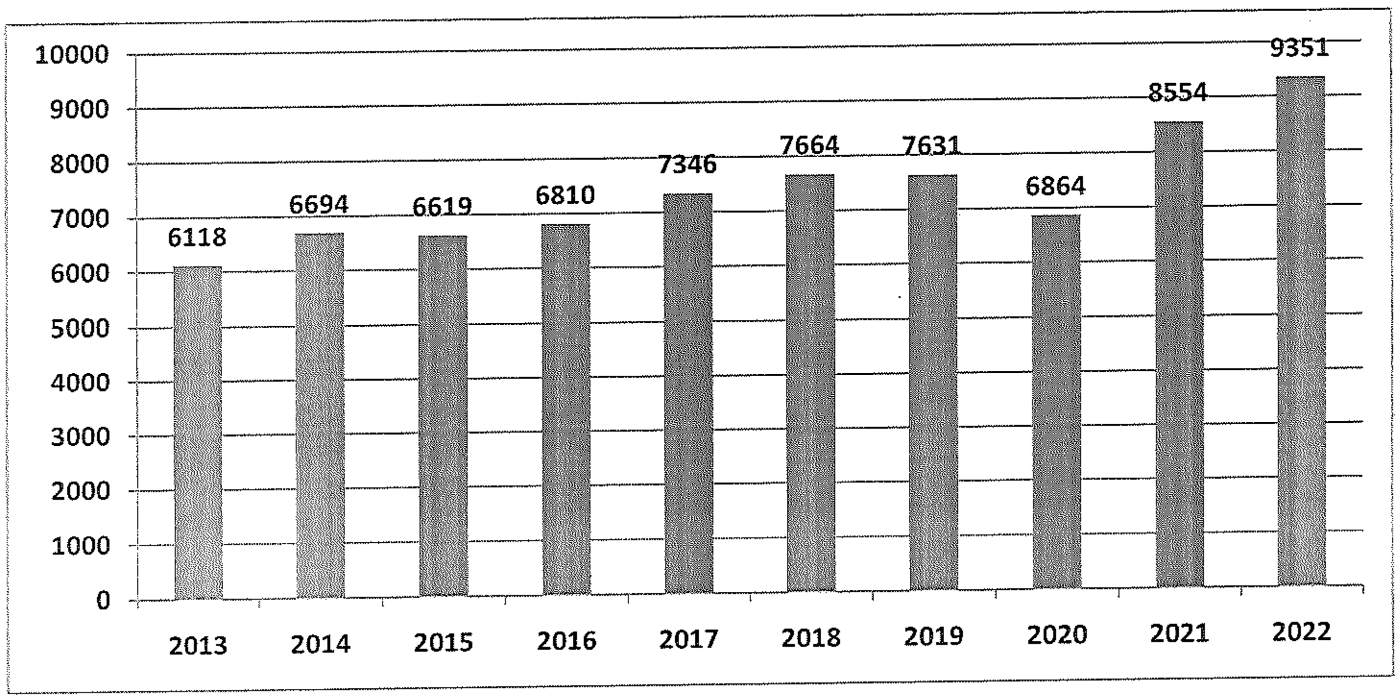


## THEFT CASES REGISTERED DURING 2013 TO 2022

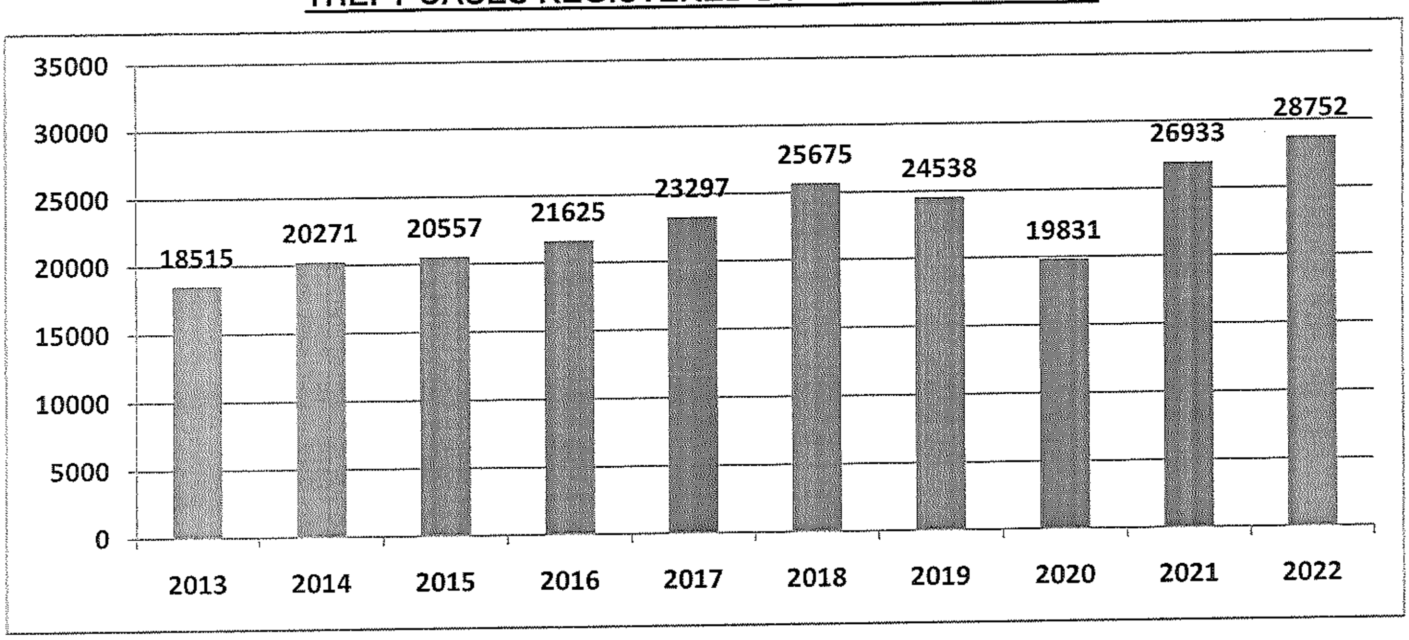

(ग) **महिला विरुद्ध अपराध**

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वर्ष 2022 में 43 मुकदमें अधिक दर्ज हुए। वर्ष 2022 के दौरान दहेज हत्या, दहेज प्रताड़ना, बलात्कार, अपहरण/अपनयन एवं छेड़छाड़ के शीर्षकों के अन्तर्गत क्रमशः 225, 4771, 1943, 1942 एवं 2403 मुकदमें दर्ज हुए। दहेज प्रताड़ना के अन्तर्गत वृद्वि का मुख्य कारण महिलाओं में अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरुकता का होना तथा बेझिझक पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाना है।

**महिला विरुद्ध अपराध – तुलनात्मक**

| क्र. सं. | अपराध का शीर्ष | वर्ष 2021 | वर्ष 2022 | अन्तर | प्रतिशत बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दहेज हत्या | 269 | 225 | −44 | −16.36 |
| 2 | दहेज प्रताड़ना | 4467 | 4771 | 304 | 6.81 |
| 3 | बलात्कार | 1904 | 1943 | 39 | 2.05 |
| 4 | अपहरण/अपनयन | 2132 | 1942 | −190 | −8.91 |
| 5 | छेड़छाड़ | 2469 | 2403 | −66 | −2.67 |
| | **कुल योग** | **11241** | **11284** | 43 | 0.38 |

**RAPE CASES REGISTERED DURING 2013 TO 2022**

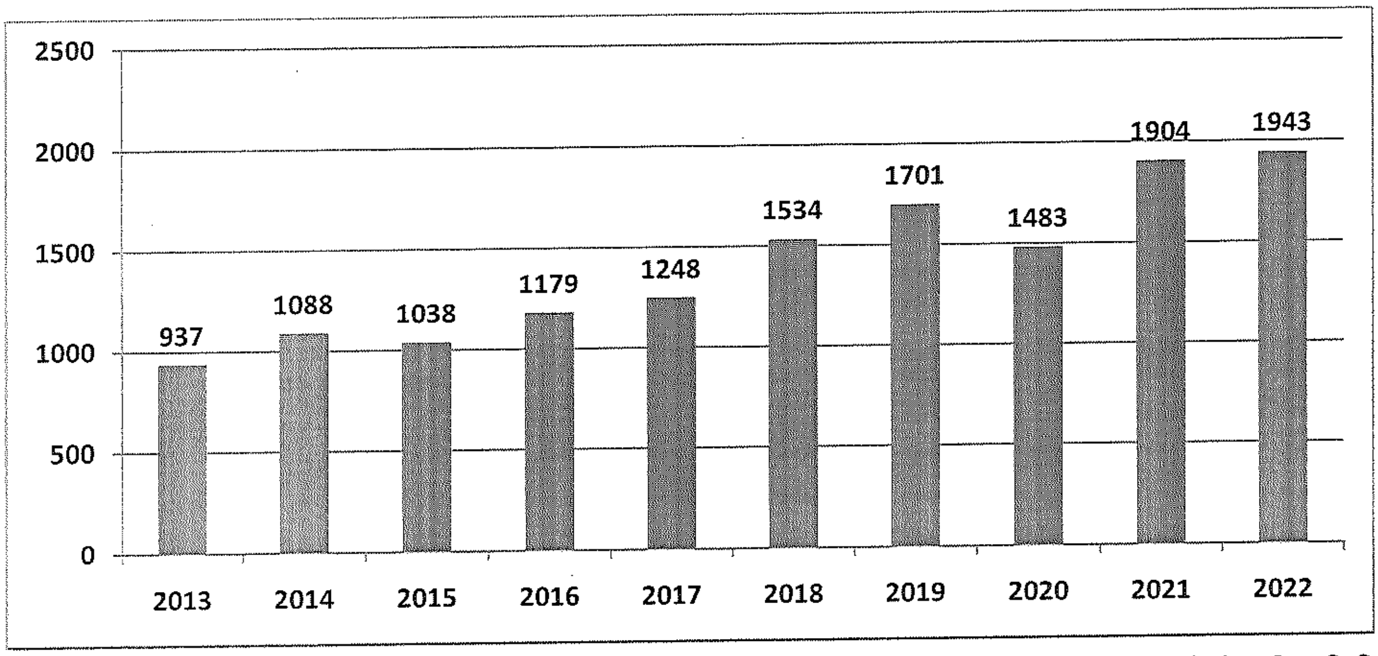


राज्य सरकार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति संवेदनशील है तथा ऐसे अपराधों को रोकने हेतू निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

1. **महिला थानों का निर्माण:** राज्य में पितृसत्ता की जड़ें गहरी हैं। यहाँ की महिलाओं को पारंपरिक रूप से घर के पुरूष सदस्यों द्वारा गृहणी की भूमिका सौंपी जाती है। सामाजिक कार्य में भाग लेने के लिए शैक्षिक और अन्य अवसर प्रदान करके उन्हे सशक्त बनाने के अलावा, हरियाणा सरकार ने राज्य में महिला पुलिस थाने खोलकर देश में एक अनूठी पहल के साथ एक कदम आगे बढ़ाया है। ये पुलिस थाने विशेष रूप से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित मामलों को देखते हैं और इन में ज्यादा तर महिला कर्मचारी हैं। यह अपने आप में एक सामाजिक सुधार से कम नहीं है। इन पुलिस थानों को महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जाँच करने, दहेज उत्पीड़न आदि के पीड़ितों को परामर्श और अन्य कानूनी मदद प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। अगस्त, 2015 से अब तक 33 महिला पुलिस थाने हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित किए हैं और कार्यरत हैं। ये महिला थाने नई सामाजिक व्यवस्था के एक एजेंट के रूप में कार्य करेंगे, जिसमें महिलाओ द्वारा समान अधिकारों का दावा किया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि इस तरह का मंच महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक करेगा और उनके बीच व्यक्तिगत पहचान की भावना पैदा करेगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए अपनी समस्याओं के बारे में किसी अन्य साथी महिला से वर्दी में बात करना और न्याय मांगना आसान हो जाता है।

2. **महिला हैल्प डैस्क** : दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की तत्काल मदद के लिए **239** 'महिला सहायता डैस्क' की स्थापना की गई है।

3. **महिलाओं के लिए अलग हेल्पलाइन :–** राज्य के सभी जिलों में चार अंकों की महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 शुरू की गई है। इस नंबर पर कॉल अटेंड करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान की जा सके। इस संबंध में कार्यालय की ओर से एक एसओपी भी जारी कर दिया गया है। अभी डायल 112 में महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 को एकीकृत किया गया है।

4. **दुर्गा शक्ति ऐप का शुभारम्भ** : महिलाओं की सुरक्षा को बढ़वा देने के लिए देश में पहली बार 'दुर्गा शक्ति' नामक ऐप को 12.07.2018 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 'एक और सुधार' पहल के अंतर्गत शुरू किया गया। कोई भी महिला इस ऐप पर पंजीकरण कर सकती है और केवल 'ALERT' बटन को दबाकर संकट के समय तत्काल सहायता ले सकती है। 12.07.2018 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान कुल 253155 डाउनलोड किए गए हैं, 158 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, 146 निवारक कार्रवाई की गई है और 5139 मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया गया है।

5. **डी॰एस॰आर॰ए॰एफ॰की तैनाती** : सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में महिलाओं के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए हर जिले में छेड़खानी रोधक अमला तैनात किया गया है और 'दुर्गा शक्ति अभियान' नियमित रूप से चलाया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए पूरे राज्य में 46 गश्त करने वाले समर्पित वाहनों के साथ' दुर्गा शक्तित्वरित कार्यवाही बल' (Durga Shakti Rapid Action Force) की 24 कंपनियों को तैनात किया गया है।

6. **पीड़ितों को कानूनी सहायताः–** हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने बलात्कार और अन्य महिला और बच्चों के विरूद्ध अपराधों के पीडितों के लिए कानूनी सहायता अभियोजन परामर्श हेतु एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत बलात्कार और अन्य महिला और बच्चों के विरूद्ध अपराधों के पीडितों की सहायता के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिवों द्वारा महिला वकीलों को नियुक्त किया गया है।

7. **यौन उत्पीड़न उपचार इकाई का निमार्ण** : हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने यौन हमले के मामलों को संभालने के लिए राज्य में अस्पतालों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है। इसमें प्रत्येक जिले के सामान्य हस्पताल और उप–मण्डल हस्पताल में यौन आक्रमण उपचार इकाई (एस.ए.टीयू.), की सक्रियता, यदि कोई मामला संज्ञान में लाया जाता है तो, प्रत्येक जिले के सामान्य हस्पताल और उप–मण्डल हस्पताल में बलात्कार संकट केन्द्र (आरसीसी) की स्थापना और NIC द्वारा तैयार किए गए, MedLEaPR सॉफ्टवेयर, का उपयोग करके हरियाणा मेडिको लिगल मैन्युअल–2012 में निर्धारित प्रारूप पर महिला मैडिकल ऑफिसर/बोर्ड द्वारा मेडिको लीगल रिपोर्ट को तैयार करना इत्यादी शामिल है।

8. **जिला संरक्षण एवं प्रतिशेध अधिकारीः** प्रत्येक महिला पुलिस थाने में महिलाओं और बच्चों के लिए जिला स्तर पर एक विशिष्ट प्रकोष्ठ (Special Cell) की स्थापना की गई है, जिसका नेतृत्व 'जिला संरक्षण एवं प्रतिशेध अधिकारी' नाम से पदांकित, महिला एवं बाल विकास विभाग की एक महिला अधिकारी द्वारा किया जाता है।

9. **आत्मरक्षा प्रशिक्षणः–** आत्मरक्षा तकनीकों में प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारी आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा हो रही है।

10. **साईकिल रैली:–** हरियाणा पुलिस की महिला अधिकारियों की साइकिल राइडर्स द्वारा हरियाणा में 15.11.2021 से 10.12.2021 तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इन राइडर्स द्वारा सवारी करके राज्य के प्रत्येक जिले को कवर किया गया। इस रैली का मकसद महिलाओं और स्कूल/कॉलेज की लड़कियों में जागरुकता फैलाना था।

**स्थानीय एवं विशेष अधिनियम**

हरियाणा पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 457.53 लाख रुपये की राशि बरामद की गई। इस प्रकार सट्टा जुआ पर नियन्त्रण रहा।

**स्थानीय एवं विशेष अधिनियम –तुलनात्मक**

| क्र सं | अपराध का शीर्ष | वर्ष 2021 | वर्ष 2022 | अन्तर | प्रतिशत बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आबकारी अधिनियम | 10568 | 13405 | 2837 | 26.85 |
| 2 | मादक पदार्थ अधिनियम | 2728 | 3802 | 1074 | 39.37 |
| 3 | शस्त्र अधिनियम | 2820 | 3570 | 750 | 26.60 |
| 4 | जुआ अधिनियम | 3536 | 5935 | 2409 | 68.13 |
| 5 | भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम | 327 | 378 | 51 | 15.60 |
| 6 | अन्य स्थानीय एवं विशेष अधिनियम | 8054 | 8404 | 340 | 4.22 |
| | कुल योग | **28033** | **35494** | **7461** | **26.62** |

**CASES REGISTERED UNDER LOCAL & SPECIAL LAW IN 2021 & 2022**

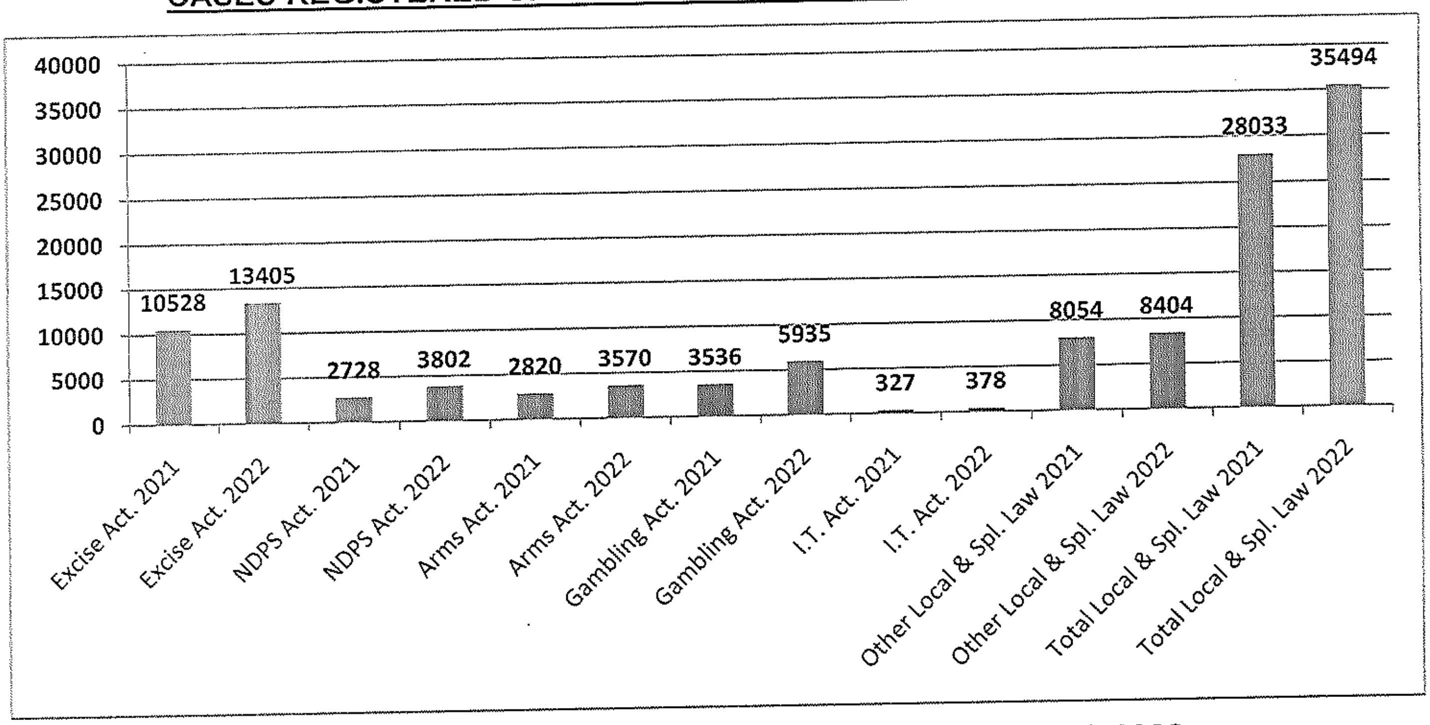


**CASES REGISTERED UNDER ARMS ACT FROM 2013 TO 2022**

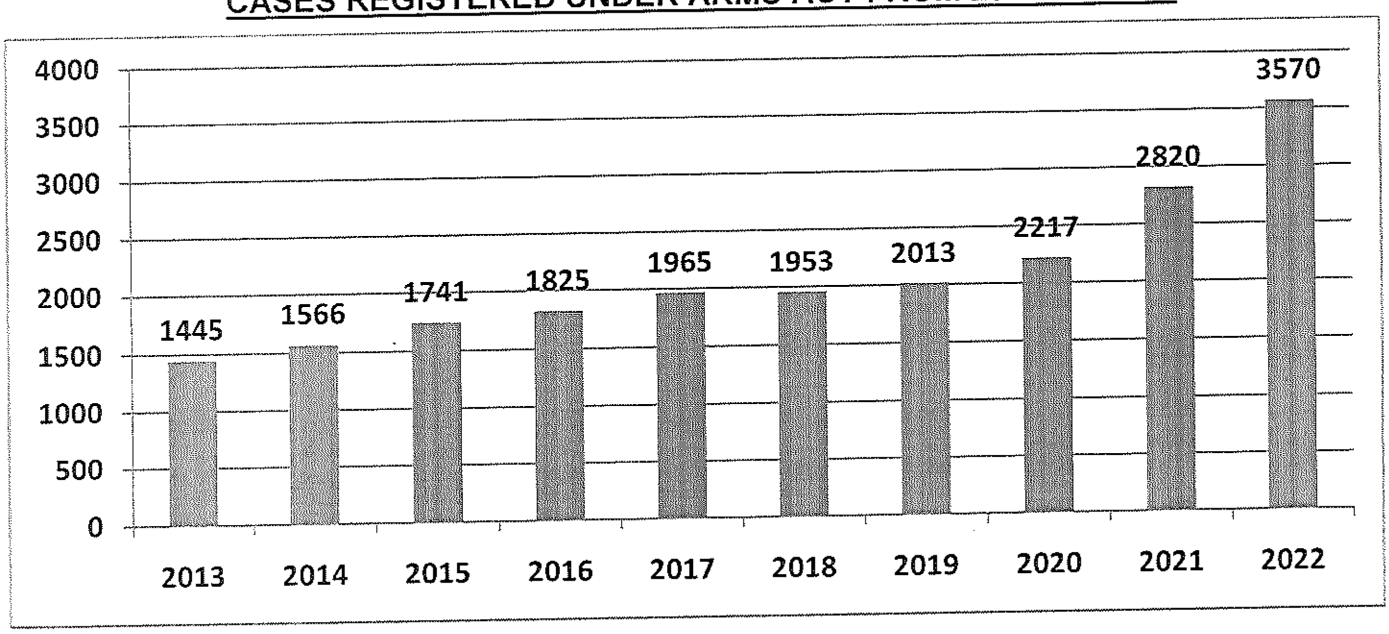

CASES REGISTERED UNDER NDPS ACT FROM 2013 TO 2022

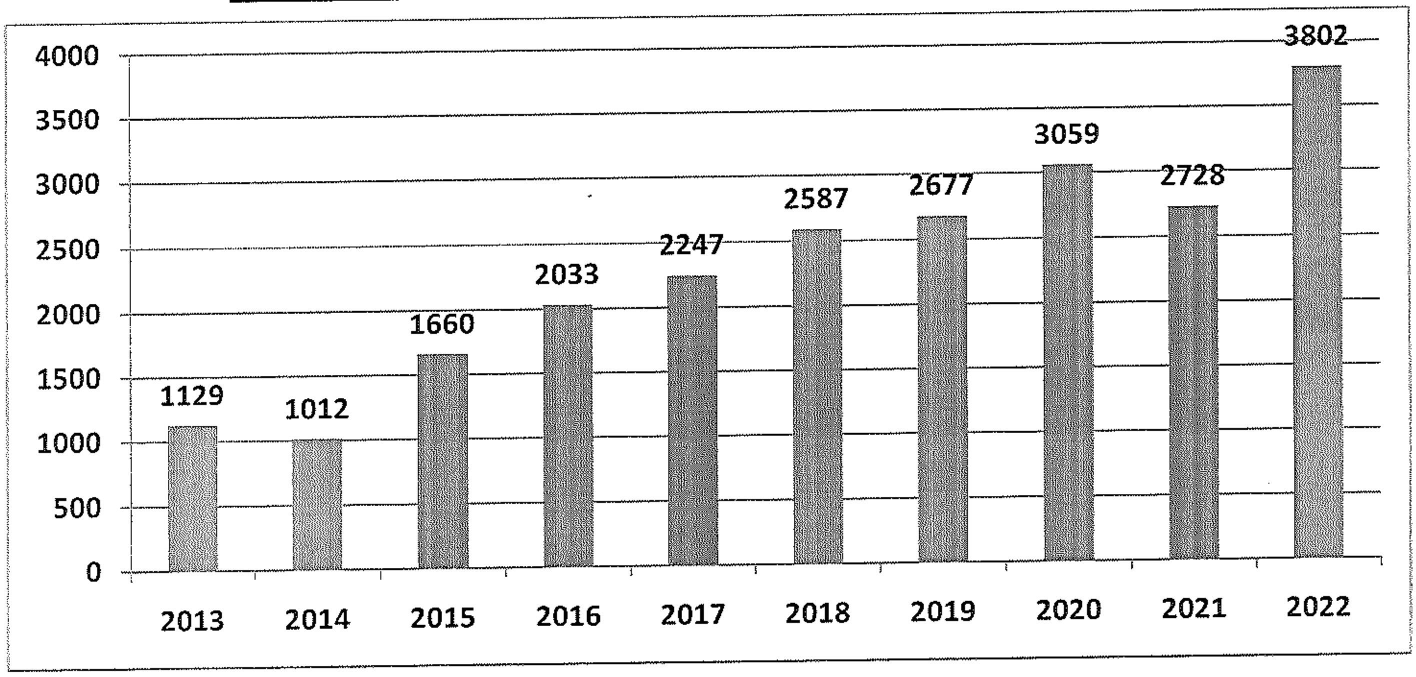


CASES REGISTERED UNDER GAMBLING ACT FROM 2013 TO 2022

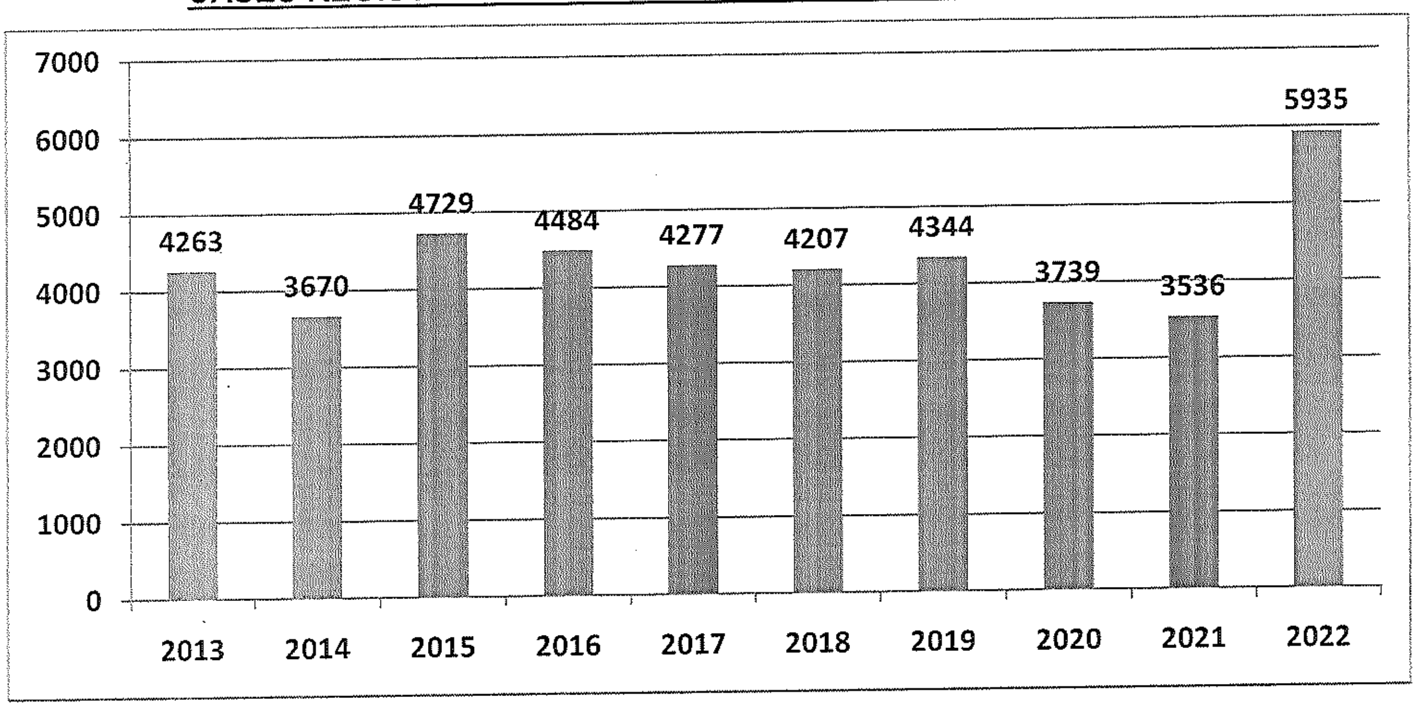


CASES REGISTERED UNDER EXCISE ACT FROM 2013 TO 2022

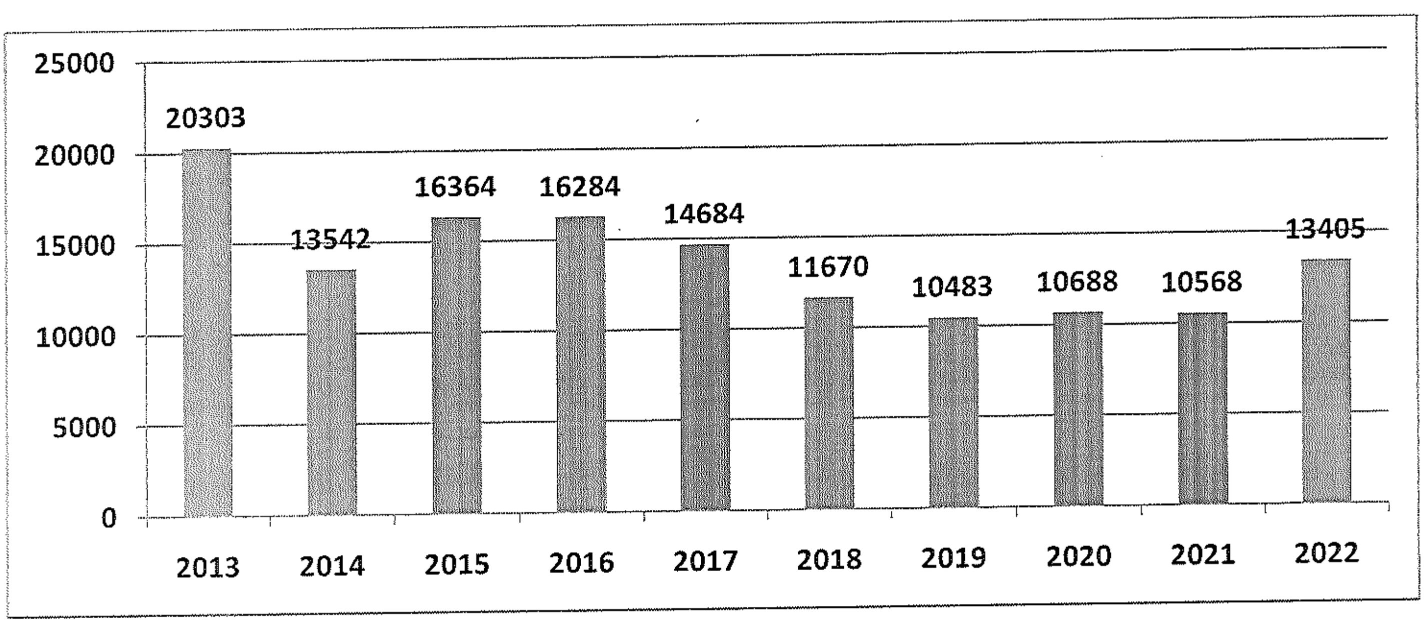

पिछले 5 वर्षों के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं के दर्ज मुकदमें

| वर्ष | सड़क दुर्घटनाऐं | घातक दुर्घटनाऐं | गैर घातक दुर्घटनाऐं |
|---|---|---|---|
| 2018 | 12109 | 4974 | 7135 |
| 2019 | 11479 | 4799 | 6680 |
| 2020 | 9763 | 4220 | 5543 |
| 2021 | 10468 | 5015 | 5453 |
| 2022 | 11009 | 5242 | 5767 |

वर्ष 2022 में गिरफ्तार कुख्यात अपराधिक गिरोह

| अपराधिक गिरोह | | |
|---|---|---|
| 1 | डकैती | 11 |
| 2 | लूट | 29 |
| 3 | गृहभेदन | 71 |
| 4 | चोरी | 262 |
| 5 | अन्य | 100 |
| 6 | कुल | 473 |
| 7 | चोरी शुदा सम्पति बरामद लाख (रु0) में | 1812.18 |

## मण्डलवार अपराध का ब्यौरा

### अम्बाला मण्डल (जिलेवार अपराध)

#### अम्बाला

#### हत्या के मामले में 01 आरोपी गिरफ्तार

थाना महेशनगर में दर्ज हत्या के मामले अभियोगांक 54 दिनांक 20.01.22 धारा 302/307/34 भा.द.स. व 25 शस्त्र अधिनियम थाना महेशनगर में पुलिस ने कार्यवाही करते हुऐ आरोपी विरेन्द्र प्रताप उर्फ काला राणा पुत्र जोगिन्द्र सिंह वासी गांव औगंद थाना निसंग जिला करनाल को दिनांक 20.04.2022 को गिरफ्तार किया है।

इस मामले के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता सुभाष राणा उर्फ मोनू पुत्र सुरेन्द्र सिंह वासी गांव रजापुर थाना हण्डेसरा जिला एस.ए.एस. नगर मोहाली पंजाब ने थाना महेशनगर में कथन अंकित करवाया था कि उसके छोटे भाई मोहित राणा का वीजा अमरीका का लगा हुआ था जो वह दोनों भाई विदेश भेजने की तैयारी कर रहे थे। उसका भाई मोहित राणा अपनी गाडी संख्या पी.बी–65–ए.यू.–8688 मार्का वरना को लेकर अपने दोस्त विशाल उर्फ भोला पुत्र स्वर्ण कुमार वासी मकान न. 2980 कच्चा बाजार अम्बाला छावनी के साथ जगाधरी रोड से विश्वास मोटर से होता हुआ डी.ए. वी. राईवर स्कूल कट महेशनगर के पास पहुंचा तो पीछे अम्बाला छावनी टांगरी नदी की तरफ से सफेद रंग की कार मार्का ईको स्पोर्ट आई। जिसमें चार/पाचं लडके थे जो गाडी की बांई खिडकी से दो लडके उतरे। जिनके हाथों में पिस्टल थे। जिन्होने एक दम उसके भाई मोहित राणा व उसके दोस्त विशाल भोला पर अंधा धुध गोलिया चला दी जो उसके भाई के सिर में छाती पर दाहिनी टांग व पसलियों पर 20/25 गोलियां लगी व उसके भाई के दोस्त विशाल भोला को भी गोलियां लगी, जो वह अपने भाई मोहित राणा को लेकर सिविल हस्पताल, अम्बाला छावनी लेकर गये। जहां पर डाक्टर ने चैक करने के बाद उसके भाई को मृत घोषित कर दिया तथा विशाल भोला को पी.जी.आई. चण्डीगढ रैफर कर दिया था।

**हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार**

थाना शहजादपुर में दर्ज हत्या के मामले अभियोगाक 48 दिनांक 15.03.21 धारा 148/149/323/302 भा.द.स. थाना शहजादपुर में पुलिस ने कार्यवाही करते हुये आरोपी बोबी पुत्र सिकरम वासी शहजादपुर थाना शहजादपुर को दिनांक 17.04.2022 को गिरफ्तार किया है।

इस सम्बन्ध में शिकायकर्ता शुभम सिंह पुत्र तरसेम सिंह वासी गांव बीबीपुर थाना शहजादपुर ने थाना शहजादपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिनांक 15.03.21 को समय करीब 05:00 पी.एम. बस अडडा शहजादपुर पहुंचे तो देखा कि बोबी पुत्र सिकरम, विक्की पुत्र जसबीर, लखन उर्फ लख्खु पुत्र सतीश उर्फ सील, अमन पुत्र मुकेश, अनमोल पुत्र सुभाष, विशु पुत्र पवन, अमन पुत्र जसबीर सिंह उर्फ जस्सी, रमला पुत्र संजीव कुमार उर्फ सन्जु, प्रिन्स उर्फ काला पुत्र पिन्की व मोहित जिसके पिता का नाम वह नही जानता सभी वासीयान शहजादपुर व कुछ अन्य लडके एकदम बस अडडा के अन्दर हम मश्वरा होकर आ गये जो बोबी के हाथ में बिण्डा, विक्की के हाथ में बिण्डा, लखन उर्फ लख्खु के हाथ में बेस बाल का डण्डा व अमन के हाथ में ईंट व विशु के हाथ में पत्थर व अन्य लडको के हाथ में भी डण्डे थे। जिनके नाम नही जानता सामने आने पर पहचान सकता है जो बोबी ने अपने हाथ में पकडा बिण्डा उसके दोस्त पारस के सिर में मारा और अन्य भी डण्डा पारस में सिर में मारा जो वह पारस का उठाकर सिविल हस्पताल, शहजादपुर ले गये। जहां पर डाक्टर ने पारस को चैक करने के बाद मृत घोषित कर दिया।

**अपहरण के मामले में आरोपी गिरफ्तार**

थाना साहा में दर्ज अपहरण के मामले अभियोगांक 131 दिनांक 15.05.22 धारा 365 भा.द.स. थाना साहा में आरोपी आदेश कुमार पुत्र तरसेम लाल वासी गांव बडा गांव थाना नारायणगढ को दिनांक 18.05.22 को गिरफ्तार किया है।

इस मामले में शिकायतकर्ता सोमनाथ पुत्र मुंशी राम वासी गांव साहा ने थाना साहा में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिनांक 14.05.22 को समय करीब 11:00 ए.एम. पर आदेश कुमार पुत्र तरसेम लाल वासी गांव बडागांव थाना नारायणगढ की पौत्र जश्न कुमार उर्फ जश्नदीप उम्र 11 साल को मोटरसाइकिल पर उठाकर ले गया है।

**लूट के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार**

थाना बलदेव नगर में दर्ज लूट के मामले अभियोगाक 283 दिनांक 20.05.22 धारा 392 भा.द.स. थाना बलदेव नगर में आरोपियान मोहित पुत्र विनोद कुमार वासी गांव धर्मगढ थाना सदर पानीपत जिला पानीपत व साहिल पुत्र जितेन्द्र वासी गांव बला, थाना मुनक, जिला करनाल को दिनांक 23.05.22 को गिरफ्तार किया गया है।

इस मामले में शिकायकतकर्ता अरूण कुमार पुत्र सुभाष चन्द वासी जय माता दी हाउस कृष्ण नगर शिमला जिला शिमला हिमाचल प्रदेश ने थाना बलदेव नगर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह दिनांक 19.05.22 को समय करीब 09:56 पी.एम. पर भाहबाद से चण्डीगढ की तरफ अपनी गाडी एच.पी.–07–डी–0937 को चला कर आ रहा था। जैसे ही वह काकरू के पास पहुंचा तो पीछे से एक मारूति कार सिलवर रंग की उसकी गाडी के पास आकर रूकी जो उसने अपनी के एक दम ब्रेक लगाये। जिसमें से चार नौजवान व्यक्ति नीचे उतरे और उनमें से एक के हाथ में चाकू था। जिन्होने उसकी गाडी का शीशा खुलवाया और कहने लगे कि वह एक्सीडैन्ट करके आया है और वह नीचे उतर गया। इनता कहते ही उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू को उसके पेट में लगाकर कहने लगा कि वह साईड में हो जाये और उसकी गाडी को उससे छीनकर भाग गये।

**हत्या के प्रयास व लूट के मामले 05 आरोपी गिरफ्तार**

थाना सदर अम्बाला में दर्ज लूट व हत्या के प्रयास के मामले अभियोगांक 266 दिनांक 17.12.21 धारा 148/149/307/341/395/427/120–बी थाना सदर अम्बाला में पुलिस ने कार्यवाही करते हुये आरोपी मनोज कुमार पुत्र जसवन्त सिंह वासी गांव जबीरन थाना सरसांवा जिला सहारनपुर, उतरप्रदेश को दिनांक 28.06.22 को गिरफ्तार किया गया है।

इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता महिन्द्र पुत्र सरदार कर्म संह वासी सरस्वती नगर सिंघावाला अम्बाला शहर ने थाना सदर अम्बाला में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह शराब के कारोबार का धन्धा करता है। उसके नाम पर मुलाना में 540 वर्गगज का एक प्लाट है। जिस पर अंकित राणा वासी मुलाना उसकी बदमाश टीम ने उसके प्लाट पर जबरदस्ती कब्जा करने चाहते है। उसके व उसके परिवार को जान से मारकर जेल जाने की धमकी दी थी और कहता है कि उसका काम तमाम करके 20 साल की सजा काट लेगा। जिस सम्बन्ध मे उसने थाना मुलाना में अभियोगांक 318 दिनांक 15.12.21 दर्ज करवाई थी। इसी रंजिश रखते हुये अंकित राणा ने उसको अकेला पाकर सिंघवाला धर्म कांटा के सामने 3/4 गाडियों में आकर उसके उपर हमला बोल दिया। उसकी गाडी को तोड दिया और उसकी दोनों टांगो पर बुरी तरह से राड मारी। उसकी दोनों बाजुओ पर चोटे मारी। उसे बिल्कुल मरी हुई हालत में छोड कर भाग गये जो वह करीब 10/15 आदमी होंगे। जिनके हाथों में डण्डे लोहे की राडे थी। उसकी गाडी तोड दी। उसकी व उसकी गाडी से लाख/सवा लाख रूपये लुट कर ले गये।

<u>अपहरण के मामले में आठ आरोपी गिरफ्तार</u>

थाना अम्बाला शहर में दर्ज अपहरण के मामले अभियोगांक 289 दिनांक 14.06.22 धारा 365/364–ए/120–बी भा.द.स. व 25 शस्त्र अधिनियम थाना अम्बाला शहर में आरोपियान शुभम पुत्र रमेश कुमार वासी गांव दिनारपुर थाना साहा, आकाश पुत्र परमाल चन्द वासी गांव जासपुर थाना रायपुररानी जिला पंचकूला, अश्वनी पुत्र राकेश वासी गांव जटवाड थाना पंजोखरा, जोनी पुत्र प्रदीप कुमार वासी गांव पतरहेडी थाना शहजादपुर, हरबीर सिंह पुत्र सुखविन्द्र सिंह वासी गांव पंजोखरा थाना पंजोखरा राहुल सोनी पुत्र ओंकार नाथ वासी मकान न. 17 निर्मल विहार अम्बाला को दिनांक 14.06.22 को गिरफ्तार किया गया व बाल आरोपी समरजीत पुत्र अजीत वासी गांव बरनाला थाना पंजोखरा को दिनांक 14.06.22 को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी अमनदीप सिंह पुत्र सुखपाल सिंह वासी गांव पंजोखरा थाना पंजोखरा को दिनांक 15.06.22 को गिरफ्तार किया है।

इस मामले में शिकायतकर्ता विनय कुमार शुक्ला पुत्र राम प्रसाद शुक्ला वासी मकान न. 903/5 पुरानी घास मण्डी अम्बाला शहर ने थाना अम्बाला शहर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिनांक 13.06.22 को समय करीब 08:00 पी.एम. पर उसके घर के सामने एक सफेद रंग की गाडी में तीन/चार आदमी उतरे और उसके लडके जय कुमार उर्फ सोनू शुक्ला उम्र 32 साल के साथ मारपीट की तथा उसके लडके को जबरदस्ती गाडी में उठाकर ले गये जो गाडी के आगे पीछे नम्बर पलेट में लाल रंग का कपडा लगा हुआ था।

<u>ईनामी तीन अति वांछित अपराधी गिरफ्तार</u>

थाना अम्बाला शहर के अभियोगांक 704 दिनांक 27.08.2020 धारा 363/366–ए भा.द.स. व 4,6,17 पोक्सो अधिनियम थाना अम्बाला शहर में पुलिस ने काफी समय से फरार चल रहे ईनामी अति वांछित अपराधी दीशा पुत्र राज कुमार वासी डेहा कालोनी अम्बाला शहर को दिनांक 23.06.22 को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

थाना पंजोखरा के अभियोगांक 171 दिनांक 08.12.19 धारा 302/419/420/120–बी भा.द.स. थाना पंजोखरा में पुलिस ने काफी समय से फरार चल रहे ईनामी अति वांछित अपराधी सलमान खान पुत्र हबीब खन वासी हिंगपुरा थाना पुनहाना जिला मेवात को दिनांक 24.06.22 को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना शहजादपुर के अभियोगांक 199 दिनांक 04.10.21 धारा 148/149/323/447/506/509 भा.द.स. व 25 भास्त्र अधिनयिम थाना शहजादपुर में पुलिस ने काफी समय से फरार चल रहे ईनामी अति वांछित अपराधी गोल्डी पुत्र चुहडा राम वासी गांव खेडी थाना रायपुररानी जिला पंचकूला को दिनांक 28.06.22 को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

**<u>ब्लाईंड मर्डर की गुत्थी सुलझी आरोपी गिरफ्तार</u>**

थाना नारायणगढ में दर्ज हत्या के मामले अभियोगांक 29 दिनांक 16.01.22 धारा 302 भा.द.स. में पुलिस ने कार्यवाही करते हुये आरोपी आरोपी सन्दीप कुमार पुत्र लक्ष्मण दास वासी गांव खानपुर लबाणा थाना नारायणगढ को दिनांक 03.08.2022 को गिरफ्तार किया है।

इस मामले के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता सिमरनजीत कौर पत्नी हैप्पी वासी गांव खानपुर लबाणा थाना नारायणगढ ने थाना नारायणगढ में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिनांक 15.01.22 को समय करीब 06/06:30 पी.एम. पर उसका पति हैप्पी उम्र 28 साल बिना बताये कहीं चला गया है जो वापिस नही आया। जिस पर अभियोग अंकित किया जाकर अनुसन्धान उप पुलिस अधीक्षक, नारायणगढ के नेतृत्व में प्रबन्धक थाना नारायणगढ, प्रभारी साईबर सैल व प्रभारी सी.आई.ए.–नारायणगढ द्वारा किया गया। दौराने अनुसन्धान दिनांक 16.01.22 को गुमशुदा हैप्पी का शव दलजीत सिंह पुत्र बलवन्त सिंह वासी गांव खानपुर लबाणा के खेतों में से मिलने पर अभियोग से धारा 346 भा.द.स. हटाई व धारा 302 भा.द.स. लगाई गई थी।

**कबूतरबाजी के गिरोह का भंडाफोड़**

थाना अम्बाला छावनी में अंकित कबूतरबाजी के मामले अभियोगांक 740 दिनांक 13.12.2022 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 34, 120–बी भा.द.स. व 24 इमीग्रेशन एक्ट थाना अम्बाला छावनी में पुलिस ने कार्यवाही करते हुये 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया करके 37 लाख रुपये नकद, 111 पासपोर्ट, 07 वाहन, 04 मोबाईल फोन व 01 लैपटॉप बरामद किया गया।

**स्पैशल अभियान (Reg- PO, BJ) में सफलता**

दिनांक 14.02.2023 से 28.02.2023 तक माननीय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध, हरियाणा द्वारा चलाये गये स्पैशल अभियान (Reg- PO, BJ) के सम्बन्ध में जिला पुलिस अम्बाला द्वारा 52 पी.ओ. व 29 बेल जम्पर पकडने में सफलता प्राप्त की है।

<u>उद्घोषित अपराधी व बेल जम्पर गिरफ्तार</u>

जिला अम्बाला पुलिस ने वर्ष 01.04.2022 से 31.03.2023 तक 348 उद्घोषित अपराधियों व 211 बेल जम्परों को पकड़ कर उसे सम्बन्धित न्यायालयों में पेश किया।

<u>रोहतक मण्डल (जिलेवार अपराध)</u>

1. <u>रोहतक</u>

<u>मुख्य उपलब्धियाँ</u>

| अभियोग संख्या 279 दिनांक 17.06.21 धारा 148/149/302/307/323/452/ 506/120बी भा.द.स. एवम् 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना महम | |
|---|---|
| मुदई (पूरा नाम पता सहित) | जगदीश पुत्र मांगे राम जाति जाट वासी सैमाण |
| मृतक (पूरा नाम) | **मृतक 1.** रोहित पुत्र जगदीश बा उम्र 23 साल मुदई का लडका।<br>**घायल 1.** अनेश<br>**2.** सन्दीप पुत्र सत्यवान वासी सैमाण |
| घटना स्थल व समय | गांव सैमाण दिनांक 16.06.21 समय 9:00 पी.एम.। |
| प्रयुक्त हथियार | पिस्तौल |
| मोटिव ऑफ क्राईम (रंजिश आदि) | वर्ष 2020 में हुई कहासुनी की रंजिश। |
| बरामद की गई सम्पति | मौका से पिस्तोल, 4 रौन्द, 33 खाली खौल एवम् सिक्के, 1 मोटरसाईकिल। |

| | |
|---|---|
| दोषीयान जो गिरफ्तार हो चुके। (गिरफ्तारी तिथि व किस से क्या बरामदगी हुई) | 1. पवन उर्फ रमलु पुत्र कुलदीप वासी सैमाण गि. 18.06.21 (मोटर साईकिल)<br>2. सन्दीप पुत्र रामफल वासी सैमाण। गि. 18.06.21<br>3. कुलदीप पुत्र रामकुमार वासी सैमाण। गि. 18.06.21<br>4. बाला पत्नी कुलदीप वासी सैमाण। गि. 19.06.21<br>5. सुमित उर्फ छोटा पुत्र राजेन्द्र जाति जाट वासी सैमाण। गि. 25.06.21<br>6. ललित उर्फ टुग्गी पुत्र सतीश वासी सैमाण गि. 18.07.21 (मोटर साईकिल)<br>7. यागेश पुत्र अशोक वासी सैमाण। गि. 18.07.21<br>8. अमरदीप उर्फ भुरीया पुत्र सतबीर वासी बलियाली जिला भिवानी 02.09.21<br>9. अंकित पुत्र सतीश वासी आंवली सोनीपत 02.09.21<br>10. मनप्रीत उर्फ गोलू पुत्र रणबीर वासी दोदवा सोनीपत 02.09.21<br>11. अमित उर्फ मीता पुत्र राजेन्द्र वासी सैमाण 04.09.21<br>12. विनय पुत्र बिजेन्द्र वासी आंवल रोहतक गि. 04.09.21<br>13. अमित उर्फ डान पुत्र बलजीत वासी सैमाण। गि 01.01.22<br>14. अक्षय उर्फ प्रवेश उर्फ खुशीराम पुत्र सतबीर उर्फ सत्ते वासी बसौदी सोनीपत गि. 30.01.22<br>15. विकास उर्फ मटरी पुत्र कुलदीप वासी सैमाण। 26.03.22 |
| दोषीयान जिनकी गिरफ्तारी बकाया है। | राहुल पुत्र चान्दराम वासी सांगा जिला भिवानी। प्रोडक्सन वारंट 08.04.22 |
| अनुसंधानकर्ता का नाम व पद | स.उप.नि. सुशील (CIA-1) 9416474593 |
| तसदीक करने वाले अधिकारी का नाम व पद। | श्री हेमेन्द्र कुमार मीणा, भा.पु.से, सहायक पुलिस अधीक्षक, महम। |
| संक्षिप्त हालात मुकदमा | यह अभियोग मुदई उपरोक्त की दरखास्त पर दर्ज किया गया कि दिनांक 16.6.21 को शाम करीब 9 बजे बाला पत्नी कुलदीप उनके घर के सामने से गाली व धमकी देते हुए निकली तभी 4/5 मोटर साईकिल उनके घर के सामने रूकी। उनमें से 5/6 लडके फायर करते हुए मुदई के घर में दाखिल हुए व अन्दर आकर अन्धाधुध फायरिंग शुरू कर दी। जो मुदई के लडके रोहित दामाद अनेश व सन्दीप पुत्र सत्यवान को लगी। शोर मचाने पर वे सभी गोलियां चलाते हुए निकल गए। जो मुदई ने अमित उर्फ मीतू से हाथापाई करके पिस्तौल छीन ली व उनकी एक मोटर साईकिल मौका पर छूट गई, फायर करने वालों में मीतू पुत्र राजेन्द्र, रमलू पुत्र कुलदीप, विकास उर्फ मटरी पुत्र कुलदीप, सन्दीप पुत्र रामफल थे। उपरोक्त सभी ने ढीलू पुत्र राजेन्द्र के साथ सलाह मशोवरा होकर गोलियां मारी है। रोहित की गोली लगने से मौत हो गई। दिसम्बर 2020 में इुई कहासुनी की रंजिश के कारण यह हत्या की है। |
| अब तक की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण एवं वर्तमान स्थिति | अभियोग में आरोपी पवन उर्फ रमलू, सन्दीप व कुलदीप को दिनांक 18.06.21 को, बाला पत्नी कुलदीप के दिनांक 19.06.21 को सुमित पुत्र राजेन्द्र को दिनांक 25.06.21 को ललित उर्फ टुग्गी व योगेश को दिनांक 18.07.21 को गिरफ्तार किया गया। अभियोग में आरोपी राहुल पुत्र चान्द राम के प्रोडक्सन वारंट 25.11.2021 (बन्द तिहाड जेल दिल्ली) है। आरोपी अमरदीप, अंकित, मनप्रीत, अमित व विनय को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियोग का चालान दिनांक 30.08.21 को तैयार किया जाकर दिनांक 14.09.21 को समायत हेतू न्यायालय में दिया जा चुका है। अभियोग में आगामी तारीख पेशी 09.12.21 लगी हुई है। अभियोग विचाराधीन न्यायालय है। अभियोग में आरोपी अमित उर्फ डोन को दिनांक 01.01.22, अक्षय पुत्र सतबीर बसौदी को दिनांक 30.01.22 को गिरफ्तार किया जा चुका है। विकास उर्फ मटरी को दिनांक 26.03.22 को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियोग में आरोपी राहुल पुत्र चान्द राम वासी सांगा जिला भिवानी की गिरफ्तारी बकाया है। |

| अभियोग संख्या 527 दिनांक 27.08.21 धारा 302/307 भा.द.स. एवम् 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना शिवाजी कालोनी रोहतक। | |
|---|---|
| मुदई (पूरा नाम पता सहित) | प्रवीन पुत्र राजेन्द्र जाति जाट वासी सांपला |
| मृतक (पूरा नाम ) | 1. प्रदीप उर्फ बबलू पुत्र प्रताप वासी बाग वाली गली विजय नगर रोहतक। ( बा उम्र 48 वर्ष)<br>2. सन्तोष उर्फ बबली पत्नी प्रदीप उर्फ बबलू वासी बाग वाली गली विजय नगर रोहतक। ( बा उम्र 42 वर्ष)<br>3. रोशनी देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह वासी सांपला। ( बा उम्र 60 वर्ष)<br>4. नेहा पुत्री बबलू बाग वाली गली विजय नगर रोहतक। (बा उम्र 19 वर्ष) (मृत्यु 29.08.21) |
| घटना स्थल व समय | बाग वाली गली विजय नगर रोहतक। |
| प्रयुक्त हथियार | पिस्तौल |
| दोषीयान जो गिरफ्तार हो चुके। (गिरफ्तारी तिथि व किस से क्या बरामदगी हुई) | 1. अभिषेक पुत्र बबलू वासी बाग वाली गली विजय नगर रोहतक।<br>गि. 01.09.21 |
| अनुसंधानकर्ता का नाम व पद | निरीक्षक बलवन्त 7082999119 |
| संक्षिप्त हालात मुकदमा | यह अभियोग मुदई प्रवीन उपरोक्त की दरखास्त पर दर्ज हुआ है कि उसका जीजा प्रदीप उर्फ बबलू प्रोपर्टी का काम करता था व विजय नगर रोहतक में रहता था। दिनांक 27.08.21 को समय 2:19 पी.एम0 पर मुदई के भान्जे अभिषेक का फोन आया कि उसके मम्मी–पापा फोन नहीं उठा रहे है और ना ही दरवाजा खोल रहे है। जिस सूचना पर मुदई अपनी बहन के मकान विजय नगर पहुँचा तो देखा की नीचे वाले कमरे में उसका जीजा प्रदीप उर्फ बबलू चारपाई पर मृत अवस्था में था। जिसके माथे पर गोली का घाव था। उपर वाल कमरे में मुदई की बहन सन्तोष व मुदई की माता रोशनी देवी जो 2 दिन पहले आई थी, दोनो की नाश फर्श पर पडी हुई थी व काफी मात्रा में खून निकला हुआ था। मुदई की भान्जी नेहा को पडोसी मैडीकल में लेकर गए है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने किसी रंजिश के कारण प्रदीप, सन्तोष व रोशनी देवी की गोली मारकर हत्या की है और नेहा को जान से मारेन की नीयत से गोली मारी है। |
| अब तक की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण एवं वर्तमान स्थिति | दिनांक 29.08.21 को दौराने उपचार पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में पीडित नेहा की मृत्यु हुई। अभियोग में आरोपी अभिषेक पुत्र बबलू को दिनांक 01.09.21 को गिरफ्तार किया गया। अभियोग का चालान दिनांक 16.10.21 को तैयार किया जाकर दिनांक 25.11.2021 को समायत हेतू न्यायालय में दिया जा चुका है। अभियोग विचाराधीन न्यायालय है। अभियोग आगामी अनुसन्धान हेतू राज्य अपराध शाखा में भेजा गया है। |

| अभियोग संख्या 11 दिनांक 06.01.22 धारा 302/34 भा.द.स. एवं 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना शिवाजी कालोनी रोहतक। | |
|---|---|
| मुदईया (पूरा नाम पता सहित) | रोबिन पुत्र जयपाल वासी शीतल नगर रोहतक। |
| मृतक/पिड़ित (पूरा नाम पता सहित) | जगदेव मुदई का भाई उम्र 26 साल |
| घटना स्थल व समय | जलघर के सामने शीतल नगर रोहतक। दिनांक 06.01.22 |
| प्रयुक्त हथियार | पिस्तोल |
| मोटिव ऑफ काईम (रंजिश आदि) | पुरानी रजिंश |
| बरामद किये गए हथियार व गाड़ी | |
| दोषीयान जो गिरफ्तार हो चुके। (गिरफ्तारी तिथि व किस से क्या बरामदगी हुई) | 1. अजय पुत्र वजीर वासी खेडी दमकल, सोनीपत गि 20.01.22<br>2. प्रवीन पुत्र अजमेर वासी खेडी दमकल सोनीपत गि 20.01.22<br>3. मोहित पुत्र विजय वासी खेडी दमकल सोनीपत गि 20.01.22<br>4. बन्टी पुत्र जसमेर वासी खेडी दमकल सोनीपत। गि 04.02.22 |

| | |
|---|---|
| | 5. आकाश उर्फ गट्टी पुत्र आजाद गुर्जर वासी कमला नगर रोहतक हाल रोहणी दिल्ली। गि. 22.03.22<br>6. अमित उर्फ मिता पुत्र विनोद वासी बिटाना शहजादपुर सोनीपत। 22.03.22 |
| दोषीयान जिनकी गिरफ्तारी बकाया है। | 1. पंकज पुत्र रमेश वासी सुनारिया<br>2. नरेश उर्फ सेठी पुत्र धनीराम वासी सिलानी गेट झज्जर।<br>3. कपिल मान पुत्र बृहमप्रकाश वासी शहबाद डेयरी दिल्ली। |
| अनुसंधानकर्ता का नाम व पद | उप निरीक्षक नरेश 9728623615<br>एस.आई.टी. |
| तसदीक करने वाले अधिकारी का नाम व पद। | |
| संक्षिप्त हालात मुकदमा | मुदई रोबिन उपरोक्त की दरखास्त पर दर्ज हुआ है कि उसका झज्जर रोड पर जल घर के सामने brother building के नाम से आफिस है। करीब 8 महिने पहले लोकेश उर्फ गोगी ने आकाश उर्फ गिटटी के भाई का वैश्य कालेज मे मर्डर कर दिया था। उसमे आकाश ने मुदई का नाम भी लिखवा दिया था। उसी रंजिश के कारण दिनांक 06.01.22 को 3:00 पीएम पर मुदई का भाई जगदेव होका भरने आफिस के साथ लगते प्लाट में गया तो आकाश उर्फ गिटटी पुत्र आजाद वासी जनता कालोनी रोहतक व पंकज उर्फ सुनारिया ने जगदेव की गोली मारकर हत्या कर दी। व ईको स्पोर्ट गाडी में बैठकर भाग गए। उनके साथ अन्य व्यक्ति भी हो सकते है। कानुनी कार्यवाही की जाए। |
| अब तक की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण एवं वर्तमान स्थिति | अभियोग में आरोपियान (1) अजय पुत्र वजीर वासी खेडी दमकल, सोनीपत (2) प्रवीन पुत्र अजमेर वासी खेडी दमकल सोनीपत (3) मोहित पुत्र विजय वासी खेडी दमकल सोनीपत को दिनांक 20.01.22 एवमं बन्टी पुत्र जसमेर वासी खेडी दमकल सोनीपत को दिनांक 04.02.22 को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियोग में आरोपी (1) पंकज (2) नरेश उर्फ सेठी (03) अमित की गिरफतार बकाया है। अभियोग का चालान दिनांक 08.04.22 को तैयार करके दिनाक 19.04.22 को समायत हेतू न्यायालय में दिया गया। |

| **अभियोग संख्या 156 दिनांक 07.03.22 धारा 302/34/120बी/212 भा.द.स. एवम् शस्त्र अधिनियम थाना शिवाजी कालोनी रोहतक।** | |
|---|---|
| मुदई (पूरा नाम पता सहित) | जय सिंह पुत्र सतबीर वासी रिटौली। |
| मृतक/पीड़ित (पूरा नाम पता सहित) | हंसराज उर्फ हंसे पुत्र सतबीर मुदई का भाई |
| घटना स्थल व समय | गांव रिटौली दिनांक 07.03.22 समय 6:30 ए.एम. |
| प्रयुक्त हथियार | पिस्तौल |
| मोटिव ऑफ क्राईम (रंजिश आदि) | पुरानी रंजिश |
| दोषीयान जो गिरफ्तार हो चुके। (गिरफ्तारी तिथि व किस से क्या बरामदगी हुई) | 1. दौलत पुत्र जगत वासी रिटौली। गि. 12.03.22<br>2. नितेश उर्फ सचिन पुत्र रमेश वासी रिटौली। गि. 11.03.22<br>3. राहुल पुत्र सतपाल वासी कबूलपुर। गि. 11.03.22<br>4. रवि पुत्र चान्द वासी कबूलपुर। गि. 13.03.22<br>5. कपिल पुत्र जितेन्द्र वासी रिटौली। गि. 14.03.22<br>6. मोहित उर्फ सीता पुत्र दयाचन्द वासी बक्करवारा दिल्ली। गि. 25.03.22 |
| दोषीयान जिनकी गिरफ्तारी बकाया है। | 1. हिमांशु उर्फ शाऊ पुत्र कृष्ण वासी रिटौली।<br>2. जोगेन्द्र उर्फ गैरू पुत्र भगवाना वासी रिटौली।<br>3. बिजेन्द्र।<br>4. जयसिंह उर्फ बोडा।<br>5. अंकित उर्फ चुचु पुत्र हरविन्द्र वासी रिटौली।<br>6. अनिल उर्फ सीले पुत्र देवेन्द्र वासी रिटौली।<br>7. साहिल पुत्र कैलाश वासी रिटौली। |
| अनुसंधानकर्ता का नाम व पद | 01. P/SI सीमान्त 9991760216<br>02. उप.नि नरेश 9782623615 |

| | |
|---|---|
| तसदीक करने वाले अधिकारी का नाम व पद। | |
| संक्षिप्त हालात मुकदमा | यह अभियोग मुदई जय सिंह उपरोक्त की दरखास्त पर दर्ज हुआ है कि उसके बडे भाई हंसराज के पास प्राईवेट सोसाईटी की बस है जो दुबलधन वाया रिटौली, रोहतक चलती है। दिनांक 07.03.22 को समय 6:30 ए.एम. पर हंसराज बस लेकर घर से चला था। कुछ ही मिनट में सुचना मिली कि हंसराज को बाईक पर आए तीन व्यक्तियों ने गोली मार दी है। मुदई परिवार के साथ मौका पर पहुँचा तो देखा हंसराज घायल अवस्था में बस से कुछ ही दुरी पर पडा हुआ था। जिसको मैडीकल रोहतक में डाक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। हिमांशु उर्फ शाऊ पुत्र कृष्ण, जोगेन्द्र, बिजेन्द्र, जय सिंह व उसके परिवार वालों ने मुदई के भाई हंसराज की हत्या की है। |
| अब तक की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण एवं वर्तमान स्थिति | अभियोग में आरोपी दौलत को दिनांक 12.03.22, नितेश व राहुल को दिनांक 11.03.22, रवि को 13.03.22 एवम् कपिल को दिनांक 14.03.22, व मोहित उर्फ सीता को दिनांक 25.03.22 को गिरफ्तार किया गया। अभियोग अनुसधांनधीन है। |

वर्ष 2022–23 के दौरान जिला पुलिस रोहतक द्वारा विभिन्न अपराधों के 24 गैंग गिरफ्तार किये गये है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

| क.स. | गैंग की किस्म | कुल |
|---|---|---|
| 1 | डकैती | 0 |
| 2 | लूट | 03 |
| 3 | तार चोरी | 0 |
| 4 | आम चोरी | 08 |
| 5 | वाहन चोरी | 09 |
| 6 | जाल साजी | 0 |
| 7. | ट्रांसफार्मर चोरी | 0 |
| 8. | चेन छीनना | 01 |
| 9. | हत्या का प्रयास | 0 |
| 10 | ग्रह भेदन | 01 |
| 11. | पाईपलाईन तेल चोरी | 01 |
| 12. | साईकिल चौरी | 01 |
| | **कुल** | **24** |

2. <u>**झज्जर**</u>

**विशेष उपलब्धियां**

1. **मु0 न0 141 दिनांक 02.05.2022 धारा 302 भा.द.स. थाना लाईनपार बहादुरगढ़।**

मुदई धर्म सिंह पुत्र सुखी राम वासी 5 बिसवा जटवाडा मोहल्ला बहादुरगढ़ जिला झज्जर ने दरखास्त दी कि मेरा एक प्लाट बराही रोड विकास नगर बहादुरगढ़ नजदीक बराही फाटक के पास है जिसमें हमने नीचे दुकान व उपर किराये के लिए कमरे बना रखे है। दिनांक 29.04.2022 को एक लडका हरिभुषाण तिवारी पुत्र उमा शंकर वासी कुरी तहसील अचल नोखा जिला रोहताश बिहार हमारे मकान में किराये पर रहने के लिये आया था। दिनांक 02.05.2022 को दोपहर के समय मुझे सूचना मिली कि कमरा न0 7 से बदबू आ रही है। जब मैने वंहा जाकर देखा तो हरिभुषण तिवारी की लाश फर्श पर पडी थी। किसी नामपता नामालुम व्यक्ति ने तेजधार हथियार से गला रला रेत कर इसकी हत्या की है। तफतीशः– नि0 राजेश कुमार, प्रबन्धक थाना लाईनपार बहादुरगढ़। दिनांक 24.05.2022 को सन्जू उर्फ पिंकी पुत्र धर्मपाल वासी मकान न0 79 उढाती पती जिला बंदायू यु0पी0 हाल किरायेदार पटेल पार्क लाईनपार बहादुरगढ़ को गिरफतार किया गया। दिनांक 25.06.2022 को चालान तैयार किया गया। दिनांक 27.07.20202 को चालान न्यायालय में दिया गया।

2. **मु0 न0 216 दिनांक03.05.2022 धारा 302/34/379 भादस थाना बेरी।**

मुदई शमशेर सिंह पुत्र कंवल सिंह वासी दुबलधन किरमाण पाना जिला झज्जर ने दरखास्त दी कि मेरा छोटा भाई संजय कुमार उम्र 50 वर्ष खेत में बने मकान में रहता है। दिनांक 01.05.2022 को मेरा भाई संजय खेत में था और दिनांक 03.05.2022 को समय करीब 6.00 ए.एम. पर हमारे पडौसी ने मुझे सूचना दी कि तेरा भाई संजय खेत वाले मकान के पीछे पडा है। जब मै अपने परिवार के साथ खेतों में गया तो देखा में मेरा भाई मृत अवस्था में था जिसके शरीर पर चोटों के निशान थे। जिसके पास लाठी डन्डा पडा हुआ था और मेरे भाई का मोबाईल व मोटरसाईकिल भी वंहा नही थी। मेरे भाई संजय को किसी नामालुम व्यक्ति ने चोटे मारकर हत्या की है। तफतीशः— स.उ.नि. अजीत सिंह 9416945677, दिनांक 07.05.2022 को सुनिल पुत्र श्री भगवान वासी दुबलधन व सोमबीर पुत्र औमप्रकाश वासी दुबलधन को गिरफतार किया गया। दिनांक 14.07.2022 को चालान तैयार किया गया। दिनांक 29.07.2022 को चालान न्यायालय में दिया गया।

3. **मु0 न0 236 दिनांक09.06.2022 धारा 302/201 भादस थाना शहर झज्जर।**

मुदई नरेश पुत्र श्री जय किशन वासी वार्ड न0 15 रहनिया कालोनी झज्जर ने ब्यान किया कि मै ठेकेदारी का काम करता हुं। दिनांक 09.06.2022 को सुबह करीब 6.00 बजे मै घुमने के लिये गया था कि जब कालू प्रजापति की समाधि के पास पहुंचा तो मैने देखा कि एक व्यक्ति की नाश अधजली हालत में नाली में पडी हुई थी जिसके उपर ईंट भी पडी हुई थी और सिर व मुंह पर चोटे लगी हुई थी व दोनो पैर बंधे हुये थे। किसी नामपता नामालुम व्यक्ति ने इस नामपता नामालुम व्यक्ति की हत्या करके नाश को खुर्द—बुर्द करने के लिये जलाया है। तफतीशः— उप.नि. कर्मबीर सिंह 8930500629 दिनांक 09.06.2022 को 1. मोहित उर्फ पछी पुत्र रणधीर वासी रहणिया कालोनी झज्जर को गिरफतार किया गया। दिनांक 15.07.2022, 24.07.2022 को चालान तैयार किया गया। दिनांक 09.08.2022 को चालान न्यायालय में दिया गया।

4. **मु0 न0 198 दिंनाक 16.09.2022 धारा 302/201 भादस थाना दुजाना।**

मुदई धर्मपाल पुत्र राम गोपाल वासी वार्ड न0 3 सीताराम गेट झज्जर ने दरखास्त दी कि मेरे खेत रोहतक—झज्जर रोड पर गुढा फलाई ओवर से आगे है और दिनांक 16.09.2022 को सुबह 8.00 बजे मै अपने खेत में गया था तो मैने देखा कि सड़क के किनारे एक व्यक्ति की नाश पडी थी और उसके शरीर पर काफी चोटों के निशान थे। नाश को देखकर प्रतीत होता है कि नामालुम व्यक्तियों ने इसको चोटे मारकर हत्या की है और सबूत मिटाने के लिए यहां डाला है। तफतीशः— उप नि0 रविन्द्र कुमार 7027041008 दिनांक 20.09.2020 को विनय पुत्र विजय वासी खेडी जिला जफरपुर नई दिल्ली व विनायक उर्फ सोनू पुत्र कृष्ण उर्फ मुरली वासी खेडी जिला जफरपुर नई दिल्ली को गिरफ्तार किया गया।दिनांक 07.12.2022 को चालान तैयार किया गया। दिनांक 07.12.2022 को चालान न्यायालय में दिया गया।

5. **मु0 न0 264 दिंनाक 20.08.2022 धारा 307 भादस व 25—1बी.ए./54/59 आर्मस एक्ट थाना साल्हावास।**

मुदई सन्दीप पुत्र राजेन्द्र वासी खोरडा जिला झज्जर ने दरखास्त दी कि मै गांव बहू में सतीश पुत्र देवकरण की हार्डवेयर की दुकान पर काम करता हुं। दिनांक 20.08.2022 को सुबह करीब 7.15 पी.एम. पर दो नामालुम लडके एक मोटर साईकिल पर आये दुकान के बाहर खडे होकर मुझे जान से मारने की नियत से मेरे उपर पिस्तोल से फायर किया जिससे मै बच गया और भाग गये। अनुसन्धानकर्ताः— स.उ.नि. जिले सिह 9416486507, दिनांक 09.09.2022 को आरोपी विरेन्द्र उर्फ रिन्कू पुत्र बिशन सिंह व रणधीर उर्फ पोनी पुत्र शिव कुमार वासी बहू को गिरफतार किया गया। दिनांक 05.11.2022 को चालान न्यायालय में दिया गया।

6. **मु0 न0 88 दिंनाक 06.06.2022 धारा 379बी भादस थाना माछरौली।**

मुदई ईकराम पुत्र अलीजान वासी देव नगर कालोनी वार्ड न0 4 झज्जर ने दरखास्त दी कि दिनांक 06.06.2022 को समय करीब 12.30 पी.एम. पर मै व मेरी बुआ का लडका शाहरूख गांव काहडी में भैंस–पाडा खरीदने के लिए आये थे तो एक स्पलैन्डर मोटर साईकिल पर दो लडके आये और हमें भैंस दिखाने के लिए कहकर अपने साथ काहडी के स्टेडियम में ले गये। इनमें से एक का नाम कुटू पुत्र कृष्ण वासी काहडी था जिन्होने हमारे साथ मार पिटाई की और मेरी जेब से 25 हजार रूपये निकाल लिए। मैने शोर मचाया और गांव की तरफ भाग लिया तो कुटू ने दोबारा से मुझे पकड कर दोबारा मारपीट की व मेरा पर्स छीन लिया। तफतीशः– स.उ.नि. रोहताश सिंह दिनांक 08.06.2022 को अमित उर्फ पाडा पुत्र उमेद सिंह वासी काहडी को गिरफतार किया गया। दिनांक 29.06.2022 को दिनेश उर्फ कुडडू पुत्र कृष्ण वासी काहडी झज्जर को गिरफतार किया गया। दिनांक 02.07.2022 को चालान तैयार किया गया। दिनांक 01.08.2022 को चालान न्यायालय में दिया गया।

7. **मु0 न0 141 दिंनाक 12.06.2022 धारा 379बी/34/341 भादस थाना दुजाना।**

मुदई कृष्ण कुमार पुत्र रामकुमार वासी मदाना खुर्द ने दरखास्त दी कि मै फिलिपकार्ड कम्पनी याकुबपुर में नौकरी करता हुं। दिनांक 12.06.2022 को समय करीब 10.00 पी.एम. पर मै अपनी डयूटी करके बस से वापिस अपने घर जा रहा था। मैने अपनी मोटर साईकिल न0 एच.आर.12ए.सी.–5281 छिकारा चौक पर खडी की हुई है। जब मै अपनी मोटरसाईकिल लेकर घर जा रहा था तो समय करीब 12.00 बजे दुजाना पुल के पास चमनपुरा की तरफ दो लडके मेरी मोटरसाईकिल के आगे आ गये और मेरी मोटर साईकिल को रूकवा लिया और धौड़ जाने के लिए कहने लगे। जब मैने मनां किया तो उन्होने मेरे साथ हाथापाई की और मेरी मोटर साइकिल व मोबाईल छीनकर भाग गये। तफतीशः– स.उ.नि. राम अवतार 9813972965, दिनांक 05.07.2022 को गोविन्द पुत्र विनोद वासी तलाव व अनिकेत पुत्र सतबीर वासी तलाव को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 20.08.2022 को चालान तैयार किया गया। दिनांक 03.09.2022 को चालान न्यायालय में दिया गया।

8. **मु0 न0 304 दिंनाक 19.07.2022 धारा 34/379बी/506 भादस व 25/54/59 आर्मस एक्ट थाना बेरी।**

मुदई संजय कुमार पुत्र. राधेश्याम वासी बेरी पाना चुल्याण ने दरखास्त दी कि मैने अपने भाई पनव कुमार के साथ मिलकर गाटर–पत्थर की दुकान की हुई है। दिनांक 19.07.2022 को समय करीब 7.15 पी.एम. मै दुकान बन्द करके एक थैले में एक लाख 55 हजार रूपये लेकर मेन बाजार से होते हुये निकला था। जब समय करीब 7.45 पी.एम. पर हलवाईयों वाली गली से गुजरा तो एक नौजवान लडका मुंह पर कपडा बांधे हुये मेरी तरफ आया और पीछे से एक मोटर साईकिल पर दो नौजवान लडके आये। जिन्होंने मुझे हथियार दिखाकर मेरा थैला मांगा। फिर सामने से आ रहे लडके ने पिसतोल दिखाकर मुझसे रूपयों वाला थैला छीन लिया। फिर तीनों लडके जान से मारने की धमकी देकर वंहा से भाग गये। तफतीशः– स.उ.नि. जितेन्द्र सिंह 8930500618, दिनांक 15.08.2022 को धीरज पुत्र गोपाल वासी बेरी, अमन उर्फ ढीलू पुत्र कृष्ण वासी बेरी व संजय पुत्र विजय वासी बेरी को गिरफतार किया गया। दिनांक 16.12.2022 को कर्मबीर उर्फ करमु पुत्र कृष्ण उर्फ लाडे वासी बेरी पाना बैठान को गिरफतार किया गया। दिनांक 19.10.2022 को चालान न्यायालय में दिया गया।

3. <u>भिवानी</u>

<u>मुख्य उपलब्धियां</u>

1. **अभियोग संख्या 132 दिनांक 17.05.22 धाराधीन 346 भा0द0स0 तर्क 346 भा0द0स0 ईजाद 201.302.34 भा0द0स0 ईजाद 460 भा0द0स0 थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी।**

यह अभियोग शुभम पुत्र सुरेन्द्र वासी नजदीक जुगलाल स्कूल, कोन्ट रोड, भिवानी ने अंकित करवाया कि दिनांक 16.05.22 को मेरे पिता सुरेन्द्र उम्र 50 साल करीब 08.45 पी0एम0 पर मोटरसाईकिल न0 एच0आर0–16एल–6180 लेकर रोजाना की तरह बलवीर पुत्र दीपचन्द कबाडी के गोदाम कोन्ट रोड भिवानी पर चौकीदारी के लिए गया था, करीब 10. 15 पी0एम0 पर मेरे पिता की मेरी मां से फोन पर बात हुई कि मै गोदाम पर हुँ और सोने की तैयारी कर रहा हूँ। दिनांक 17.05.22 को सुबह बलवीर कबाडी का फोन आया कि तेरे पिता गोदाम पर नही और न ही मोटरसाईकिल है। कार्यवाही की जाए। जिस पर अभियोग अंकित किया जाकर अव्वल अनुसन्धान स0उ0नि0 विरेन्द्र द्वारा किया जाकर दौराने अनुसन्धान दिनांक 18.05.22 को उक्त सुरेन्द्र की नाश बलवीर कबाडी के गोदाम मे कट्टे के नीचे बरामद हुई, जिस पर मुदई द्वारा उक्त बलवीर व उसके लडके सुरेश पर उसके पिता की हत्या करने बारे ब्यान दिये गये जिस पर दिनांक 18.05.22 को अभियोग में धारा 346 भा0द0स0 तर्क की जाकर धारा 302.201.34 भा0द0स0 ईजाद की जाकर आगामी अनुसन्धान थाना प्रबन्धक, पश्चात् सी0आई0ए0 भिवानी/प्रथम द्वारा किया जाकर दौराने अनुसन्धान धारा 460 भा0द0स0 ईजाद की जाकर दोषीयान समीर अली पुत्र रूपान अली व बिपुल चन्दा सरकार पुत्र ज्योतिस सरकार वासीयान काहडा पथेर थाना बारपेटा जिला बजाली (आसाम) को दिनांक 01.06.22 को गिरफतार किया जाकर दिनांक 28.07.22 को चालान तैयार करके दिनांक 23.08.22 को न्यायालय में दिया गया।

2. **अभियोग संख्या 127 दिनांक 17.03.2023 धारा 379 भा0द0स0 थाना शहर भिवानी।**

यह अभियोग अजीत पुत्र गोरखराम वासी नीम चौक नया बाजार भिवानी ने अंकित करवाया कि दिनांक 17.03. 2023 को अज्ञात व्यक्ति मेरे मकान के सामने खडी मेरी स्कूटी की डिग्गी मे रखे 5 लाख रूपये चोरी करके ले गये। कार्यवाही की जाये।" जिस पर अभियोग उपरोक्त दर्ज रजिस्टर किया जाकर अव्वल अनुसन्धान उप निरीक्षक उमेद द्वारा अमल में लाया जाकर आगामी अनुसन्धान पी0ओ0/वाहन चोरी रोधक स्टाफ भिवानी द्वारा लाया जाकर आरोपी मुकेश कुमार उर्फ मुल्ला पुत्र कैलाश सिंह वासी आदर्श कालोनी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश को दिनांक 01.04.23 को गिरफतार करके आरोपी का 7 दिन पुलिस रिमांड माननीय अदालत से प्राप्त करके आरोपी से चोरी किये 40,000/रूपये बरामद किये गये तथा अन्य आरोपियों के नाम पता बारे जानकारी प्राप्त करने उपरान्त अन्य आरोपीयान की तलाश की गई, जिसके फलस्वरूप एक साथी आरोपी विजय उर्फ काले उर्फ टोटा पुत्र राजकुमार वासी आदर्श कालोनी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश को दिनांक 19.04.23 को नियमानुसार गिरफतार किया जाकर दिनांक 23.04.23 को आरोपी से 50,000/– बरामद किये गये। अन्य आरोपियान की तलाश व अनुसन्धान जारी है।

3. **अभियोग संख्या 263 दिनांक 15.07.22 धाराधीन 302 भा0द0स0 थाना बवानी खेडा।**

यह अभियोग संदीप पुत्र वजीर वासी बवानी खेडा ने अंकित करवाया कि दिनांक 14.07.22 को सुबह मेरा छोटा भाई दीपक उम्र 38 साल काम करने के लिए घर से गया था जो टायल पत्थर का काम करता है। दिनांक 15.07.22 को हमे सुचना मिली की मेरे भाई दीपक की नाश महिला कालेज बवानी खेडा के पास सडक पर पडी है। जो हम तुरन्त मौके पर गये तो देखा कि मेरा भाई दीपक सडक के किनारे पडा है जिसके सिर पर काफी चोटे लगी हुई है और पास में एक ईंट पडी हुई है उस पर भी काफी खुन लगा हुआ है। कार्यवाही की जाये। जिस पर अभियोग दर्ज करके रजिस्टर किया जाकर अनुसन्धान थाना प्रबन्धक द्वारा किया जाकर आरोपीयान अक्षय पुत्र लालाराम वासी वार्ड न0 4 बवानी खेडा को दिनांक 15.07.22, आरोपी श्याम पुत्र सुरेन्द्र वासी वार्ड न0 4 बवानी खेडा को दिनांक 16.07.22 को गिरफतार करके वारदात का पर्दाफाश किया।

4. **अभियोग संख्या 353 दिनांक 13.06.22 धाराधीन 285 भा0द0स0 व 25 शस्त्र अधिनियम ईजाद 384.307.506. 201 भा0द0स0 थाना शहर भिवानी।**

यह अभियोग प्रदीप वर्मा पुत्र दयानन्द वासी कृष्णा कॉलोनी भिवानी ने अंकित करवाया कि मेरी औम ज्वैलर्स के नाम से दुकान है। दिनांक 13.06.22 को 2 अज्ञात व्यक्ति बाईक पर आये और दुकान की तरफ देखते हुये

फायरिंग करते हुये भाग गये। कार्यवाही की जाये। जिस पर अभियोग दर्ज करके अनुसन्धान इन्चार्ज चौकी दिनोद द्वारा किया जाकर दौराने अनुसन्धान अभियोग में दिनांक 20.06.22 को धारा 384.307.506.201 भा0द0स0 ईजाद की जाकर आगामी अनुसन्धान सी0आई0ए0 भिवानी/प्रथम द्वारा किया जाकर आरोपीयान धीरू उर्फ सोनू पुत्र पवन कुमार वासी कमला नगर भिवानी व मनोज पुत्र श्रवण वासी हनुमान ढाणी भिवानी को दिनांक 24.06.22 को गिरफतार करके वारदात का पर्दाफाश किया।

डकैती की वारदात ट्रैस आउट

1. **अभियोग संख्या 615 दिनांक 21.09.22 धाराधीन 392.395 भा0द0स0 व 25 आर्म्स एक्ट थाना सदर भिवानी**

यह अभियोग राजकुमार पुत्र दर्याराम वासी चांग ने अंकित करवाया कि मै रविन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर आयल मिल मे पिछले 6 महिने से मुनीम का काम करता हुँ, मै और मिल का ड्राईवर आत्मप्रकाश पुत्र हरिचंद वासी चांग मिल के आफिस में बैठे थे जो समय करीब 07.30 बजे शाम को मैने कैश गिनकर करीब 28600/रूपये दराज के अंदर रखे तभी चार लडके जिन्होने नकाबपोश बाईक पर आये, एक लडका तो बाईक पर रह गया, और तीन लडके आफिस में आ गए, दो लडको ने मेरे व आत्मप्रकाश पर पिस्तौल तान दी व एक लडके ने दराज मे रखे 28600/रूपये निकाल लिए, जब हमने शोर मचाया तो एक लडके ने पिस्तौल से फायर करके भाग गये। कार्यवाही की जाये। जिस पर अभियोग दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनुसन्धान स0उ0नि0 अनिल द्वारा किया जाकर दोषी अजय उर्फ लाण्डा पुत्र बलजीत वासी चांग, नवीन उर्फ कप्तान वासी चाग को दिनांक 15.10.22 को गिरफतार करके वारदात का पर्दाफाश किया।

लूट की वारदात ट्रैस आउट

1. **अभियोग संख्या 736 दिनांक 22.12.22 धाराधीन 323.393.34भा0द0स0 थाना शहर भिवानी**

यह अभियोग आशु पुत्र मनीराम वासी गोवीन्द पुरा ने अंकित करवाया कि दिनांक 21.12.22 को मै बांगडी मार्केट मे चोकीदार रात्री की डयुटी पर था समय रात 09.00 बजे दुकानो के लगे तालों को अपने मोबाईल की टार्च जला कर चैक कर रहा था, जो कुछ समय बाद एक मोटरसाईकिल नं0 एच0आर0 16 जेड0 1384 पर तीन व्यक्ति आय और आते ही मेरा फोन लुटने लिये झपट्टा मारा जो मेरा फोन नीचे गिर गया जब मै अपने फोन को उठाने लगा तो उनमे से एक ने मेरे मुहँ पर मुक्का मारा, उसी समय पर गली मे एक आदमी ने आवाज लगाई क्यो मार रहे हो तो मुझे छोडकर भाग गये। कार्यवाही की जाये। जिस पर अभियोग दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनुसन्धान स0उ0नि0 नरेश द्वारा किया जाकर दोषीयान मन्दीप पुत्र जयसिंह वासी हालुवास व जितेन्द्र उर्फ हान्डा पुत्र शिवचरण वासी हालुवास को दिनांक 22.12.22 को गिरफतार करके वारदात का पर्दाफाश किया।

2. **अभियोग संख्या 293 दिनांक 23.04.2020 धाराधीन 379बी.34 भा0द0स0 थाना सदर भिवानी**

यह अभियोग जयभगवान पुत्र ज्ञानीराम जाति ब्राहम्ण वासी बलकरा ने अंकित करवाया कि दिनांक 22.04.2020 को मै बिजली बोर्ड कार्यालय भिवानी से काम करके शाम को अपनी मोटरसाईकिल न0 एच0आर0–48ए0–7090 पर दादरी के लिए चला था, समय करीब 7 बजे पिपली वाली जोहडी के पास फाटक पर दो व्यक्तियों ने दादरी जाने के लिए लिफ्ट मांगी और मुझे बीच में बैठा लिया। फिर मोटरसाईकिल को मानहेरू स्टेशन के पास खेतों में ले गये और मेरे साथ मारपीट करके हाथ–पैर बांध दिए तथा मेरा मोबाईल, पर्स जिसमें 2/3 हजार रूपये व उक्त मोटरसाईकिल को लेकर भाग गए। जिस पर अभियोग दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनुसन्धान उ0नि0 रामनिवास द्वारा किया जाकर दिनांक 29.05.2020 को अदमपता रिपोर्ट प्रेषित की गई। अभियोग में दोषी मोहित पुत्र आजाद वासी लाईन पार बहरानिया बस्ती बहादुगढ को दिनांक 12.12.22 को गिरफतार करके वारदात का पर्दाफाश किया।

**पी0ओ0 एवं बेल जम्पर गिरफतार**

जिला पुलिस भिवानी द्वारा वर्ष **2022–23** में अब तक कुल 63 उद्घघोषित अपराधियों तथा 98 बेल जम्परो को गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

**138 एन.आई.एक्ट. के पी0ओ0 गिरफतार**

जिला पुलिस भिवानी द्वारा वर्ष **2022–23** में अब तक कुल 205 एन.आई.एक्ट. के पी0ओ0 को गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

## अध्याय–3

### कानून व्यवस्था की समीक्षा

वर्ष 2022–2023 के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में रही तथा शान्ति, सुरक्षा, साम्प्रदायिक सद्भावना का माहौल बना रहा। शान्ति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने हेतु विशेष शाखा द्वारा समय–समय पर सभी जिला अधीक्षकों एवं सम्बन्धित अधिकारियों को 2166 सचेत पत्र जारी किये गये। पंचायती राज से सम्बन्धित ई–टैंडरिंग प्रणाली का प्रदे भर के पंच/सरपंच द्वारा विरोध प्रद न बारे सूचनायें एकत्रित की गई तथा दिनांक 01–04–2022 से 31–03–2023 तक POI Software में 1304 डोजियर इन्द्राज व 515 डोजियर अपडेट किये गये ।

### किसानों की गतिविधियां

किसान संगठनों द्वारा अपनी मांगो जैसे–एम.एस.पी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को लागू किया जाये, बिजली (संशोधन) बिल 2022 को रद्द करने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, किसान कृषि उत्पाद लाभकारी मूल्य गारंटी अधिकार 2018 पास करने, किसानों का पूर्ण कर्जा माफ करने, प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम सरकार द्वारा भरा जाये व गन्ने की बकाया पैमेंन्ट देने, नरमा की फसल गुलाबी सुंडी से खराब होने का मुआवजा दिये जाने, बेमौसमी बरसात से खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा आदि मांगो को लेकर धरना/प्रदर्शन किये गये।

### त्यौहार

वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य में सभी धर्मो के व्यक्तियों द्वारा अपने–अपने त्याहौर शान्तिपूर्ण ढंग से मनाये गये तथा कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई ।

### साम्प्रदायिकता

वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य में साम्प्रदायिकता से सम्बन्धित छुट–पुट घटनाओं को छोड़कर कोई मुख्य घटना घटित नहीं हुई, जिससे राज्य में साम्प्रदायिक सद्भावना का माहौल प्रभावित हुआ हो। राज्य में पूर्ण रूप से साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहा।

# अध्याय–4

## आन्तरिक प्रशासन

## संगठन

### भारतीय पुलिस अधिकारियों की पदोनुसार नियुक्ति स्थिति

भारतीय पुलिस अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 144 है (101 अधिकारी सीधी भर्ती तथा 43 अधिकारी पदोन्नति द्वारा)। वर्ष 2022 में 126 पुलिस अधिकारी नियुक्त हैं जिनमें से 97 अधिकारी सीधी भर्ती द्वारा तथा 29 पदोन्नति द्वारा लगाये गये है। भारतीय पुलिस अधिकारियों का वर्ष 2022 में पदोनुसार विवरण निम्नलिखित है :–

| क्रम संख्या | पद का नाम | राज्य में | प्रतिनियुक्ति पर | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पुलिस महानिदेशक | 05 | 01 | 06 |
| 2. | अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक | 14 | 02 | 16 |
| 3. | पुलिस महानिरीक्षक | 15 | 01 | 16 |
| 4. | उप पुलिस महानिरीक्षक | 11 | 02 | 13 |
| 5. | पुलिस अधीक्षक | 52 | 01 | 53 |
| 6. | सहायक पुलिस अधीक्षक | 22 | – | 22 |
| | **कुल** | **119** | **07** | **126** |

वर्ष 1990 बैच तक के अधिकारी पुलिस महानिदेशक, वर्ष 1996 बैच तक के अधिकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वर्ष 2005 बैच तक के अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक तथा वर्ष 2009 बैच तक के अधिकारी उप पुलिस महानिरीक्षक बन चुके है।

वर्ष 2014 बैच तक के आई0पी0एस0 अधिकारी जुनियर प्रशासनिक ग्रेड ले चुके है। वर्ष 2019 के बैच तक के अधिकारी सीनियर स्केल ले चुके है।

### उप पुलिस अधीक्षकों की स्थिति

वर्ष 2022 तक उप पुलिस अधीक्षकों की स्थिति निम्नलिखित है:–

1. स्वीकृत संख्या 340
2. नियुक्त 270

वर्ष 2022 में उप पुलिस अधीक्षकों के 142 पद स्थाई है। हरियाणा पुलिस सेवा नियम 2002 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक के पद पर भर्ती 70 प्रतिशत निरीक्षक के पद से पदोन्नति द्वारा तथा 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा की जाती है, जिसमें 5 प्रतिशत आउट ऑफ टर्न प्रोमोशन के लिये आरक्षित है।

### पुलिस स्टेशन एवं पुलिस चौकी

राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए 402 पुलिस स्टेशन एवं 150 स्वीकृत पुलिस चौकियों का विवरण निम्नलिखित है :–

| क्रम संख्या | जिले का नाम | साईबर पुलिस स्टेशन | पुलिस स्टेशन | पुलिस चौकियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अम्बाला | 1 | 17 | 10 |
| 2 | पंचकूला | 2 | 11 | 8 |
| 3 | कुरूक्षेत्र | 1 | 13 | 3 |
| 4 | कैथल | 1 | 13 | 8 |
| 5 | यमुनानगर | 1 | 17 | 8 |
| 6 | हिसार | 1 | 12 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | भिवानी | 1 | 12 | 10 |
| 8 | सिरसा | 1 | 16 | 16 |
| 9 | फतेहाबाद | 1 | 11 | 7 |
| 10 | जींद | 1 | 14 | 11 |
| 11 | गुरुग्राम | 4 | 42 | 1 |
| 12 | मेवात | 01 | 13 | 5 |
| 13 | फरीदाबाद | 3 | 29 | 2 |
| 14 | पलवल | 1 | 13 | 3 |
| 15 | नारनौल | 1 | 12 | 11 |
| 16 | रेवाड़ी | 1 | 14 | 2 |
| 17 | रोहतक | 1 | 16 | 1 |
| 18 | झज्जर | 1 | 16 | 3 |
| 19 | सोनीपत | 1 | 19 | 2 |
| 20 | पानीपत | 1 | 16 | 2 |
| 21 | करनाल | 1 | 18 | 16 |
| 22 | हांसी | 1 | 6 | 6 |
| 23 | चरखी दादरी | 1 | 7 | 4 |
| 24 | राजकीय रेलवे पुलिस | 0 | 16 | 8 |
| | **कुल** | **29** | **373** | **150** |

**पुलिस पदक**

वर्ष 2022 में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किये गये :—

**15 अगस्त 2022 को दिये गये पदक**

1. श्री श्रीकान्त जादव, भा0पु0से0 — विशिष्ट सेवाओं के लिये
2. श्री राकेश कुमार आर्य, भा0पु0से0 — सराहनीय सेवाओं के लिये
3. श्री राजेश कुमार, ह0पु0से0 — सराहनीय सेवाओं के लिये
4. श्री प्रीतपाल सिंह, ह0पु0से0 — सराहनीय सेवाओं के लिये
5. श्री रजनीश यादव, निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये
6. श्री मनोज कुमार, उप निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये
7. श्री होशियार सिंह, उप निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये
8. श्री राजेश सुथार, ओ0आर0पी0 उप निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये
9. श्री रमेश कुमार, सहायक उप निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये
10. श्री विनोद कुमार, सहायक उप निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये
11. श्री सुभाष चन्द्र, सहायक उप निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये
12. श्री विनोद कुमार, सहायक उप निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये

**26 जनवरी 2023 को दिये गये पदक**

1. श्री अमिताभ सिंह ढिल्लो, भा0पु0से0 — विशिष्ट सेवाओं के लिये
2. श्री बी0 सतीश बालन, भा0पु0से0 — सराहनीय सेवाओं के लिये
3. श्री विरेन्द्र कुमार, भा0पु0से0 — सराहनीय सेवाओं के लिये
4. श्री सुरेन्द्र सिंह, ह0पु0से0 — सराहनीय सेवाओं के लिये
5. श्री राज कमुार, ह0पु0से0 — सराहनीय सेवाओं के लिये
6. श्री हरी किशन, निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये
7. श्री रमेश कुमार, उप निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये
8. श्री दिनेश कुमार, उप निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये
9. श्री नरेश कुमार, उप निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये
10. श्री देवेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये
11. श्री राम पाल, ई0 सहायक उप निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये
12. श्री सज्जन कुमार, ओ0आर0पी0 सहायक उप निरीक्षक — सराहनीय सेवाओं के लिये
13. श्री सुनील कुमार, मुख्य सिपाही — सराहनीय सेवाओं के लिये

**बजट एवं वित्त**

**पिछले दस वर्षों का संशोधित बजट :—**

पुलिस विभाग के पिछले 10 वर्षों का संशोधित बजट प्रत्येक वर्ष की बढ़ोतरी बारे इस प्रकार है, जैसा कि निम्न तालिका से विदित होता है :—

| वर्ष | आयोजनाभिन्न (नान—प्लान बजट) (वोटिड) | आयोजनगत (प्लान बजट)(चार्जड) | आयोजनगत(प्लान) 4055—पुलिस |
|---|---|---|---|
| 2013—2014 | 20099723000 | 12000000 | 1090000000 |
| 2014—2015 | 25730058000 | 28000000 | 1240000000 |
| 2015—2016 | 28588099000 | 18360000 | '4055"--1200000000<br>'2055-Mod."--228000000 |
| 2016—2017 | 34851738000 | 19000000 | '4055"--2264000000<br>'2055-RSF"—150700000<br>'2055-Mod."--400000000 |
| 2017—2018 | 38372073000 | 12000000 | 2550000000 |
| 2018—2019 | 42760757000 | 9000000 | 4100000000 |
| 2019—2020 | 45848701000 | 8000000 | 4100000000 |
| 2020—2021 | 53246519000 | 7000000 | 2550000000 |
| 2021—2022 | 55323095000 | 7000000 | 2350000000 |
| 2022—2023 | 60751026000 | 7000000 | 3015000000 |
| 2023—2024 | 61953205000 | 7000000 | 4560000000 |

## अध्याय–5

## गुप्तचर विभाग

**संगठन / गठन**

गुप्तचर विभाग में स्वीकृत स्टाफ का विवरण निम्नलिखित है:–

| | अधीक्षक | उप अधीक्षक | सहायक | लिपिक | सेवादार | रैस्टोरर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत संख्या | 4 | 6 | 30 | 51 | 7 | 2 |
| तैनात स्टाफ | 4 | 7 | 31 | 47 | 6 | 0 |
| कमी | – | +1 | +1 | –4 | –1 | –2 |

वर्ष 2022 में गुप्तचर विभाग की स्वीकृत संख्या निम्नलिखित है :–

| क्र0 सं0 | पद का नाम | स्वीकृत संख्या | तैनात स्टाफ | रिक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पुलिस महानिदेशक | 1 | 0 | 1 |
| 2 | अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक | 1 | 1 | 0 |
| 3 | पुलिस महानिरीक्षक | 1 | 2 | +1 |
| 4 | उप पुलिस महानिरीक्षक | 3 | 1 | 2 |
| 5 | पुलिस अधीक्षक | 7 | 5 | 2 |
| 6 | उप पुलिस अधीक्षक | 17 | 16 | 1 |
| 7 | निरीक्षक | 62 | 38 | 24 |
| 8 | उप निरीक्षक | 112 | 99 | 13 |
| 9 | सहायक उप निरीक्षक | 286 | 271 | 15 |
| 10 | मुख्य सिपाही | 769 | 351 | 418 |
| 11 | सिपाही | 725 | 637 | 88 |
| | **कुल जोड़** | **1984** | **1421** | **564** |

**विशेष शाखा के मुख्य कार्य : –**

1. राजनैतिक पार्टियों की गतिविधियों की सूचना एकत्रित करना।
2. औद्योगिक इकाईयों में रोष, विभिन्न ट्रेड यूनियनों एवं विभिन्न सरकारी कर्मचारी यूनियनों की गतिविधियों बारे सूचना एकत्रित करना।
3. विभिन्न छात्र यूनियनें जो कई राजनैतिक पार्टियों द्वारा नियन्त्रित/प्रायोजित हैं, के बारे में सूचना एकत्रित करना।
4. किसान युनियन/संगठन/मोर्चा की गतिविधियों से सम्बन्धित सूचनाऐं एकत्रित करना।
5. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रोष बारे सूचना एकत्रित करना।
6. साम्प्रदायिक एवं जातिगत आधार पर रोष बारे सूचना एकत्रित करना।
7. विदेशी नागरिकों के आगमन व राज्यों में उनकी गतिविधियों बारे सूचना एकत्रित करना।
8. सरकार व सरकार की नीतियों के विरूद (अशोभनीय ढंग से आलोचना करने बारे राजनैतिक, सरकारी कर्मचारियों, मजदूर/छात्र नेताओं आदि की गतिविधियों बारे सूचनायें एकत्रित करना व उनके पी.ओ.आई. डोजियर POI Software में अपलोड करना।
9. आई.एस.आई. एजैन्ट जासूसों की गतिविधियों पर नजर रखना ।
10. माओवाद/नक्सलवाद/आतंकवाद सम्बन्धी गतिविधियों बारे सूचना एकत्रित करना ।
11. राजनैतिक गतिविधियों में अड़चनें पैदा करने व अति विशिष्ट व्यक्तियों को खतरा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में राज्य निगरानी सूची का नवीनीकरण करना।

12. एस.एफ.जे के समर्थकों की गतिविधियों बारे सूचनायें एकत्रित करना।
13. चिन्हित अपराध की सूची में शामिल करने के लिए संवेदनशील मुकदमों की रिपोर्ट एकत्रित करना।
14. विदेश में बैठे प्रो–खालिस्तानी तत्वों द्वारा हरियाणा राज्य में गैंगस्टर, हथियारों की तस्करी, आतंकवादी कृत्यों व अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों का दुरूपयोग करके हरियाणा राज्य में नेटवर्क फैलाने की कोशिश बारे सूचना एकत्रित करना।
15. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित Online System पर करतारपुर कॉरिडोर की वैरीफिकेशन करना।

गुप्तचर विभाग हरियाणा की मुख्य उपलब्धियां/योजनाएं, हाल ही में निम्न प्रकार से हैः–

1. **आधिकारिक आंकडो का डिजिटलीकरणः–** आधिकारिक आंकडो का अंकीकरण किया गया है। इस सम्बन्ध में हिस्ट्रीशीट, बी0कार्ड और इसकी निगरानी के लिए समेकित लिस्ट तैयार की गई है, जो अंकीकृत है। इससे कम समय में ही किसी भी हिस्ट्रीशीटर, बी–कार्ड होल्डर इत्यादि की निगरानी सम्भव हो सकेगी।

2. **सेवा और पासपोर्ट सत्यापनः–** भारत सरकार द्वारा हरियाणा पुलिस को भारत के 3 अच्छे राज्यो में से पासपोर्ट सत्यापन निश्चित समय अवधि से पहले भेजने के लिए पांच बार (2014, 2015, 2016, 2018 और 2020 को पुरस्कृत किया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा प्रति पासपोर्ट को 21 दिन के अंदर सत्यापन करने के लिए पुलिस विभाग को 150/– रूपये दिए जाते थे और 21 दिन से ज्यादा समयावधि में सत्यापन करने पर 50/– रूपये दिए जाते थे। लेकिन अब विदेश मंत्रालय द्वारा प्रति पासपोर्ट को 15 दिन के अंदर सत्यापन करने के लिए पुलिस विभाग को 150/– दिए जाते हैं और 15 दिन से ज्यादा समयावधि में सत्यापन करने पर 50/– दिए जाते हैं। पहले ये राशि बहुत कम मात्रा में हरियाणा सरकार को विदेश मंत्रालय से प्राप्त होती थी। विदेश मंत्रालय द्वारा हरियाणा सरकार को पासपोर्ट सत्यापन के लिए January 2015 से July 2021 तक 30,03,67,450/- (तीस करोड तीन लाख सतासठ हजार चार सौ पचास रूपये)। हरियाणा राज्य में m-Passport Police App को सुचारू रूप से भुरू करने के लिए दिनांक 29.11.2017 को पंजाब और हरियाणा राज्य के Regional Passport Office, Chandigarh के अर्न्तगत आने वाले जिलों में पासपोर्ट से सम्बन्धित कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

इस समय राज्य के सभी 23 जिलो में m-Passport Police App को शुरू कर दिया गया है वर्तमान में पासपोर्ट के सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय द्वारा 15 दिन की समयावधि निर्धारित कर रखी है जबकि इस समय गुप्तचर विभाग के प्रयासों से पासपोर्ट सत्यापन करके 9/10 दिन अन्दर–अन्दर रिपोर्ट विदेश मंत्रालय को भेजी जा रही है।

3. **मिडिया सेन्टर :–** गुप्तचर विभाग में एक मिडिया सैन्टर राज्य पुलिस कन्ट्रोल रूम मे स्थापित है। इससे राज्य व देश की कानुन व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को अपडेट रखा जाता है।

4. **मैक/स्मैक कनैकविटी :–** स्मैक Nodes हरियाणा राज्य के 19 जिलो मे स्थापित किए गए है। और यह 24X7 के आधार पर सूचनाओं/रिपोर्ट जांच रिपोर्ट जैसे कि आंतकवादी गतिविधियो/विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए IED/Bomb/ Grenades से सम्बंधित सूचना का आदान प्रदान किया जा रहा हैं।

5. **खुफिया व तकनीकी विशलेशण केन्द्र हरियाणा (HITAC):-** सी0एम0एस0 परियोजना कार्यान्वयन (CMS Project Implementation) :– भारत सरकार के निर्देशानुसार केन्द्रीयकृत निगरानी प्रणाली (Centralized Monitoring System (CMS) को गुप्तचर विभाग हरियाणा के HITAC भवन सैक्टर–12ए पंचकुला में स्थापित किया गया है। जिससे इन्टरसैप्शन का कार्य बिना किसी संचार अवरोधन के किया जा सकेगा। यह भवन सी–डॉट (भारत में CMS प्रोजेक्ट की कार्यान्वन ऐजैन्सी) की सिफारिशों के अनुसार विशेष रूप से नवनिर्मित किया गया है। हरियाणा पुलिस की समस्त इकाईयों को स्वान के माध्यम से एक सुरक्षित व विशेष नेटवर्क से जोडा जायेगा तथा इसमें कार्य करने के लिए उच्च शिक्षित व समर्पित कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। जल्द ही यह हरियाणा

पुलिस में कार्यान्वित हो जायेगा। दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक खुफिया व तकनीकी विश्लेषण केन्द्र हरियाणा (HITAC) द्वारा **OSINT (Open-Source Intelligence)** Offline/Online कोर्स चलाया गया जिसमें कुल 40 पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण लिया गया है।

6. **डिजिटल जांच प्रशिक्षण एंव विश्लेषण केन्द्र (डाईटेक):–** केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) के सहयोग से देश के पहले डिजिटल जांच एंव प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना गुरूग्राम में की गई है। यह जांच एंव प्रशिक्षण केन्द्र गुप्तचर विभाग हरियाणा द्वारा अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। यह केन्द्र पुलिस अधिकारियों के अग्रिम स्तर के प्रशिक्षण के लिए high–end tools से लैस है, जो सोशल मीडिया निगरानी और खोजी कौशल (investigation skills) की तकनीकी क्षमताओं को बढाता हैं। इसका उदघाटन दिनांक 28.12.2016 को माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा किया गया था। सभी जिला साइबर इकाईयॉ डिजिटल जांच प्रशिक्षण एंव विश्लेषण केन्द्र (डाईटेक) सर्वर और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से जुडी हुई है। सभी जिलों में प्रत्येक साइबर सैल को एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान किया गया है। दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक डिजिटल जांच प्रशिक्षण एंव विश्लेषण केन्द्र (डाईटेक) द्वारा विभिन्न प्रकार के Online/Offline कोर्स चलाये गये जैसे कि ATM/Plastic Card Fraud and analysis of Data Extraction Report, Mobile Forensic, Disk Forensic & IPDR/CDR/TDR Analysis, Refersher course on Social Media Monitoring (TRISHUL), Cyber Desk, Use of Android Based Smart Phone, Seizing of Digital Case Properties, VPN Prox & VoIP Call Investigation, Digital Payment Security and Financial Frauds, Basic orientation course on Cyber Crime for newly recruited Constable (Commando), Social Media Monitoring, Training awareness for use of OSNIT Tool and Social Media, Social Media Intellingence, Dark Web Monitoring & Basic, Financial Frauds & Investigation, Mobile Investigation, Digital Crime & Investigation and E-mail Investigation, जिसमें कुल 59 बैचो में 1550 पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण लिया गया।

7. **सोशल मीडिया सैलः–** सोशल मीडिया सैल, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय हरियाणा, सैक्टर 6 पंचकुला द्वितीय तल पर स्थित है। सोशल मीडिया सैल द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे फेसबुक, टविटर, यूटयूब, ब्लाग्स व वैबसाईटस आदि पर आतंकी, गैंगस्टर्स, असामाजिक तत्वों व कानून एवं व्यवस्था के लिये चुनौती दे सकने वाली गतिविधियों का अवलोकन करते हुये दैनिक आधार पर विभिन्न रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं। इसके लिये डीआरडीओ द्वारा प्रदत HYDRA Tool & OSINT Tools की मदद ली जा रही है। गुप्तचर विभाग द्वारा सोशल मीडिया मॉनीटरिंग का विस्तार करते हुये साईबर इंटेलिजैंस यूनिटस/सीआईयू की चार इकाईयों का गठन गुरूग्राम, फरीदाबाद, करनाल व हिसार में किया गया है। सोशल मीडिया सैल द्वारा 01.04.2022 से 31.03.2023 तक 73 कर्मचारियों को सोशल मीडिया मॉनीटरिंग की आधारभूत जानकारी देते हुये प्रशिक्षित किया जा चुका है।

8. **Drone Application Research Centre (DARC):-** यह कमाण्डो ट्रेनिंग सैन्टर नाडा साहिब, पंचकुला के नजदीक स्थापित किया जा चुका है। इस सैन्टर में आधुनिक तकनीक द्वारा शोध किए जा रहे है। इस कार्यालय द्वारा पुलिस महानिदेशक, हरियाण को Drone खरीदने के लिए इस कार्यायल द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है जिसको पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के कार्यालय द्वारा दिनांक 30.05.2022 को हरियाणा सरकार को आगामी कार्यावाही के लिए भेज दिया गया है। दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान Drone Application Research Centre द्वारा Drone Short Course, Drone Refresher Short Course, Drone Application Course और Drone Application Refresher Course चलाये गए जिनमें कुल 21 बैचो में 126 पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण लिया गया है।

9. **मुख्यमंत्री उडनदस्ताः–** मुख्यमंत्री उडनदस्ता द्वारा अन्य एजेंसियों के साथ सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी पहल के पूरक के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उडनदस्ता द्वारा समय–समय पर विशेष अभियान चलाये गये है। मुख्यमंत्री उडनदस्ता को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

10. **वी0 वी0 आई0 पी0/वी0 आई0 पी0 की आगमन** :– 01.04.2022 से 31.03.2023 तक अति विशिष्ट व विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा हरियाणा में आगमन किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

| Sr.No | VVIPs/VIPs | Total Visits |
|---|---|---|
| (i) | Hon'ble President of India | 02 |
| (ii) | Hon'ble Vice President of India | 03 |
| (iii) | Hon'ble Prime Minister of India | 01 |
| (iv) | Sh. Amit Shah, Hon'ble Home Minister of India | 03 |
| (iii) | Hon'ble Chief Minister Haryana | 215 |

11. **आधुनिक तकनीक** :– गुप्तचर विभाग को अधिक प्रभावशाली/अत्यधिक आधुनिक बनाने के लिए आधुनिक उपकरणों व आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है।

12. **विशेष शाखा**:– विशेष शाखा जो विभाग का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है जिसको सुदृढ किया गया है। शाखा सभी हितधारको को समय पर इनपुट/सूचना प्रदान करने के लिए 24 घण्टे कार्य करती है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति का अनुमान लगाया जा सके और उसे टाला/प्रसारित किया जा सके।

13. **प्रशिक्षण** :– गुप्तचर विभाग द्वारा कमाण्डों ट्रेनिंग सैन्टर, नाडा साहिब पंचकुला में विभिन्न प्रकार के कोर्स समय–समय पर करवाये जाते है जैसे कि NSG सीपीटी कोर्स, PSO रिफ्रैशर कोर्स, प्री–इन्डक्शन कोर्स और रिंग राऊड डयूटी कोर्स। कुल 35 पाठयक्रम संचालित किए गए और 834 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके इलावा गुप्तचर विभाग के फील्ड स्तर के अधिकारियों की क्षमता में सुधार करने के लिए, गुप्तचर विभाग ट्रेनिग स्कुल में बेसिक इन्टैलीजेन्स कोर्स, बेसिक इन्टैलीजेन्स कोर्स (सिक्योरिटी एजेंट जिला पुलिस), रिफ्रैशर बेसिक इन्टैलीजेन्स कोर्स, बेसिक इन्डक्शन कोर्स, सर्विलैंस कोर्स, सोर्स/एजेंट रनिंग कोर्स, इन्टैलीजेन्स ट्रेडक्राफ्ट कोस और गुप्त जांच/पूछताछ कोर्स चलाये जा रहे है, जिनके कुल 52 पाठयक्रम संचालित किए गए और 781 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। जिसमें उन्हे खुफिया नैटवर्क की जडों को और मजबुत करने के लिए तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाता है। अपनी क्षमता को और बढाने के लिए गुप्तचर विभाग हरियाणा ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को राश्ट्रीय खुफिया अकादमी, दिल्ली में प्रशिक्षत करना शुरू कर दिया है।

14. **आगामी योजना** :– गुप्तचर विभाग, हरियाणा के कर्मचारियों का तकनीकी ज्ञान को बढाने के लिए समय समय पर उच्च स्तर के प्रशिक्षण सैक्टर –19 के प्रशिक्षण विद्यालय एवम कमान्डो प्रशिक्षण केन्द्र, नाडा साहिब पंचकुला मे करवाये जाते हैं जहां पर उनकी फिटनैस का भी खास ध्यान रखा जाता है।

## अध्याय–6

### राजकीय रेलवे पुलिस

हरियाणा रेलवे पुलिस के चार उपमण्डल हैं, जिनके अधीन 16 थानें तथा 24 चौंकियॉ हैं, जिनमें से 8 चौंकियॉ स्थाई और 16 चौंकियॉ अस्थाई हैं। हरियाणा राजकीय रेलवे पुलिस का प्रशासन पुलिस महानिरीक्षक के नियन्त्रण में, पुलिस अधीक्षक, रेलवे, हरियाणा, अम्बाला छावनी द्वारा चलाया जा रहा है।

| क्र0संख्या | थाना | चौंकियॉ |
|---|---|---|
| 1 | कालका | |
| 2 | चण्डीगढ़ | |
| 3 | अम्बाला कैन्ट | अम्बाला शहर, बराड़ा |
| 4 | जगाधरी | |
| 5 | कुरूक्षेत्र | कैथल |
| 6 | करनाल | |
| 7 | पानीपत | समालखा |
| 8 | सोनीपत | गन्नौर |
| 9 | फरीदाबाद | पलवल, बल्लबगढ, होडल व असावटी |
| 10 | बहादुरगढ़ | झज्जर |
| 11 | गुरुग्राम | पटोदी रोड |
| 12 | रेवाड़ी | नारनौल, लोहारू, दादरी व महेन्द्रगढ |
| 13 | जीन्द | नरवाना व उचाना |
| 14 | रोहतक | गोहाना |
| 15 | सिरसा | डबवाली, ऐलनाबाद व कालांवली |
| 16 | हिसार | भिवानी, जाखल व हांसी, आदमपुर व टोहाना |

**अधिकार क्षेत्र** हरियाणा राज्य में रेलगाडियां सभी जिलों तथा केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ से होकर गुजरती हैं, इसलिए राजकीय रेलवे पुलिस हरियाणा के अपराधों के आंकडे राज्य के 23 जिलों के भाग बन जाते हैं। राजकीय रेलवे पुलिस के थानों में दर्ज हुए अभियोगों की अभियोजन पैरवी तथा अपील इत्यादि के लिए पुलिस अधीक्षक, रेलवेज को उन तमाम जिलों के जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक तथा मैजिस्ट्रेटों व अभियोजन शाखाओं से तालमेल रखना पड़ता है।

### पुलिस बल की संख्या वर्ष 2022

| पद | स्वीकृत संख्या | नियुक्त संख्या |
|---|---|---|
| पुलिस अधीक्षक | 1 | 1 |
| उप पुलिस अधीक्षक | 3 | 4 |
| निरीक्षक | 20 | 06 |
| उप निरीक्षक | 47 | 24 |
| सहायक उप निरीक्षक | 133 | 128 |
| प्रधान सिपाही | 198 | 77 |
| सिपाही | 1060 | 852 |
| कुल | **1462** | **1092** |

### उपलब्धियां:–

वर्ष 2022 में कानून एंव व्यवस्था पूर्णतया बनाई रखी और अपराधों पर नियन्त्रण रखा गया। इस वर्ष के दौरान हत्या के 23 अभियोग अंकित हुये, जिनमें से भरसक प्रयत्न करके 09 अभियोगों में सफलता प्राप्त की गई।

06 अभियोगों का चालान अदालत में दाखिल करवाये गये जो अभी अदालत में विचाराधीन है। 08 अभियोग अखराज रहे। 01 अभियोग अदमपता रहा। शेष 08 जेर तफतीश अभियोगों को सफल बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास जारी है।

वर्ष 2022 के दौरान 376 दं0प्र0सं0 के अधीन कोई अभियोग दर्ज नही हुआ इस वर्ष के दौरान रेलवे स्टेशनों पर नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी करने के 11 अभियोग दर्ज हुए। जिनमें से भरसक प्रयत्न करके 09 अभियोगों में सफलता प्राप्त की गई। 09 अभियोगों का चालान अदालत में दाखिल करवाये गये जो अभी अदालत में विचाराधीन है। 01 अभियोग अखराज रहा। 01 अभियोग अदमपता रहा। वर्ष 2022 के दौरान डकैती का एक अभियोग दर्ज हुआ। जिसका चालान अदालत में दाखिल करवाया गया जो अभी अदालत में विचाराधीन है।

वर्ष 2022 के दौरान लूट शीर्षक के अर्न्तगत 10 अभियोग दर्ज हुये है जिनमें से 05 अभियोग का चालान अदालत में दाखिल करवाया गया जो अभी अदालत में विचाराधीन हैं। 02 अभियोग अखराज रहे। 01 अभियोग अदमपता रहा। 02 अभियोग की तफतीश अभी जारी है। इसके इलावा इस वर्ष 31 बेलजम्पर व 05 उदघोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

स्थानीय एंव विशेष अधिनियम के अर्न्तगत बरामदगी

वर्ष 2022 के दौरान 03 किलो 765 ग्राम अफीम, 255 किलो 167 ग्राम चुरापोस्त, 6 किलो 292 ग्राम चरस/सुलफा, 156 किलो 114 ग्राम गांजा, 005 ग्राम स्मैक, 3 किलो 382 ग्राम हेरोईन 8200 नशीली गोलिया बरामद किये गये।

आबकारी अधिनियम के अर्न्तगत 228.05 बोतल नाजायज शराब 844.05 बोतल देसी ठेका शराब, 2529.02 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किए गए।

असला अधिनियम के अर्न्तगत 01 पिस्टल, 04 कट्टा देसी, 01 कारतूस व 09 चाकु बरामद किये गए। इस वर्ष के दौरान कानून एंव व्यवस्था तथा अपराधों पर नियन्त्रण के इलावा अति महत्वपूर्ण,वशिष्ठ/अति विशिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था की गई।

अपराधों को रोकने के लिये राजकीय रेलवे पुलिस हरियाणा द्वारा रेलवार्डन बनाये हुये है। जिन्हे साथ लेकर कानून व्यवस्था कायम की गई तथा अपराधों को नियन्त्रित करने में मदद ली जा रही है।

# अध्याय–7

## प्रथम वाहिनी, अम्बाला शहर

इस वाहिनी के कार्यालय के स्टाफ की स्वीकृति व नियुक्ति वर्ष 2022 में निम्न प्रकार से है –

| | आदेशक | उ0अ0पु0 | नि0 | उ0नि0 | स0उ0नि0 | मु0सि0 | सिपाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 1 | 3 | 9 | 25 | 42 | 131 | 861 |
| नियुक्ति | 1 | 3 | 6 | 21 | 20 | 68 | 348 |

मिनिस्ट्रियल स्टाफ

| | ए0डी0ए0 | उ0अ0,कार्यालय | सहायक | स्टैनो | लिपिक | सेवादार | दफतरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| नियुक्ति | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| रिक्त | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

| | लांगरी | जलवाहक | स्वीपर | धोबी | नाई | मोची | दर्जी | बढ़ई | माली | राजमिस्त्री |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 29 | 16 | 18 | 14 | 07 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 |
| नियुक्त | 18 | 08 | 07 | 9 | 03 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 |
| रिक्त पद | 11 | 08 | 11 | 05 | 04 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 |

## द्वितीय वाहिनी, मधुबन (करनाल)

स्वीकृत एवं नियुक्त संख्या :–

| | आदेशक | उ0पु0अ0 | नि0 | उ0नि0 | स0उ0नि0 | मु0सि0 | सि0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 01 | 05 | 09 | 27 | 42 | 139 | 911 |
| नियुक्त | 01 | 04 | 05 | 26 | 38 | 82 | 470 |
| रिक्त पद | 0 | 01 | 04 | 01 | 04 | 57 | 441 |

मैडिकल स्टाफ

| | डॉक्टर | फार्मासिस्ट | ए.एन.एम. |
|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 1 | 1 | 2 |
| नियुक्त | 0 | 1 | 1 |
| रिक्त | 1 | 0 | 1 |

मिनिस्ट्रियल स्टाफ

| | ए.डी.ए. | उ0अधीक्षक(क) | सहायक | स्टैनो | कर्लक | सेवादार | दफतरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| नियुक्त | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| रिक्त | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

| | लांगरी | जलवाहक | स्वीपर | धोबी | नाई | मोची | माली | दर्जी | बढ़ई | राजमिस्त्री | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 28 | 17 | 17 | 13 | 07 | 03 | 04 | 03 | 02 | 01 | 95 |
| नियुक्त | 18 | 14 | 02 | 12 | 04 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | 58 |
| रिक्त पद | 10 | 03 | 15 | 01 | 03 | 02 | 02 | 01 | 0 | 0 | 37 |

## तृतीय वाहिनी, हिसार

स्वीकृत एवं नियुक्त संख्या :–

| | आदेशक | अतिरिक्त आदेशक | उप पुलिस अधीक्षक | निरीक्षक | उप.नि. | स.उ.नि. | मु.सि. | सिपाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 1 | — | 3 | 9 | 25 | 42 | 131 | 871 |
| नियुक्त | 1 | — | 3 | 5 | 23 | 38 | 58 | 394 |
| रिक्त | .. | .. | — | 4 | 2 | 4 | 73 | 477 |

मिनिस्ट्रियल कर्मचारी :–

| | ए.डी.ए. | डी.एस.ओ. | सहायक | लिपिक | दफतरी | सेवादार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 01 | 01 | 01 | 09 | 01 | 04 |
| नियुक्त | 01 | 01 | 01 | 09 | 01 | 04 |
| रिक्त | — | — | — | — | — | — |

चिकित्सा कर्मचारी :–

| | चिकित्सा अधिकारी | फार्मासिस्ट |
|---|---|---|
| स्वीकृत | 01 | 01 |
| नियुक्त | 01 | 01 |
| रिक्त | .. | .. |

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :–

| पद | स्वीकृत संख्या | नियुक्त संख्या | रिक्त |
|---|---|---|---|
| नाई | 07 | 03 | 04 |
| माली | 02 | 01 | 01 |
| कारपेन्टर | 01 | 01 | .. |
| मैशन | 01 | 01 | .. |
| जलवाहक | 15 | 07 | 08 |
| टेलर | 02 | 02 | .. |
| मोची | 03 | 03 | .. |
| धोबी | 13 | 06 | 07 |
| कुक | 27 | 10 | 17 |
| स्वीपर | 17 | 07 | 10 |

## चतुर्थ वाहिनी, मधुबन (करनाल)

स्वीकृत एवं नियुक्त संख्या :–

| | आदेशक | उप पुलिस अधीक्षक | निरीक्षक | उप.नि. | स.उ.नि. | मु.सि. | सिपाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | — | 3 | 09 | 27+3+1 | 44 | 146 | 878 |
| नियुक्त | 1 | 05 | 07 | 27+1+2 | 40 | 35 | 414 |

मिनिस्ट्रियल कर्मचारी :—

| | उप अधीक्षक | सहायक | आशुलिपिक | लिपिक | दफ्तरी | सेवादार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
| नियुक्त | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| रिक्त | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :—

| पद | स्वीकृत संख्या | नियुक्त संख्या | रिक्त |
|---|---|---|---|
| नाई | 7 | 6 | 1 |
| माली | 2 | 1 | 1 |
| कारपेन्टर | 1 | 1 | 0 |
| मैसन | 1 | 1 | 0 |
| जलवाहक | 17 | 12 | 5 |
| दर्जी | 3 | 1 | 2 |
| मोची | 3 | 2 | 1 |
| धोबी | 13 | 6 | 7 |
| कुक | 29 | 11 | 18 |
| स्वीपर | 19 | 04 | 15 |
| सईस | 13 | 10 | 3 |
| कुल | **108** | **55** | **53** |

पंचम वाहिनी, मधुबन (करनाल)

स्वीकृत एवं नियुक्त संख्या :—

| पद | आदेशक | उप पुलिस अधीक्षक | निरीक्षक | नि0स्पोर्टस कोटा | उप नि0 स्पोर्टस कोटा | उप.नि. | महिला उप.नि. | स.उ.नि. | मु.सि. | सिपाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 0 | 4 | 9 | 18 | 14 | 26 | 0 | 42 | 135 | 707+335 |
| नियुक्त | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 25 | 0 | 37 | 67 | 365 |
| रिक्त | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 68 | 677 |
| अतिरिक्त | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

मिनिस्ट्रियल कर्मचारी :—

| | डी.एस.ओ. | सहायक | आशुलिपिक | लिपिक | दफ्तरी | सेवादार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 01 | 01 | 0 | 09 | 01 | 04 |
| नियुक्त | 01 | 01 | 0 | 07 | 01 | 03 |
| रिक्त | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 01 |

चिकित्सा कर्मचारी :—

| | चिकित्सा अधिकारी | फार्माशिस्ट |
|---|---|---|
| स्वीकृत | 01 | 02 |
| नियुक्त | 01 | 01 |
| रिक्त | — | 01 |

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :—

| पद | स्वीकृत संख्या | नियुक्त संख्या | रिक्त |
|---|---|---|---|
| नाई | 07 | 05 | 02 |
| माली | 02 | 02 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| कारपेन्टर | 01 | 0 | 01 |
| मैशन | 01 | 01 | 0 |
| जलवाहक | 15 | 08 | 07 |
| टेलर | 02 | 02 | 0 |
| मोची | 03 | 02 | 01 |
| धोबी | 13 | 07 | 06 |
| कुक / लांगरी | 27 | 14 | 13 |
| स्वीपर | 17 | 05 | 12 |
| जलवाहक / कुक | 01 | 0 | 01 |

2. वर्ष 2022–2023 के दौरान की गई भर्ती :–

| सामान्य | एस0सी0 | बी0सी0ए0 | बी0सी0बी0 | ई0बी0पी0जी0सी0 | भूतपूर्व सैनिक | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 63 | 04 | 06 | 0 | 181 | 266 |

## कमाण्डो, हरियाणा, नेवल (करनाल)

उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों विशेषकर पंजाब व हरियाणा में बढ़ रही आंतकवादी/उग्रवादी गतिविधियों को काबू करने, राज्य में शान्ति स्थापित करने तथा कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिए एक विशेष बल की आवश्यकता अनुभव की। अतः उपरोक्त स्थिति को मध्यनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने अपने आदेश क्रमांक 10/28/86–4 एच.जी.आई. दिनांक 18.11.1987 द्वारा हरियाणा पुलिस कमाण्डों फोर्स की कम्पनियों की स्थापना की गई जो पुलिस अधीक्षक, आप्रेशन, हरियाणा के प्रशासनिक नियन्त्रण में की गई थी, जिसने अपना कार्य मार्च 1988 से करना आरम्भ कर दिया था।

पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ–साथ हरियाणा में बढ़ रही आंतकवादी गतिविधियों को मध्यनजर रखते हुए राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक 10/69/90–4 एच.जी.आई. दिनांक 07.02.1991 के अनुसार हरियाणा पुलिस कमाण्डो फोर्स की चार और कम्पनियों की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण पुलिस अधीक्षक, कमाण्डो, हरियाणा के अधीन किया गया था इन कम्पनियों का मुख्यालय पंचकूला में स्थापित था। इसके बाद इन चार नई कमाण्डो कम्पनियों का मुख्यालय पंचकूला से बदलकर हिसार में स्थापित किया गया था तथा पुरानी चार कम्पनियों का मुख्यालय जो करनाल में था मई 1994 में करनाल से बदलकर नेवल में स्थापित कर दिया गया। आरम्भ में पुलिस अधीक्षक, कमाण्डो, नेवल का प्रर्यवेक्षण उप पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे एवं आप्रेशन के अधीन था जो बाद में पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे तथा कमाण्डो, पंचकूला के अधीन किया गया था तथा अब तक उन्हीं के अधीन है।

2. कमाण्डो फोर्स की ड्यूटी तथा जिम्मेवारियां

कमाण्डो कम्पनियों का प्रशासन पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के स्थायी आदेश न0 49/1988 के अर्न्तगत चलाया जाता है, जिसके अनुसार कमाण्डो फोर्स की ड्यूटियां बहुत ही सख्त एवं अहम बनाई गई हैं। पुलिस एक्ट एवं पुलिस नियम निर्धारित डयूटियों एवं कर्तव्य के अतिरिक्त कमाण्डो फोर्स का यह भी मुख्य कार्य है कि राज्य में स्थायी रूप से रह रहे व्यक्तियों की जान माल की रक्षा करें तथा राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों की जान माल की रक्षा करें तथा राज्य में आंतकवादी/उग्रवादी गतिविधियों से निपटने, उनको (आंतकवादी/उग्रवादी) शरण देने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के कार्य में जिला प्रशासन की सहायता करें। विशेषतः अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्यभार कमाण्डो फोर्स पर निर्भर है।

3. उपरोक्त कार्य एवं डयूटियां के अतिरिक्त उप पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे एवं कमाण्डो, हरियाणा के आदेश क्रमांक 10358–62/ए–3 दिनांक 06.12.1988 के अनुसार कमाण्डो फोर्स को निम्नलिखित कार्य भी सौंपे गये थेः–

1. उग्रवादियों एवं आंतकवादियों की गतिविधियों का केन्द्र बने स्थानों पर कोम्बिंग आप्रेशन करना।

2. उग्रवादियों एवं आंतकवादियों के छुपने के स्थानों का पता लगाने व उन पर रेड करना।

3. उग्रवादियों एवं आंतकवादियों द्वारा किये जाने वाले जघन्य अपराधों का पता लगाने या उनके ठहरने के स्थानों का पता लग जाने पर उनके (उग्रवादी/आंतकवादी) इरादों को असफल करना।

4. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 8/15/98–6 जी.एस.आई. दिनांक 16.09.1998 के अनुसार कमाण्डो फोर्स के स्थाई आदेश क्रमांक 49/1988 की अनुपालना में 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अराजपत्रित अधिकारियों, प्रधान सिपाहियों व सिपाहियों को वर्ष 1998 में जिला पुलिस/राजकीय रेलवे पुलिस में बदले जाने पर नई कमाण्डो विंग हिसार को डिसबैंड कर दिया गया तथा इस विंग के निरीक्षक–1, उप निरीक्षक–3, सहायक उप निरीक्षक–3, मुख्य सिपाही–18 व सिपाही–107 को कमाण्डो विंग नेवल की स्वीकृत संख्या में जोड़ दिया गया तदानुसार वर्ष 2002 में सिपाहियों की स्वीकृति संख्या घटाकर सहायक उप निरीक्षक व मुख्य सिपाही के पदों की संख्या बढ़ा दी गई। हरियाणा सरकार के दोबारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक न0 16/17/2018–4 उच.जी. आई.–1 दिनांक 28.01.2019 के अनुसार 15 निरीक्षक, 46 उप निरीक्षक, 26 सहायक उप निरीक्षक, 136 मुख्य सिपाहियों और 126 सिपाहियों के पदों की स्वीकृति बढ़ाई। अब इस विंग के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृति संख्या इस प्रकार हैं :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पुलिस अधीक्षक | 01 |
| 2 | उप पुलिस अधीक्षक | 02 |
| 3 | निरीक्षक | 22 |
| 4 | उप निरीक्षक | 63 |
| 5 | स0 उप निरीक्षक | 76 |
| 6 | मुख्य सिपाही | 208 |
| 7 | सिपाही | 546 |
| 8 | उप अधीक्षक कार्यालय | 01 |
| 9 | सहायक | 03 |
| 10 | लिपिक | 03 |
| 11 | स्टैनों टाईपिस्ट | 03 |
| 12 | सेवादार | 01 |
| 13 | दफ्तरी | 01 |
| 14 | लांगरी | 12 |
| 15 | जलवाहक | 12 |
| 16 | धोबी | 09 |
| 17 | स्वीपर | 08 |
| 18 | बारबर | 06 |
| 19 | मोची | 05 |
| 20 | मैसन | 01 |
| 21 | कारपेन्टर | 01 |
| 22 | माली | 03 |

5 इसके अतिरिक्त कमाण्डो मुख्यालय स्थित पुलिस लाईन, नेवल के कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए उप निरीक्षक–1, सहायक उप निरीक्षक–2, मुख्य सिपाही–10 व सिपाही–25 लाईन स्टाफ भी सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

6 वर्ष 2022 के दौरान जवानों से पुलिस नियमावली के अनुसार वार्षिक फायरिंग कराई गई।

**चिकित्सा सुविधायें**

इस युनिट में एक डिस्पैन्सरी है और जिला स्तर पर कार्यरत हस्पताल, करनाल में पुलिस कर्मचारियों के लिए अलग से वार्ड है जिसमें कमाण्डो फोर्स के कर्मचारियों का चिकित्सा निरीक्षण एव ईलाज किया जाता है। विचाराधीन वर्ष में कमाण्डो फोर्स का स्वास्थ्य सन्तोषजनक रहा है। इसके अतिरिक्त एच.ए.पी. हस्पताल, मधुबन से डाक्टर व फार्मासिस्टों की सेवायें भी उपलब्ध करवाई गई है।

## इण्डिया रिजर्व बटालियन

### प्रथम इंडिया रिजर्व बटालियन, भौंडसी, गुरुग्राम

प्रथम इण्डिया रिजर्व बटालियन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 2004 में हुई थी तथा निम्नलिखित स्टाफ मंजूर किया गया था।

**नफरी**– वर्ष 2022 में निम्नलिखित स्टाफ मंजूर एवं तैनात है।

**प्रशासनिक स्टाफ**

| | | स्वीकृत | तैनात | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आदेशक | 1 | 1 | 0 |
| 2 | सहायक आदेशक | 3 | 0 | 3 |
| 3 | उप पुलिस अधीक्षक | 7 | 5 | 2 |
| 4 | निरीक्षक | 13 | 7 | 6 |
| 5 | उप निरीक्षक | 28 | 24 | 4 |
| 6 | सहायक उप निरीक्षक | 56 | 18 | 38 |
| 7 | मुख्य सिपाही | 167 | 159 | 8 |
| 8 | सिपाही | 675 | 429 | 246 |

**बेतार स्टाफ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | निरीक्षक | 01 | 01 | .. |
| 2 | उप निरीक्षक | 02 | 02 | .. |
| 3 | स0उप0निरीक्षक | — | — | — |
| 4 | मुख्य सिपाही | 04 | 04 | .. |
| 5 | सिपाही | 26 | 01 | 25 |

**मिनिस्ट्रियल स्टाफ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ए0डी0ए0 | 01 | 01 | ... |
| 2 | अधीक्षक | 01 | — | 01 |
| 3 | लिपिक | 05 | 02 | 03 |
| 4 | स्टैनो | 01 | .. | 01 |

**मैडिकल स्टाफ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चिकित्सा अधिकारी | 01 | 01 | .. |
| 2 | औषधीकारक | 02 | .. | 02 |
| 3 | परिचायिका सहायक | 01 | .. | 01 |

**चतुर्थ श्रेणी**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जलवाहक | 15 | 14 | 01 |
| 2 | सफाई कर्मचारी | 15 | 09 | 06 |
| 3 | रसोइया | 24 | 20 | 04 |
| 4 | नाई | 07 | 05 | 02 |
| 5 | धोबी | 08 | 05 | 03 |

**साज– सामान** :– भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11–27011/102/2000–पी0एफ0–11–111 दिनांक 18–7–2001 के अनुसार निम्नलिखित साजो सामान स्वीकृत किये गये ।

| नाम | मात्रा | लागत |
|---|---|---|
| एच0एफ0सैट | 2 | 3,17,220–00 |
| डुपलेक्स सैट | 2 | 1,60,886–00 |
| वी0एच0एफ. 20 वाट सैट | 30 | 4,95,780–00 |
| ई0टी0पी0 मशीन | 2 | 1,85,500–00 |
| दो वाट पी0एच0एफ0सैट | 65 | 13,84,344–00 |
| लीड एसिड बैटरी | 72 | 1,19,041–00 |
| | कुल लागत | 26,62,771–00 |

<u>अस्त्र–शस्त्रः–</u> भारत सरकार द्वारा प्रथम इंडिया रिजर्व बटालियन के लिए निम्नलिखित अस्त्र–शस्त्र स्वीकृत किये गये हैं :–

| नाम | मात्रा |
|---|---|
| SLRs | 675 |
| Pistol 9mm | 59 |
| Carbines 9mm | 160 |
| Mortars 51mm | 18 |
| LMGs | 18 |
| Tear Gas Gun | 05 |

वर्ष 2022 के अन्तर्गत कानून एवं व्यवस्था डयूटी के लिए रोहतक, गुजरात, करनाल, गुरुग्राम, व सोनीपत में विभिन्न स्थानों पर कम्पनियां भेजी गई।

## द्वितीय इंडिया रिजर्व बटालियन, भौंडसी, गुरुग्राम

1. द्वितीय भारतीय रिजर्व बटालियन की स्थापना– भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11.27011/10/2003.पी.एफ.11 दिनांक 08.10.2003 के अनुसार हरियाणा राज्य के लिए द्वितीय भारतीय रिजर्व बटालियन की मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा सरकार के आदेश नं. 16/23/2003.04 एच.जी.आई. दिनांक 29.10.2003 द्वारा द्वितीय भारतीय रिजर्व बटालियन की स्थापना भौंडसी, जिला गुरुग्राम में हुई।

2. **भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण**– द्वितीय भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए 109 एकड़ 4 कनाल 19 मरला क्षेत्र गावं भौंडसी जिला गुरुग्राम में अधिग्रहण करने के लिए डी.आर.ओ. कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 3181/डी.आर.ए. दिनांक 02.12.04 से पुलिस महानिदेशक हरियाणा के कार्यालय को जारी करने के लिए भेजा गया था जो पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के पत्र क्रमांक न0 8270 दिनांक 13.07.09 को फाईल कर दिया गया है।

3. **नफरी**– वर्ष 2022 में निम्नलिखित स्टाफ मंजूर एवं तैनात है।

<u>प्रशासनिक स्टाफ</u>

| | स्वीकृत स्टाफ | तैनात | रिक्त |
|---|---|---|---|
| 1. आदेशक | 1 | 1 | 0 |
| 2. सहायक आदेशक | 3 | 0 | 3 |
| 3. उप पुलिस अधीक्षक | 7 | 4 | 3 |
| 4. निरीक्षक | 13 | 7 | 6 |
| 5. उप निरीक्षक | 28 | 29 | 1 अतिरिक्त |
| 6. सहायक उपनिरीक्षक | 56 | 41 | 15 |
| 7. हवलदार | 167 | 140 | 27 |
| 8. EHC/OPR/HC/Ct | 675 | 415 | 260 |

<u>मिनीस्ट्रियल स्टाफ</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. अधीक्षक | 1 | 0 | 1 |
| 2. लिपिक | 5 | 4 | 1 |
| 3. स्टैनो | 1 | 0 | 1 |

<u>मैडिकल स्टाफ</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. चिकित्सा अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 2. औषधीकारक | 2 | 1 | 1 |
| 3. परिचायिका सहायक | 1 | 0 | 1 |

<u>वायरलैस स्टाफ</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. निरीक्षक | 1 | 1 | 0 |
| 2. उपनिरीक्षक | 2 | 2 | 0 |
| 3. हवलदार | 4 | 4 | 0 |
| 4. सिपाही | 26 | 24 | 2 |
| **चतुर्थ श्रेणी** | | | |
| 1. जलवाहक | 15 | 9 | 6 |
| 2. सेवादार | 15 | 5 | 10 |
| 3. रसोइया | 24 | 20 | 4 |
| 4. नाई | 07 | 2 | 5 |
| 5. धोबी | 8 | 3 | 5 |

4. <u>साजो–सामान</u>– भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11.27011/10.2003.पी.एफ.IV दिनांक फरवरी 2004 के अनुसार निम्नलिखित साजो सामान स्वीकृत किये गये हैं–

| नाम | मात्रा |
|---|---|
| एच.एफ.सैट | 2 |
| डुप्लैक्स सैट | 2 |
| टी.एच.एफ.20 वाट सैट | 30 |
| ई.टी.पी. मशीन | 2 |
| दो वाट वी.एच.एफ. सैट | 65 |
| लीड एसिड बैटरी | 72 |

5. <u>अस्त्र–शस्त्र–</u> भारत सरकार द्वारा द्वितीय भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए निम्नलिखित अस्त्र–शस्त्र स्वीकृत किए गए हैं–

| नाम | मात्रा | लागत |
|---|---|---|
| 1. SLRs 7.62 | 675 | 3792550/- |
| 2. Pistol 9 MM | 59 | 923940/- |
| 3. Carbines 9 MM | 160 | 2162701/- |
| 4. Mortars 51 MM | 18 | 1745968/- |
| 5. LMGs 5.56 | 18 | ---- |
| 6. Bomb 51MM Morter smoke | 360 nos. | 700877/- |
| 7. Cartgs 9MM | 45.310 nos. | 518346/- |

6. <u>वाहन</u>– भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11–27011/10/2003.पी.एफ. दिनांक फरवरी 2004 के अनुसार निम्नलिखित वाहन स्वीकृत किये गए हैं–

| क्रम | गाडी का नाम | स्वीकृत | लागत | उपलब्ध |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जिप्सी | 7 | 2201808/– | 1 |
| 2. | बस | 10 | 7076450/– | 4+1 (जली हुई) |
| 3. | मिनी बस | 9 | 4613400/– | 1 |
| 4. | ट्रक | 5 | 2369895/– | 1 |
| 5. | मोटर साईकिल | 7 | 208278/– | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | एम्बुलैंस | 1 | 373693/– |
| 7. | टाटा सुमो | 3 | 992304/– |

## तृतीय इंडिया रिजर्व बटालियन, सुनारियां, रोहतक

1. **तृतीय भारतीय रिजर्व बटालियन की स्थापना–** भारत सरकार के पत्र क्रमांक 16011/20/2005–PF.IV(IX) दिनांक 22.03.2006 के अनुसार हरियाणा राज्य के लिए तृतीय भारतीय रिजर्व बटालियन की मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा सरकार के आदेश नं. 16/31/2001–04 एच.जी.आई. दिनांक 17.07.2006 द्वारा तृतीय भारतीय रिजर्व बटालियन की स्थापना भौंडसी जिला गुरुग्राम में हुई तथा बाद में पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के कार्यालय के पत्र क्रमांक 15536/Acctt.-3 दिनांक 15.03.2010 के अनुसार इस वाहिनी का मुख्यालय भौंडसी से सुनारिया, रोहतक कर दिया ।

2. **भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण–** इस वाहिनी का मुख्यालय सुनारिया, रोहतक में है। इस वाहिनी के कार्यालय एवं लाईन के लिए भवन पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र सुनारिया द्वारा अस्थाई तौर पर उपलब्ध करवाये गए हैं तथा सरकार द्वारा अलग से इस वाहिनी के लिए भूमि अधिग्रहण व भवन निर्माण नहीं किया गया है। पी0टी0सी0 सुनारिया में काफी मात्रा में जमीन उपलब्ध है, इसलिए इस वाहिनी के लिए पी0टी0सी0 सुनारिया की जमीन में से अलग से भूमि स्थानांतरित की जाकर अलग भवन का निर्माण होना चाहिए।

**नफरी–** वर्ष 2022 में निम्नलिखित स्टाफ स्वीकृत एवं नियुक्त है:–

प्रशासनिक स्टाफ

| | स्वीकृत स्टाफ | तैनात | रिक्त |
|---|---|---|---|
| 1. आदेशक | 1 | 1 | 0 |
| 2. सहायक आदेशक | 3 | 0 | 3 |
| 3. उप पुलिस अधीक्षक | 7 | 6 | 1 |
| 4. निरीक्षक | 13 | 7 | 6 |
| 5. उप निरीक्षक | 28 | 29 | 1 अतिरिक्त |
| 6. सहायक उप निरीक्षक | 56 | 42 | 14 |
| 7. मुख्य सिपाही | 167 | 142 | 25 |
| 8. सिपाही | 675 | 539 | 136 |
| **मिनीस्ट्रियल स्टाफ** | | | |
| 1. अधीक्षक | 1 | 1 | 0 |
| 2. लिपिक | 5 | 5 | 0 |
| 3. स्टैनो | 1 | 1 | 0 |
| **मैडिकल स्टाफ** | | | |
| 1. चिकित्सा अधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 2. औषधीकारक | 2 | 2 | 0 |
| 3. नर्सिंग सहायक | 1 | – | 1 |
| **वायरलैस स्टाफ** | | | |
| 1. निरीक्षक | 1 | 1 | 0 |
| 2. उप निरीक्षक | 2 | 2 | 0 |
| 3. हवलदार | 4 | 4 | 0 |
| 4. सिपाही | 26 | 01 | –25 |
| **चतुर्थ श्रेणी** | | | |
| 1. जलवाहक | 15 | 6 | 9 |
| 2. सफाई | 15 | 1 | 14 |
| 3. रसोइया | 24 | 16 | 8 |
| 4. नाई | 7 | 6 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. धोबी | 8 | 6 | 2 |

4.. **साज सामान**— निम्नलिखित साजो सामान स्वीकृत किये गये हैं—

| नाम | मात्रा |
|---|---|
| एच.एफ.सैट | 2 |
| डुप्लैक्स सैट | 2 |
| टी.एच.एफ. 20 वाट सैट | 30 |
| ई.टी.पी. मशीन | 2 |
| दो वाट वी.एच.एफ. सैट | 65 |
| सैकंडरी बैटरी | 72 |

6. **अस्त्र–शस्त्र**— भारत सरकार द्वारा तृतीय भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए निम्नलिखित अस्त्र–शस्त्र स्वीकृत किए गए हैं—

| नाम | मात्रा | उपलब्ध |
|---|---|---|
| 1. SLRs | 675 | 673 |
| 2. Pistol 9 MM | 59 | 63 |
| 3. Carbine 9 MM | 160 | 158 |
| 4. Mortars 51 MM | 18 | 18 |
| 5. LMGs 7.62MM | 18 | 18 |
| 6. INSAS 5.56MM | 60 | 60 |
| 7. VLP | 16 | 16 |
| 8. AK-47 | 30 | 30 |
| 9. Rifle No. 4 MK-I .303" | 50 | - |
| 10. Anti Riot Gun | 03 | 03 |

7. **वाहन**— भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11—27011/10/2003.पी.एफ. दिनांक फरवरी 2004 के अनुसार निम्नलिखित वाहन स्वीकृत किये गए हैं—

| क्रम | गाड़ी का नाम | स्वीकृत | उपलब्ध |
|---|---|---|---|
| 1. | जिप्सी | 7 | 04 |
| 2. | बस | 10 | 07 |
| 3. | ट्रक | 5 | 03 |
| 4. | मोटर साईकिल | 3 | 05 |
| 5. | एम्बुलैंस | 1 | — |
| 6. | मिनी बस | 9 | 03 |

## चतुर्थ इंडिया रिजर्व बटालियन, मानेसर, गुरुग्राम

1. **चतुर्थ भारतीय रिजर्व बटालियन की स्थापना**— भारत सरकार के पत्र क्रमांक 16011/6/2006—PF.IV(ii) दिनांक 16.09.2008 के अनुसार हरियाणा राज्य के लिए चतुर्थ भारतीय रिजर्व बटालियन की मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा सरकार के आदेश नं. 16/27/2008—04 एच.जी.आई.—II दिनांक 27.02.2009 द्वारा चतुर्थ भारतीय रिजर्व बटालियन की स्थापना गांव सुनारियां, जिला रोहतक में हुई।

**2. भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण**— चतुर्थ भारतीय रिजर्व बटालियन का मुख्यालय, नई पुलिस लाईन मानेसर नौरंगपुर, गुरुग्राम में है।

3. **नफरी**— वर्ष 2022 में निम्नलिखित स्टाफ मंजूर एवं तैनात है।

**प्रशासनिक स्टाफ**

| | स्वीकृत स्टाफ | तैनात | रिक्त |
|---|---|---|---|
| 1. आदेशक | 1 | 1 | 0 |
| 2. सहायक आदेशक | 3 | 0 | 3 |
| 3. उप पुलिस अधीक्षक | 7 | 5 | 2 |
| 4. निरीक्षक | 13 | 6 | 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. उप निरीक्षक | 28 | 27 | 1 |
| 6. सहायक उप निरीक्षक | 56 | 26 | 30 |
| 7. हवलदार | 167 | 109 | 58 |
| 8. सिपाही | 675 | 414 | 261 |
| **मिनिस्ट्रयल स्टाफ** | | | |
| 1. अधीक्षक | 1 | 1 | 0 |
| 2. लिपिक | 5 | 4 | 1 |
| 3. स्टैनो | 1 | 0 | 1 |
| **मैडिकल स्टाफ** | | | |
| 1. चिकित्सा अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 2. औषधक | 2 | 0 | 2 |
| 3. परिचायिका सहायक | 1 | 0 | 1 |
| **वायरलैस स्टाफ** | | | |
| 1. निरीक्षक | 1 | 0 | 1 |
| 2. उपनिरीक्षक | 2 | 0 | 2 |
| 3. हवलदार | 4 | 0 | 4 |
| 4. सिपाही | 26 | 0 | 26 |
| **चतुर्थ श्रेणी** | | | |
| 1. जलवाहक | 15 | 1 | 14 |
| 2. सेवादार | 15 | 1 | 14 |
| 3. रसोइया | 24 | 19 | 5 |
| 4. नाई | 7 | 4 | 3 |
| 5. धोबी | 8 | 3 | 5 |

4. **साज सामान**– निम्नलिखित साजो सामान स्वीकृत किये गये हैं–

| नाम | | | |
|---|---|---|---|
| एच.एफ.सैट | 2 | 0 | 2 |
| डुपलेक्स | 2 | 0 | 2 |
| टी.एच.एफ.20 वाट सैट | 30 | 0 | 30 |
| ई.टी.पी. मशीन | 2 | 0 | 2 |
| दो वाट वी.एच.एफ. सैट | 65 | 0 | 65 |
| सैकंडरी बैटरी | 72 | 0 | 72 |

5. **अस्त्र–शस्त्र**– भारत सरकार द्वारा द्वितीय भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए निम्नलिखित अस्त्र–शस्त्र स्वीकृत किए गए हैं–

| नाम | | | |
|---|---|---|---|
| 1. SLRs | 675 | 675 | 0 |
| 2. Pistol 9mm | 59 | 44 | 15 |
| 3. Carbine 9mm | 160 | 160 | 0 |
| 4. Mortars 51mm | 18 | 18 | 0 |
| 5. LMGs | 18 | 18 | 0 |
| 6. AK-47 | - | 10 | 0 |

6. **वाहन**– भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11–27011/10/2003.पी.एफ. दिनांक फरवरी 2004 के अनुसार निम्नलिखित वाहन स्वीकृत किये गए हैं–

| क्रम | गाड़ी का नाम | स्वीकृत | उपलब्ध | अधिकता | रिक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्टाफ कार | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | जिप्सी | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 3. | बस | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 4. | ट्रक | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 5. | मोटर साईकिल | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6. | एम्बुलैंस | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | मिनी बस | 10 | 1 | 0 | 9 |

## पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, भौंडसी, गुरुग्राम

1. **स्थापना**— पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, भौंडसी, गुरुग्राम की स्थापना 31.05.2004 में हुई है।

2. **भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण**— पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 362 एकड 2 कनाल 9 मरला भूमि अधिकृत की जा चुकी है जिसमें इस महाविधालय की स्थापना की गई है।

**प्रशासनिक स्टाफ**

| क्र0 स0 | पद का नाम | मन्जूर शुदा नफरी | स्थाई नफरी | अस्थाई नफरी | नियुक्ति शुदा नफरी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अति0 पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक | — | 01 अतिरिक्त चार्ज | — | 1 |
| 2 | उप पुलिस महानिरीक्षक | — | 1 | — | 1 |
| 3 | पुलिस अधीक्षक | 1 | 1 | — | — |
| 4 | उप पुलिस अधीक्षक | 1 | 2 | — | 3 |
| 5 | निरीक्षक | 1(+1 बैन्ड स्टाफ) | 3 | 2 | 5 |
| 6 | उप निरीक्षक | 19(+1 बैन्ड स्टाफ) | 4 | 5 | 9 |
| 7 | सहायक उप निरीक्षक | 9(+1 बैन्ड स्टाफ) | 12(+1 बैन्ड स्टाफ) | 14 | 27 |
| 8 | हवलदार | 14(+6 बैन्ड स्टाफ) | 8 (+5 बैन्ड स्टाफ) | 9 | 22 |
| 9 | ई/हवलदार + सिपाही | 27(+33 बैन्ड स्टाफ) | 13 (+21 बैन्ड स्टाफ) | 117 | 151 |

**कार्यालय स्टाफ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी**

| क्र0न0 | पद का नाम | मन्जूरशुदा नफरी | नियुक्तिशुदा | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अधीक्षक कार्यालय | 1 | केवल वेतन के लिए जोड़ा गया है। | — |
| 2 | सहायक | 2 | 02 | — |
| 3 | सिनियर स्केल स्टैनो | 1 | — | 1 |
| 4 | जूनियर स्केल स्टैनो | 1 | — | 1 |
| 5 | लिपिक | 4 | 4 | — |
| 6 | चपरासी | 2 | 1 | 1 |
| 7 | कम्पयूटर स्टाफ | — | — | — |
| 8 | सहायक पुस्तकालय | 1 | — | 1 |
| 9 | जिल्दसाज | 1 | — | 1 |
| 10 | दफ्तरी | 1 | — | 1 |
| 11 | जमादार | 2 | 1 | 1 |
| 12 | लांगरी | 15 | 10 | 05 |
| 13 | नलकुप सचांलक | 2 | — | 2 |
| 14 | भूमिगत मल सचांलक | 2 | — | 2 |
| 15 | धोबी | 10 | 05 | 05 |
| 16 | माली | 10 | 05 | 05 |
| 17 | पेन्टर | 2 | 2 | — |
| 18 | दर्जी | 2 | 2 | — |
| 19 | मोची | 3 | 3 | — |
| 20 | नाई | 3 | 2 | 1 |

**प्रशिक्षणः—** यह केन्द्र रैकरुटों के लिए बेहतर एवं अच्छी मूल प्रशिक्षण प्रदान करता है।

## पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सुनारियां, रोहतक

1. **स्थापना–** पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सुनारिया, रोहतक की स्थापना 12.05.2011 में हुई है। इससे पूर्व यहां वर्ष 2009 से एक रैकरुट ट्रेंनिग सैन्टर, आर0टी0सी0 कार्य कर रहा था। यह पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय गांव माण्डोढी, गरनावठी व गांव सुनारियां के बीच में स्थित है तथा रोहतक शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का उदेश्य रैकरुट बेसिक कोर्स करवाना व पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य सेवाकालीन प्रशिक्षण देना है, ताकि वे पुलिस विभाग व समाज में उच्च कोटि का आदर्श स्थापित करें। हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 16/14/2008–एच0जी–I दिनांक 12.05.2011 के अनुसार निम्नलिखित स्टाफ स्वीकृत है:–

| Sr. No. | Name of post/rank | Number of posts |
|---|---|---|
| ADMINISTRATION | | |
| 1 | DIG | 01 |
| 2 | S.P | 01 |
| 3 | DSP (Outdoor, Indoor & Administration) | 03 |
| | Total | 05 |
| MEDICAL STAFF | | |
| 4 | Doctor | 01 |
| 5 | Lady Doctor | 01 |
| 6 | Nursing Orderly (Male) | 02 |
| 7 | Nursing Orderly (Female) | 01 |
| 8 | ANM | 01 |
| 9 | Pharmacist | 01 |
| 10 | Lab Technician | 02 |
| 11 | Attendant | 01 |
| | Total | 10 |
| CYBER LAB | | |
| 12 | Forensic Science Technician/instructor(SSA Scale) | 01 |
| 13 | System Analyst | 01 |
| 14 | Computer Programmer | 02 |
| 15 | Computer instructor (SI) | 04 |
| 16 | Instructor Admn. | 03 |
| | Total | 11 |
| Brass Band | | |
| 22 | Inspector | 01 |
| 23 | Assistant Sub Inspector | 01 |
| 24 | Head Contable | 02 |
| 25 | Constable | 17 |
| | Total | 10 |
| ACADEMIC STAFF | | |
| 26 | Lecturer Sociology | 02 |
| 27 | Lecturer Psychology | 02 |
| 28 | Lecturer History | 02 |
| 29 | Lecturer Law | 04 |
| 30 | Lecture Human behavior | 02 |
| 31 | Lecturer Soft Skill | 02 |

| | | |
|---|---|---|
| 32 | Lecturer Management | 02 |
| | Total | 16 |
| FORENSIC SCIENCE | | |
| 33 | Lecturer Forensic Science | 02 |
| 34 | Lecturer Finger Print | 02 |
| | Total | 04 |
| MINISTERIAL STAFF | | |
| 35 | Superintendent | 01 |
| 36 | Assistant | 06 |
| 37 | Senior Scale Stenographer | 02 |
| 38 | Clerk | 04 |
| 39 | Librarian | 01 |
| | Total | 14 |
| Administrative Group | | |
| 40 | SI | 25 |
| 41 | HC | 15 |
| | Total | 40 |
| CLASS-IV STAFF | | |
| 41 | Cook | 20 |
| 42 | Sweeper | 10 |
| 43 | Carpenter (Matric with ITI) | 02 |
| 44 | Plumber (Matric with ITI) | 01 |
| 45 | Electrician (Matric with ITI) | 02 |
| 46 | Blacksmith | 01 |
| 47 | Masson | 02 |
| 48 | Painter | 02 |
| 49 | Barber | 05 |
| 50 | Mali | 03 |
| 51 | Parade Attendant | 03 |
| 52 | Washerman | 05 |
| 53 | Cobbler | 02 |
| 54 | Tailor | 03 |
| 55 | Class Attendant | 02 |
| 56 | Peon | 02 |
| | Total | 65 |

2. <u>भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण</u>– पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 488 एकड़ व 13 मरला भूमि अधिकृत की जा चुकी है, जिसमें इस महाविद्यालय की स्थापना की गई है।

3. <u>पुस्तकालय</u> – एकेडमिक ब्लाक में दो पुस्तकालय खोले गये है जिसमें पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों व प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञान के लिए पुस्तकें तथा दैनिक समाचार पत्र व अन्य पाठय सामग्री उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त इसमें स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षा सुविधा, ए0टी0एम0 सुविधा, कम्पयुटर लैब, मनोरंजन कक्ष व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

# अध्याय–8

## न्यायवैद्यिक विज्ञान प्रयोगशाला, हरियाणा

न्यायवैद्यिक विज्ञान प्रयोगशाला, हरियाणा, देश–प्रदेश की अग्रिम पक्ति की प्रयोगशालाओं में गिनी जाती है। उत्तरी भारत में यह एन.ए.बी.एल. 17025:2005 के अन्तर्गत मूल्याकितं एवं प्रत्यायित प्रथम न्यायवैद्यिक विज्ञान प्रयोगशाला है तथा सम्पूर्ण भारत में तीसरी प्रत्यायित प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में अपराध अन्वेषण में तकनीकी सहायता देने तथा विभिन्न प्रकार के अपराध प्रदर्शो के परीक्षण हेतू बारह विभाग तथा एक अनुभाग है :–

1. अस्त्र शस्त्र+विस्फोटी विभाग
2. जीव विज्ञान+डायटमोलोजी विभाग
3. सीरम विज्ञान विभाग
4. रसायन विज्ञान+विष विज्ञान अनुभाग
5. भौतिक विज्ञान विभाग
6. प्रलेख परीक्षण विभाग
7. झूठ अभिज्ञापक विभाग
8. एन.डी.पी.एस. विभाग
9. डी.एन.ए. विभाग
10. साईबर फौरेंसिक विभाग
11. घटना दृश्य अपराध विभाग

एक अनुभाग है :–

1. <u>आलोक चित्र अनुभाग</u>

इसके अतिरिक्त पाँच रेंजों में मोबाईल न्याय वैद्यक इकाई स्थापित हैं जो अपराध स्थल पर प्रारंभिक परीक्षण कर अपराध अन्वेषण में सहायता देते हैं। वर्ष 2022 में हर जिले में मोबाइल न्याय वैद्यक इकाई स्थापित करने की योजना है।

इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिक एवं अधिकारियों को कई प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय पुलिस एकादमी, हैदराबाद, भारतीय जन प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा न्याय वैद्यक विज्ञान के विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देने हेतू समय समय पर आमंत्रित करते रहते हैं। प्रयोगशाला के वैज्ञानिक विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं तथा राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान दिल्ली, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, चंडीगढ़, गुप्तचर विभाग प्रशिक्षण विद्यालय पंचकूला एवं हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन को प्रशिक्षण में सहायता करते हैं।

अपराध अन्वेषण में तकनीकी सहायता देने के अतिरिक्त इस प्रयोगशाला के अधिकारियों का शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों में भी योगदान रहा है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में एम.एस.सी एवं पी.एच.डी के परीक्षकों के रुप में भी योगदान देते रहते है।

इस प्रयोगशाला के विभिन्न विभागों व अनुभागों में उपलब्ध परीक्षण/विश्लेषण सुविधाओं व वर्ष 2022 में निपटाये गये केसों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

### <u>अस्त्र–शस्त्र विभाग</u>

यह विभाग विभिन्न प्रकार के आग्नेय शस्त्रों, कारतूसों का परीक्षण करके उनके मेक, रंचयिता तथा व्यास कार्य करने की दशा का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही आग्नेय शस्त्र तथा घटित अपराध को जोड़ने

तथा अपराध घटना स्थलों का पुनः निर्माण करके अन्वेषण अधिकारियों की जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करता है। इस विभाग ने सन् 2022 में जिन विभिन्न प्रकार के मामलों का परीक्षण/विश्लेषण किया है वह इस प्रकार है:—

| | |
|---|---|
| कुल मामले | 753 |

**जीव विज्ञान विभाग**

इस विभाग में पानी व हड्डी में डायटम विश्लेषण व जैविक द्रव्यों जैसे रक्त, वीर्य, लार इत्यादि तन्तुओं, बालों, काष्ठ एवं डायटम तथा बीज इत्यादि के विश्लेषण एवं परीक्षण की सुविधायें उपलब्ध हैं। खोपड़ी की सहायता से मृतक की पहचान हेतू इस विभाग द्वारा सुपरइम्पोजिशन विधि को विकसित किया गया है। सन् 2022 में निपटाए गये विभिन्न प्रकार के मामलों का विवरण निम्नांकित है:—

| | |
|---|---|
| वीर्य | 557 |
| डायटम | 649 |
| अन्य जैविक द्रव्य | 114 |
| कुल मामले | 1320 |

**सीरम विज्ञान विभाग**

इस विभाग में रक्त, वीर्य लार के विश्लेषण की सुविधायें उपलब्ध है। पैतृकता विवादों व अन्य मामलों में डी.एन.ए. विश्लेषण विधि आरम्भ करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। सन् 2022 में निपटाये गये विभिन्न प्रकार के मामलों का विवरण निम्नांकित है:—

| | |
|---|---|
| कुल मामले | 650 |

**रसायन विज्ञान व विष विभाग**

रसायन विज्ञान व विष विभाग में विसरा, नशीले मादक द्रव्यों, विष, मदिरा, पैट्रोल पदार्थों तथा आगजनी के मामलों में बचे अवशेषों का रसायनिक परीक्षण एवं विश्लेषण आधुनिक उपकरणों जैसे जी.एल.सी, यू.वी., आई.आर. स्पैक्ट्रोफोटोमीटर, एच.पी.एल.सी., एच.पी.टी.एल.सी. की सहायता से किया जाता है। सन् 2021 में निपटाये गये विभिन्न प्रकार के मामलों का विवरण निम्नांकित है:—

| | |
|---|---|
| रसायन विज्ञान | 460 |
| विष विभाग | 2024 |

**भौतिक विज्ञान विभाग**

इस विभाग में भवन निर्माण के काम आने वाली विभिन्न सामग्रियों जैसे सीमेंट, रेत, ईंट, बजरी, मोरटार आदि का परीक्षण एवं विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना आदि के मामलों में रंग रोगन की जांच तथा चोरी के मामलों में तारों की पहचान तथा अपराध अनुसंधान में मिले कपड़े, रस्सी आदि का तुलनात्मक विश्लेषण आधुनिक उपकरणों के द्वारा किया जाता है। सन् 2022 में निपटाये गये विभिन्न प्रकार के मामलों का विवरण निम्नांकित है :—

| | |
|---|---|
| कुल मामले | 322 |

**प्रलेख परीक्षण विभाग व साईबर फौरेन्सिक**

इस विभाग में साईबर फौरन्सिक केसज व विभिन्न प्रकार के विवादित दस्तावेजों जैसे बैंक ड्राफ्ट, चैक, रसीद, वसीयतनामा, हल्फनामा, जमानतनामा, इकरारनामा, फिरौती पत्र, आत्महत्या नोट, पासपोर्ट, लाटरी टिकट, करन्सी नोट, उत्तर पुस्तिकाओं आदि का परीक्षण किया जाता है जिनमें हस्ताक्षरों व हस्तलेखों की पहचान, टाईपराईटिंग, छपाई, सील, मोहर का मिलान, मिटाई हुई अदृश्य लेख व परिवर्तित लिखाई को उभारना व इसकी पहचान करना, दस्तावेजों के

लिखे जाने व बनाने के समय का पता लगाना आदि सम्मिलित है। पुलिस विभाग के अतिरिक्त हरियाणा सरकार के अधीन अन्य विभागों जैसे वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा डेयरी विकास निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सहकारी समितियों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा के विश्वविद्यालय व इसके अतिरिक्त बैंकों व न्यायालय द्वारा भेजे गये दस्तावेजों का परीक्षण भी किया जाता है। साईबर क्राईम के केसों का विश्लेषण इस विभाग में आरम्भ किया जाता है। सन् 2023 में निपटाये गये विभिन्न प्रकार के मामलों का विवरण निम्नांकित है:–

कुल मामले 371

**झूठ अभिज्ञापक विभाग**

हर प्रकार के अपराध में यह विभाग झूठ अभिज्ञापक यन्त्र की सहायता से संदिग्ध व्यक्तियों, गवाहों तथा शिकायतकर्ता के ब्यानों की सत्यता प्रमाणित करने की सुविधा प्रदान करता है। सन् 2022 में निपटाए गए विभिन्न प्रकार के मामलों का विवरण निम्नांकित है:–

कुल मामले ––

**एन.डी.पी.एस. विभाग**

इस विभाग के अन्तर्गत नशीले पदार्थों की रसायनिक क्रिया की जाती है। सन् 2022 में निपटाये गये विभिन्न प्रकार के मामलों का विवरण निम्नांकित है:–

कुल मामले 1134

**डी.एन.ए. विभाग**

सन् 2022 में निपटाये गये मामले 1122

**आलोक चित्र अनुभाग**

यह अनुभाग इस प्रयोगशाला के सभी विभागों एवम् अनुभागों में विश्लेषण/परीक्षण किये जाने वाले प्रदर्शो के आवश्यकतानुसार चित्र लेता है, जो विशेषज्ञों द्वारा अपनी रिपोर्ट के सम्बन्ध में न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनके माध्यम से विशेषज्ञों की रिपोर्ट न्यायालय में विश्वसनीय बन जाती है। इस वर्ष इस अनुभाग ने 584 मामलों में प्रयोगशाला के विभिन्न विभागों एवम् अनुभागों की सहायता की है।

**विशेष उपलब्धियॉं** :

प्रयोगशाला के विभिन्न विभागों व अनुभागों में वर्ष 2021 में विश्लेषण हेतू प्राप्त क्राईम केस और निपटाये गये केसों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

**CASE STATISTICS OF FSL HARYANA, MADHUBAN (KARNAL) DURING THE YEAR, 2022**

| Name of the Division | No. of Cases pending at the beginning of the year | No. of Cases received during the year | No. of Cases disposed during the year | No. of Cases pending at the end of the year |
|---|---|---|---|---|
| Ballistics | 389 | 898 | 825 | 462 |
| Biology | 32 | 1298 | 1320 | 10 |
| Serology | 137 | 650 | 654 | 132 |
| Chemistry | 28 | 473 | 460 | 71 |
| Documents | 1757 | 385 | 371 | 1737 |
| DNA | 1481 | 1128 | 1067 | 1487 |
| Physics | 420 | 523 | 312 | 731 |
| Lie- Detection | 0 | 25 | 25 | 0 |
| NDPS | 1552 | 941 | 1134 | 1359 |
| Photo Section | 0 | 584 | 584 | 0 |
| Toxicology | 1221 | 1977 | 2023 | 1175 |
| **TOTAL** | **7017** | **8882** | **8775** | **7164** |

## अध्याय–9

## राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो हरियाणा

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, हरियाणा की स्थापना हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 21/2/81–4 एच जी आई दिनांक 09.02.1987 के अनुसार हुई थी तथा इसने अपना कार्य दिनांक 01.04.1987 से हरियाणा पुलिस काम्पलैक्स, मधुबन में आरम्भ किया। हरियाणा सरकार के गृह विभाग अधि. सूचना नं0 69/संवि/अनु 309/97 दिनांक 19.08.1997 के अनुसार राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, हरियाणा को स्थाई किया गया व तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के नियम तत्काल प्रभाव से लागू किये गये। इसका उद्देश्य पुलिस विभाग को आधुनिकीकरण, अपराध तथा अपराधियों का अभिलेख रखना, राज्य पुलिस की अपराध तथा अपराधियों को पकड़ने में सहायता करना है तथा राज्य में कानून एवं व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखना है। पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के पत्र क्रमांक 6346/पी–2 दिनांक 09.06.2022 के अनुसार ब्यूरो को मोगीनंद, पंचकूला में स्थानांतरित किया गया। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में स्वीकृत पदों की संख्या, तैनाती व रिक्तियां निम्न प्रकार हैं:–

| क्रम सं0 | रैंक | स्वीकृत पदों की संख्या | नियुक्त पदों की संख्या | रिक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक | 01 | 01 | — |
| 2. | पुलिस महानिरीक्षक | 01 | 01 | — |
| 3. | पुलिस उप महानिरीक्षक | 01 | — | 01 |
| 4. | पुलिस अधीक्षक | 01 | — | 01 |
| 5. | उप पुलिस अधीक्षक | 03 | 01 | 02 |
| 6. | निरीक्षक | 05 | 04 | 01 |
| 7. | उप निरीक्षक | 26 | 03 | 23 |
| 8. | स.उ.नि. | 08 | 08 | — |
| 9. | मु0सि0 | 09 | — | 09 |
| 10. | सिपाही | 36 | 02 | 34 |
| | **कार्यालय स्टाफ** | | | |
| 1. | सहायक | 01 | 01 | — |
| 2. | सीनियर स्केल स्टैनो | 01 | — | 01 |
| 3. | स्टैनो टाईपिस्ट | 01 | — | 01 |
| 4. | लिपिक | 08 | 06 | 02 |
| 5. | दफ्तरी | 01 | — | 01 |
| 6. | सेवादार | 04 | — | 04 |
| 7. | स्वीपर | 04 | 02 | 02 |
| 8. | इलैक्ट्रिशियन | 01 | — | 01 |
| 9. | कारपेन्टर | 01 | 01 | — |
| 10. | जलवाहक | 04 | 04 | — |
| 11. | लांगरी | 02 | 02 | — |
| 12. | माली | 01 | 01 | — |

इस कार्यालय के कार्य को सूचारू रूप से चलाने के लिये पांच शाखाओं में विभक्त किया गया है:–

1. अंगुल छाप प्रणाली।
2. कम्पयूटर विंग।
3. एम.ओ.बी.।
4. सी.आर.ओ.।
5. लेखा शाखा।

### अगुंल छाप प्रणाली

क) ऐफिस सर्वर की अवधि खत्म होने के कारण इस ब्युरो में काम नही कर रहा है एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली द्वारा अगस्त 2022 से 404052 रिकार्ड स्लिप व सर्च स्लिप ऐफिस सर्वर के डाटा को नेफिस में माईग्रेट किया गया है।

नेफिस सैक्शन

एन.सी.आर.बी द्वारा नेफिस को सितम्बर 2022 में ऐफिस की जगह स्थापित किया सभी प्रकार की पर्चिया भिन्न–भिन्न जिलों, कमिश्नरी व इकाइयों से नेफिस पर तैयार की जा रही है।

| एस.एफ.पी..बी. सहित नेफिस की कुल साईट | जिला/युनिट नेफिस के कुल वर्कस्टेशन | नेफिस वर्क स्टेशन स्थापित | नेफिस वर्क स्टेशन कमीशनड | नेफिस वर्क स्टेशन परीक्षण |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 63 | 69 | 69 | 69 |

1) इस अवधि के दौरान नेफिस युजर द्वारा भिन्न–भिन्न जिलों, कमिश्नरी व इकाईयों से कुल 19492 तलाश पर्चियां रिकार्ड स्लिप, चांस प्रिंट अपलॉड किये गये।

2) इस अवधि के दौरान 4551 तलाश/रिकार्ड पर्चियों तलाश की गई।

3) इस अवधि के दौरान 10 अज्ञात शवों की पहचान की गई।

**अभियोगों की प्राप्ति तथा विवरण दिनांक 01.04.2022 से दिनाक 31.03.2023**

(1) अभियोग पुलिस विभाग से — 60 (04 पिछले वर्ष के केस)

अभियोग अन्य संस्थाओं से — 07

अभियोग विचाराधीन

| | पुलिस केस | सिविल केस |
|---|---|---|
| | 09 | शून्य |
| शहादत | 43 | |

उपरोक्त 55 अभियोगों का निपटान करके संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालयों को परिणाम अगामी कार्यवाही हेतू भेजे गए तथा 09 मुकद्मा विचाराधीन रहे है।

(2) इस अवधि में राज्यों के भिन्न–भिन्न न्यायालयों तथा विभागों से 07 दिवानी अभियोग इस प्रणाली से विशेषज्ञों की राय हेतू प्राप्त हुए तथा शून्य अभियोग गत वर्ष के लंबित थे कुल 07 अभियोगों में से 07 अभियोग का निपटान करके विशेषज्ञ की राय सहित संबंधित न्यायालयों तथा विभागों को अग्रिम कार्यवाही करके भेजे गये।

**घटना स्थल का निरीक्षण**

इस अवधि के दौरान अंगुल छाप विशेषज्ञों तथा एकल छाप लिपिकों ने 3035 मुकद्मों में घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और 395 मुकद्मों में चांस फिंगर प्रिंटस पाए गए। तुलनात्मक योग्य 92 चान्स प्रिंटों की मदद से 04 केसों को ट्रेस किया गया।

**न्यायालयों में शहादत**

इस अवधि के दौरान अंगुल छाप प्रणाली के विशेषज्ञों एवं एकल छाप लिपिकों को हरियाणा राज्य के न्यायलयों में 16 बार शहादत देने हेतू बुलाया गया था।

**प्रशिक्षण**

इस अवधि में इस प्रणाली के विशेषज्ञों द्वारा अंगुल छाप विज्ञान के कार्य से संबंधित नीचे लिखे अनुसार उच्च अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए ।

1. 195 प्रशिक्षणाथी को बेसिक प्रवीण कोर्स व रफरेशर कोर्स करवाया गया।
2. 108 अनुसंधान अधिकारियों को फिंगर प्रिंट टैक्नीशियन की मदद से समय रहते चांस प्रिंट उभार कर उठाने का कोर्स करवाया गया।
3. 64 नेफिस युजरों को कोर्स करवाया गया।

## फोटो सैक्शन

इस अवधि के दौरान अंगुल छाप प्रणाली की फोटो शाखा ने आधुनिक उपकरणों की सहायता से कुल 2004 लाईफ साइज फोटोग्राफ तथा कुल 634 इन्लार्जमैंट फोटोग्राफ तैयार किए।

इस अवधि के दौरान अंगुलछाप प्रणाली हरियाणा के द्वारा 877 पत्रों का आदान–प्रदान राज्य से संबधित कार्यालयों से किया है।

**पोट्रेट बिल्डिंग सिस्टम। (पी.बी.एस)**

राज्य के सभी जिलों में एक कलर पोर्ट्रेट बिल्डिंग (पहचान प्रो) सॉफटवेयर पहले ही उपलब्ध कराया जा सका है। सभी अपने स्तर पर चश्मदीदों की मदद से संदिग्ध आरोपितों की पोट्रेट तैयार कर रहे है। इसका प्रशिक्षण हरियाणा पुलिस के सभी जिलों/यूनिट के जिला संचालकों को दिया गया।

**पुलिस संगठनों का आंकडा।**

हरियाणा पुलिस के सभी जिला/यूनिटों के 01.01.2022 से 31.12.2022 तक पुलिस संगठनों के वार्षिक आकडें एकत्र करके, तुलना करे और समेकित करें और बी.पी.आर और डी,एम.एच.ए, भारत सरकार, नई दिल्ली को समय–समय पर नई दिल्ली में बी.पी.आर. और डी की बैठकों और कार्यशालाओं में भाग लिया गया है।

1. **जब्त, बरामद और जारी वाहन मासिक।**
   हरियाणा के सभी जिलों/यूनिटों के जब्त, बरामद और छोडे गए वाहनों की मासिक डायरी समेकित करें और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध, हरियणा, पंचकुला को मासिक आधार पर भेजे।
2. हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन के लधु पाठ्यक्रमों में हरियाणा पुलिस के अधिकारी, अधिनस्थ अधिकारी व अन्य अधिनस्थ अधिकारी और हरियाणा के नए नियुक्त न्यायधीशों की सी.सी.टी.एन.एस सी.ए.एस और एकीकृत जांच फॉर्म भरने पर प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान दिया।
3. राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, हरियाणा की वेबसाइट नियमित आधार पर निगरानी और अद्यतन करती है।
   क) मासिक और वार्षिक अपराध और अपराधिक सांख्यिकीय आकडे।
   ख) राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो से संबधित सभी जानकारी।
   ग) सी.सी.टी.एन.एस और फिंगर प्रिंट प्रवीणता पाठयक्रमों के परिणाम।
4. राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों के पुलिस कर्मियों को विभागीय पदोन्नति प्रि ाक्षण पाठ्यक्रम (पहला, दूसरा और तीसरा) प्रदान किया गया।

**प्रशिक्षण:–**

क) सी.सी.टी.एन.एस–आई.सी.आई.एस के प्रभावी उपयोग के लिए प्रदेश के 355 पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

ख) राज्य अपराध अभिलेख ब्युरो में सी.सी.टी.एन.एस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में व्याख्यान देना।

ग) सी.सी.टी.एन.एस. आई.सी.आई.एस, डिजिटल पुलिस पोर्टल और नागरिक सेवाओं पर प्रशंसा/नोट तैयार करे।

घ) प्रशिक्षण के लिए प्रस्तुति तैयार करें।

ड) सी.एम विंडो– नियमित आधार पर मेल की जांच और निपटान।

च) ई–मेल और हंस संदेश।

छ) हम एस.सी.आर.बी की सी.सी.टी.एन.एस लैब में आकडे प्रवेश के वास्तविक परिद्धश्य के साथ बेसिक कंम्यूटर अवेयरनेस, सी.सी.टी.एन.एस सी.ए.एस और हरसमय (सिटीजन पोर्टल) के बारे में पुलिस कर्मियों को नियमित

रूप से एक महीने का प्रशिक्षण देते है। इस वर्ष के दौरान हरियाणा के सभी जिलों/इकाइयों के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

ज) ई–मेल और स्वान संदेश।

झ) हरियाणा में पुलिस की सभी इकाइयों और कंम्यूटर विंग से संबधित अन्य विभागों को दैनिक आधार पर ई–मेल और स्वान संदेश प्राप्त हुए और भेजे गए।

सी.आर.ओ. शाखा

इस शाखा का मुख्य कार्य सभी जिलों से अपराध आकड़े प्राप्त करना व एकत्रित करके राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो नई दिल्ली को भेजना है जो इस प्रकार है:–

इस शाखा के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | भारत का अपराध। | वार्षिक |
| 2. | दुर्घटनाओं से हुई मौत एवं आत्महत्या। | वार्षिक |
| 3. | मानव तस्करी विरोधी। | वार्षिक |
| 4. | कॉपीराईट एक्ट। | अर्धवार्षिक |
| 5. | अपराधिक खुफिया राजपत्र। | मासिक |
| 6. | जाली नोट/सिक्का (ऑन लाईन)। | |
| 7. | ट्रैक द मिसिंग चाईल्ड सिस्टम वैबसाईट ऑन लाईन (NIC Chandigarh) | |
| 8. | वन्यजीव अपराध नियत्रण ब्यूरो नई दिल्ली (online data website) | |

इसके अतिरिक्त अपराध आंकडों से संबंधित विविध कार्य और जन सूचना का अधिकार इत्यादि कार्य भी इस शाखा द्वारा किया जाता है।

# अध्याय–10

## हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, हरियाणा

1. हरियाणा राज्य सरकार द्वारा उसकी अधिसूचना संख्या 5/2/2020–2एच (सी) दिनांक 25.08.2020 के तहत हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एच.एस.एन.सी.बी) का गठन किया है, जिसका उद्देश्य सभी संबंधित विभागों के सहयोग से राज्य से नशीली दवाओं के खतरे को जड़ से खत्म करना है ताकि भावी पीढी को नशा मुक्त हरियाणा प्रदान कर सके। हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य रोकथाम और पुनर्वास, पहचान, मांग–आपूर्ति में कमी, अवैध निर्माण नियंत्रण, परिवहन, वितरण और दवाओं और नशीले पदार्थों के भंडारण आदि के संबंध में एक सुसंगत और समग्र दृष्टिकोण रखना है।

2. राज्य कार्य योजना को हरियाणा सरकार गृह विभाग के पत्र कमांक 5/2/2022–2सीएच दिनांक 05.05.2022 अनुसार अनुमोदित किया गया है तथा आगे इस 26.06.2022 को माननीय मुख्य मन्त्री हरियाणा द्वारा रोलआउट किया गया है। राज्य कार्य योजना के अनुसार ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में नशा करने वालों की पहचान करने के लिए हरियाणा की आबादी को कवर करने के लिए राज्य कार्य योजना की निम्नलिखित पांच स्तरीय संरचना तैयार की गई है:–

| | |
|---|---|
| टीयर–1 | VMT/WMT (ग्राम/वार्ड स्तरीय मिशन टीम) |
| टीयर–2 | CMT (कलस्टर मिशन टीम) |
| टीयर–3 | SDMT (सब डिविजन मिशन टीम) |
| टीयर–4 | DMT (सब डिविजन मिशन टीम) |
| टीयर–5 | SMT (राज्य मिशन टीम) |

3. कुल 8876 विभिन्न स्तर की टीमें VMT (6516), WMT (1620), CMT (643), SDMT (75) और DMT (22) गठित की गई हैं और कुल 85132 सदस्य VMT (65160), WMT (16184), CMT (3215), SDMT (375) और DMT (198) को राज्य कार्य योजना लागू करने के लिए जोडा गया है। उपरोक्त वर्णित टीमों द्वारा नशा पीडितों एवं नशा पर निर्भर व्यक्तियों की पहचान का सर्वेक्षण कार्य प्रकियाधीन है।

4. राज्य कार्य योजना लागू करने के लिए हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में निम्नलिखित सॉफ्टवेयर/मोबाईल एप्लीकेशन कार्य कर रहे हैं:–

**(क) "धाकड" कार्यकमः–** "धाकड" कार्यकम का उद्देश्य युवाओं, विशेष रूप से छात्रों को व्यवहार कौशल सहित ज्ञान प्रदान करके और नशीली दवाओं के दुरूपयोग के शिकार होने से रोकने के लिए स्वयं और समूह निगरानी के लिए एक समर्थन प्रणाली विकसित करके नशीली दवाओं के दुरूपयोग को रोकना है। **विजनः–** नशीली दवाओं के दुरूपयोग करने वालों की पहचान, पर्यवेक्षण, समर्थन और नशामुक्ति के लिए एक तंत्र का निर्माण करना। धाकड कौन है? "धाकड" एक दोस्त/साथी है जिस पर मदद, देखभाल सहायता और समर्थन के लिए भरोसा किया जा सकता है। कौन है "सीनियर धाकड"? कक्षा शिक्षक "वरिष्ठ धाकड" कौन है? इस कार्यकम को लागू करने के लिए 5 कक्षा साथियों का समूह कौन बनायेगा? नोडल धाकड कौन है? विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक एवं महाविद्यालय के मामले में विभागाध्यक्ष को इस कार्यकम के प्रर्यवेक्षण एवं कियान्वयन हेतु "नोडल धाकड" नियुक्त किया जायेगा। धाकड कार्यकम का उद्देश्य युवाओं, विशेष रूप से छात्रों के बीच नशीली दवाओं के दुरूपयोग को रोकने के लिए एक मंच प्रदान करना है जहां युवा छात्र केवल सांकेतिक तरीकों से अधिक शामिल हैं। धाकड जानते हैं कि अपने साथियों के साथ इस तरह से कैसे संवाद करना है जो समझ में आता है। इसका उद्देश्य बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन हासिल करने, जीवन कौशल विकसित करने और उन्हें स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए छात्रों के बीच संपर्क बढाना है।

**(ख) मोबाइल एप प्रयासः–** इसका उद्देश्य नशे के आदि व्यक्तियों को पहचानने, समझने और उनके मुद्दों को गुमनाम रूप से लड़ने में मदद करना है। इस ऐप के माध्यम से हरियाणा राज्य के भीतर गांव/वार्ड मिशन टीमों, नोडल धाकड, वरिष्ठ धाकड और नशामुक्ति केन्द्रों द्वारा नशा के आदि व्यक्तियों का डेटा एकत्र किया जाएगा। यह डेटा को

अपडेट करने के लिए आवश्यक विशेष विवरण के साथ नशे के आदि, इस्तेमाल की गई दवाओं की श्रेणी/अवधि और ड्रग सप्लायर के स्त्रोत की पहचान करेगा। इसके अलावा यह जानकारी हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा चलाये जा रहे सॉफ्टवेयर पर स्वचालित रूप से एकीकृत हो जाएगी। इस डेटा का उपयोग निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, पहचान, नशामुक्ति और नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही यह राज्य में नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों की आपूर्ति, बिक्री, निर्माण, परिवहन, वितरण और भंडारण में शामिल सभी लोगों के खिलाफ अपराधिक मुकदमा चलाने में मदद करेगा।

(ग) **मोबाइल ऐप साथी:–** इस कडी में हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा ''साथी'' नामक एक अन्य एंड्राइड मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य निर्माताओं, स्टॉकिस्टों, रिटेलर और कैमिस्टों द्वारा सिंथेटिक दवाओं की निगरानी के लिए प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करना है। एनडीपीएस अधिनियम 1985 में वर्णित प्रतिबंधित दवाओं के निर्माण के लिए कानूनी रूप से अधिकृत निर्माताओं की जानकारी इस ऐप में अपलोड की जाएगी। विनिर्माता द्वारा किसी भी स्टॉकिस्ट को प्रतिबंधित दवाईयों की आपूर्ति करने से पूर्व उसे प्रतिबंधित दवाईयों की श्रेणी, मात्रा एवं स्टाक अपलोड करना होगा तथा क्रय किये गये कच्चे माल का स्टॉक एवं निर्मित दवाओं की मात्रा एवं कच्चे माल का शेष स्टॉक भी अपलोड करना होगा। इसी तरह स्टॉकिस्ट, रिटेलर और कैमिस्ट को भी आपूर्ति के बाद शेष 18 प्रतिबंधित दवाओं की डिलीवरी, श्रेणी, मात्रा, आपूर्ति और स्टॉक अपलोड करना होगा। कैमिस्ट को मरीजों की प्रेस्क्रिप्शन पर्ची अपलोड करना और दवा देने के बाद उसे रद्द करना अनिवार्य है। वह चिकित्सक की सलाह पर दी जाने वाली दवाओं के विवरण के साथ व्यसनियों/मरीजों का नाम, पता और फोन नम्बर भी दर्ज करेगा। वे प्रतिबंधित दवाईयां जिन्हें ऐप पर अपलोड नहीं किया गया है और स्टॉक में रखा गया है जिन्हें अवैध/बिना हिसाब की प्रतिबंधित दवाईयां माना जाएगा, जो जब्त की जा सकती हैं और कानून के अनुसार कार्यवाही योग्य हैं। इसके अलावा यह जानकारी हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे सॉफ्टवेयर पर स्वचालित रूप से एकीकृत हो जाएगी। यह राज्य में नशीली दवाओं की आपूर्ति, तस्करी, निर्माण, परिवहन, वितरण और भंडारण में भाामिल सभी लोगों के खिलाफ अपराधिक मुकदमा चलाने में मदद करेगा।

5. **राज्य कार्य योजना का अवलोकन:–** राज्य कार्य योजना में उन्नत प्रोद्योगिकी के आधार पर राज्य के लिए नशीली दवाओं के खतरे की समस्या को दूर करने के लिए एक रोड मैड तैयार किया। यह अनुमान है कि इस राज्य कार्य योजना का उचित कार्यान्वयन हरियाणा अन्य राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के लिए एक मार्गदर्शक राज्य होगा। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थो के दुरूपयोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, यह राज्य कार्य योजना तीन मुख्य बिंदुओं पर कार्य करती है:– पहला मांग में कमी, दूसरा आपूर्ति में कमी और तीसरा वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए जन जागरूकता। उपरोक्त सभी अवधारणाओं का अवलोकन इस प्रकार है:–

(क) **मांग में कमी:–** मांग में कमी की पहली अवधारणा के लिए गांव से राज्य स्तर तक पांच स्तरीय संरचना तैयार की गई है। इस संरचना को बनाने का विजन नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थो को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना है। टियर–1 के स्तर पर हरियाणा की कुल आबादी को कवर करने लिए लगभग 6538 विलेज मिशन टीम (VMT) और 1710 वार्ड मिशन टीम (WMT) गठित किए जाएंगे। लगभग 82480 सदस्य इस उद्देश्य के लिए काम करेंगे जिसमें 50 प्रतिशत सदस्य प्रशासनिक पक्ष से और 50 प्रतिशत जनता पक्ष से होंगे। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में नशा करने वालों की पहचान करना है। ये टीमें निवारक शिक्षा, जागरूकता पैदा करने और पहचान, नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों से परामर्श, उपचार और पुनर्वास और उनके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले नशीली दवाओं के व्यसनी से संबंधित डेटा का संग्रह के लिए काम करेंगी। हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए ''प्रयास ऐप'' पर नशे के आदि व्यक्तियों का डेटा अपलोड किया जाऐगा। नशे के आदि से संबंधित यह जानकारी आगे स्वास्थ्य विभाग के साथ टियर–2 स्तर पर

कलस्टर मिशन टीमों (CMT) में सांझा की जाएगी ताकि नशा करने वालों को परामर्श, नशामुक्ति और पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा सके। टीयर–3 के स्तर से लेकर टीयर–4 तक की सभी टीमें पर्यवेक्षी प्रकृति की होगी और वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में राज्य कार्य योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगी। यह निश्चित रूप से नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थो की मांग को कम करेगा, नशा करने वालों को नशा मुक्त जीवन जीने और राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करेगा।

(ख) **आपूर्ति में कमीः–** आपूर्ति में कमी की दूसरी अवधारणा के लिए इस ब्यूरो द्वारा ''प्रयास'' और ''साथी'' नामक दो एंड्रोइड मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन किए गए हैं। इसका उद्देश्य नशा के आदि को पहचानने, समझने और उनके मुद्दों को गुमनाम रूप से लड़ने में मदद करना है। ''प्रयास'' ऐप के माध्यम से हरियाणा राज्य के भीतर गांव/वार्ड मिशन टीमों, नोडल धाकड, वरिष्ठ धाकड और नशामुक्ति केंद्रों द्वारा नशे के आदि का डेटा एकत्र किया जाएगा। यह विशेष विवरण के साथ नशीली दवाओं के आदि, उपयोग की गई दवा की श्रेणी/अवधि और दवा आपूर्तिकर्ताओं के संभावित स्त्रोत की पहचान करेगा। इसके अलावा यह जानकारी हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा संचालित ''हॉक'' सॉफ्टवेयर पर स्वचालित रूप से एकीकृत हो जाएगी। इस डेटा का उपयोग राज्य में नशीली दवाओं की आपूर्ति, पेडलिंग, निर्माण, परिवहन, वितरण और भंडारण में शामिल सभी लोगों के खिलाफ अपराधिक मुकदमा चलाने के लिए किया जाएगा। जबकि ''साथी'' ऐप के माध्यम से एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत निर्षिद्ध फार्मास्युटिकल दवाओं की जानकारी निर्माताओं, स्टॉकिस्ट, रिटेलर और कैमिस्ट द्वारा ''साथी'' ऐप पर अपलोड की जाएगी। इसके अलावा यह जानकारी हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा संचालित ''हॉक'' सॉफ्टवेयर पर स्वचालित रूप से एकीकृत हो जाएगी। यह राज्य में नशीली दवाओं की आपूर्ति, तस्करी, निर्माण, परिवहन, वितरण और भंडारण में शामिल सभी लोगों के खिलाफ अपराधिक मुकदमा चलाने में मदद करेगा। यह आपूर्ति में कमी के लिए एक मील पत्थर होगा क्योंकि गैर लाईसैंस और लाइसैंस प्राप्त नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ दोनों श्रेणियों को कवर किया जाएगा।

6. **वर्तमान और भावी पीढी के लिए जन जागरूकताः–** इस ब्यूरो द्वारा राज्य कार्य योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कुल 22 प्रशिक्षण कार्यकम/पाठ्यक्रम आयोजित किए गए है, जिनमें कुल 539 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

7. हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2022 तक निम्नलिखित जागरूकता अभियान आयोजित किए हैंः–

| **वर्ष 2022** | | | |
|---|---|---|---|
| क्रम सं0 | ईकाई | जगरूकता अभियानों की संख्या | प्रतिभागियों की संख्या |
| 1 | अंबाला | 42 | 13585 |
| 2 | कुरूक्षेत्र | 35 | 5205 |
| 3 | करनाल | 22 | 4835 |
| 4 | रोहतक | 74 | 17330 |
| 5 | चरखी दादरी | 48 | 15290 |
| 6 | सिरसा | 84 | 44977 |
| 7 | फतेहाबाद | 57 | 16564 |
| 8 | हिसार | 104 | 20101 |
| 9 | गुरूग्राम | 36 | 4895 |
| 10 | रेवाडी | 51 | 36430 |
| 11 | फरीदाबाद | 57 | 20770 |
| 12 | जींद | 26 | 3620 |
| 13 | डा0 (एस0आई0) अशोक कुमार | 331 | 219612 |
| 14 | ए0एस0आई0 सतबीर | 166 | 58916 |
| 15 | ए0एस0आई0 देवेंद्र | 55 | 144985 |
| **कुल** | | **1188** | **627115** |

8. The Sanctioned/posted strength of HSNCB as on 31.03.2023 are as under:-

| Sr. No. | Post | Sanctioned | Posted | Vacant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSP | 05 | 05 | 00 |
| 2 | Insp. | 14 | 09 | 05 |
| 3 | SI | 27 | 21 | 06 |
| 4 | ASI | 44 | 38 | 06 |
| 5 | HC | 63 | 35 | 28 |
| 6 | CT | 151 | 70 | 81 |
| 7 | DA | 01 | 01 | 00 |
| 8 | PA | 01 | 00 | 01 |
| 9 | DSO | 04 | 01 | 03 |
| 10 | Sr. Scale Steno | 01 | 00 | 01 |
| 11 | Stenographer | 02 | 01 | 01 |
| 12 | Assistant | 07 | 05 | 02 |
| 13 | Clerk | 13 | 07 | 06 |
| 14 | Class-IV | 47 | 03 | 44 |
| | **Total** | **380** | **196** | **184** |

9. हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में निम्नलिखित वाहन उपलब्ध हैं, जिनका ब्योरा इस प्रकार से है:–

| क्रम संख्या | वाहन का प्रकार | वाहनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | स्टॉफ कार | 02 |
| 2 | इसूजू | 15 |
| 3 | बेलेरो | 09 |
| 4 | स्कार्पियों | 15 |
| 5 | मोटर साइकिल (प्लसर) | 33 |
| | **कुल** | **74** |

इसके अलावा हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में 05 Sniffer Dog भी उपलब्ध है।

## अध्याय—11

## विशेष कार्य बल (ह०), गुरुग्राम

हरियाणा राज्य, दिल्ली—एन०सी०आर० व आस—पास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ती आपराधिक—गतिविधियों के मध्यनजर व कुख्यात अपराधियों (गैंगस्टरों) को पकड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने जनवरी माह, 2018 को विशेष कार्य बल (एस०टी०एफ०) का गठन किया गया। विशेष कार्य बल ने हरियाणा राज्य में कुख्यात अपराधियों, अंतर्राज्यीय बदमाशों और अन्य जघन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वर्तमान में, जिला गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक, अंबाला, हिसार, बहादुरगढ़ और पलवल में सात (07) फील्ड यूनिट (विशेष कार्य बल, इकाइयों) का गठन किया गया है। इसके अलावा, विशेष कार्य बल का मुख्यालय, दस्तावेज विभाग, तकनीकी विभाग इत्यादि मुख्यालय भोंडसी जिला गुरुग्राम में स्थापित किये गए है।

**संगठनात्मक संरचना**

| | पुलिस महानिरीक्षक | पुलिस अधीक्षक | पुलिस उप–अधीक्षक | निरीक्षक | उप–निरीक्षक | सहायक उप–निरीक्षक | मुख्य सिपाही | सिपाही | आशुलिपिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 01 | 02 | 06 | 07 | 22 | 42 | 62 | 162 | 03 |
| नियुक्ति | 01 | 02 | 08 | 09 | 29 | 32 | 46 | 96 | 00 |

<u>विशेष कार्य बल का कार्य क्षेत्र</u> :—

हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुरूप विशेष कार्य बल को मुख्य रूप से निम्नलिखित आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने और जांच करने का काम सौंपा गया हैं : —

1. मादक पदार्थों, नशीली दवा, अवैध हथियारों और नकली मुद्रा का निर्माण और आपूर्ति।
2. फिरौती के लिए जबरन वसूली और अपहरण/अपहरण के मामले।
3. अंतर गिरोह युद्ध/शूट—आउट और अनुबंध हत्या।
4. डकैती और लूट के सनसनीखेज मामले।
5. आतंकवाद से संबंधित मामले या अंतर्राज्यीय प्रभाव।

उपरोक्त के अलावा, विशेष कार्य बल द्वारा केवल उन्ही मामलों की जाँच की जाती हैं, जिनको विशेष रूप से राज्य—सरकार या पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा विशेष कार्य बल को संदर्भित किये गए हैं।

**अपराध की स्थिति :—**

**क) व्यक्ति के खिलाफ अपराध :—**

विशेष कार्य बल ने अब तक, 348 आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, और उनके कब्जे से निम्नलिखित अवैध हथियार बरामद किए हैं :—

1. देशी/देसी काटा = 188
2. पिस्तौल = 190
3. रिवॉल्वर = 11
4. कारतूस = 669
5. मैगजीन = 23
6. खाली कारतूस = 24

विशेष कार्य बल ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 346 अपराधियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से निम्नलिखित मादक/नशीला पदार्थ जब्त किया :—

1. पप्पी हस्क = 10039 किग्रा 755 ग्राम
2. अफीम = 177 किग्रा 473 ग्राम

| | | |
|---|---|---|
| 3. | हेरोइन | = 20 किग्रा 651 ग्राम |
| 4. | गांजा | = 3402 किग्रा 956 ग्राम |
| 5. | चरस | = 123 किलो 660 ग्राम |

इसी प्रकार, विशेष कार्य बल ने अब तक, 332 अति–वांछित (इनाम–घोषित) अपराधियों और 210 गैंगस्टरों और विभिन्न गिरोहों के सदस्यों, जिन्होंने, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, चंडीगढ़ और पंजाब में आपराधिक–गतिविधियों का जाल फैलाया रखा था उनको को गिरफ्तार करने में सफलत प्राप्त की।

विशेष रूप से, विशेष कार्य बल ने एक खूंखार गैंगस्टर 'बलराज भट्टी', जो खूंखार गैंगस्टर 'सुंदर भाटी गैंग' से जुड़ा हुआ था व तीन राज्यों यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हत्या, जबरन वसूली, लूट, भूमि हथियाने और हत्या के प्रयास आदि के कई मामलों में वांछित था, को विशेष कार्य बल ने उत्तर प्रदेश (विशेष कार्य बल) के साथ एक संयुक्त अभियान में नोएडा में एक मुठभेड़ में मारने में सफलता प्राप्त की।

**उपलब्धियां :–**

| | | |
|---|---|---|
| अ) | पैरोल जंपर्स गिरफ्तार | = 09 |
| ब) | अति वांछित अपराधी गिरफ्तार | = 150 |
| स) | ब्लाईंड हत्या के मामलों का पता लगाना | = 01 |

**एन०डी०पी०एस० अधिनियमः –**

वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल 29 मामले एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत दर्ज करके 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बरामदी का विवरण निम्नानुसार हैः –

| | |
|---|---|
| 1. चरस | = 14 किलो 889 ग्राम |
| 2. पोस्ता भूसा | = 1436 किग्रा 650 ग्राम |
| 3. गांजा | = 256 किलो 315 ग्राम |
| 4. अफीम | = 12 किलो 380 ग्राम |
| 5. हेरोइन | = 02 किलो 273 ग्राम. |

**शस्त्र अधिनियम** : –

वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 36 मामले आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके 62 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया हैं। बरामदी का विवरण निम्नानुसार हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | रिवाल्वर देश बना/देसी कट्टा | =39 |
| 2. | रिवॉल्वर | =01 |
| 3. | पिस्तौल | =43 |
| 4. | कारतूस | =143 |
| 5. | मेगजिन | =12 |

**उद्घोषित अपराधी व बेल–जम्पर की गिरफ्तारी** :– वर्ष 2022–23 के दौरान पी.ओ. व बेल–जंपर्स की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाए गए। नतीजतन, 93 पीओ व 08 बेल–जंपर्स को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

## अध्याय–12

## दूरसंचार हरियाणा

पुलिस विभाग में दूरसंचार राज्य पुलिस बल का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा हरियाणा पुलिस की रीढ़ की हड्डी के समान है, क्योंकि राज्य में जब भी पुलिस बल को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ता है, तब इस विभाग ने बडी मेहनत, लग्न व सुचारू रूप से संदेश संचारण करके पुलिस बल का पूरा सहयोग दिया है। वर्ष 2018 में दूरसंचार विभाग ने जल्द एवं समयानुसार संचार व्यवस्था प्रदान करके सफलता प्राप्त की है। उपरोक्त समय की उपलब्धियों के तथ्यों की पुष्टि नीचे दर्शाई गई रिपोर्ट से स्वयं विदित हो जाता है:–

**संगठित ढांचा**

**पुलिस दूरसंचार के स्वीकृत पद**

| पुलिस महानिरीक्षक | पुलिस अधीक्षक | उप पुलिस अधीक्षक | निरीक्षक | उ0नि0 | स0उ0नि0 | प्र0सि0 | सिपाही | पी0ए0 | स्टैनो | चतुर्थ श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 43 | 128 | 289 | 579 | 851 | 1 | 1 | 21 |

**रैंक अनुसार कार्यकारी क्लर्क कैडर की स्वीकृत नफरी**

| निरीक्षक | उप निरीक्षक | स0उप निरीक्षक | सिपाही |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 04 | 02 |

**दूरसंचार:–**

हरियाणा पुलिस दूरसंचार विभाग राज्य पुलिस को 24 घंटे हर समय सूचना प्रदान करता है। हरियाणा राज्य के समय केवल वी0एच0एफ0 और एच0एफ0 संचार व्यवस्था उपलब्ध थी। वर्ष 1970 के दशक में टेलीप्रिन्टर द्वारा लाईन कम्यूनिकेशन उपलब्ध करवाया गया था। जैसे–जैसे समय बीतता गया 1987 में बैस्ट द्वारा एच0एफ0 फ्रीकवैंसी पर कम्यूनिकेशन शुरु किया गया था। अब इस ढांचे को पोलनैट व वैन द्वारा सशक्त किया गया इस समय राज्य के प्रत्येक पुलिस नियन्त्रण कक्ष में निम्नलिखित संचार व्यवस्था उपलब्ध है :–

| क्रमांक | चैनल | मकसद |
|---|---|---|
| 1 | बहुत अधिक Frequency पर सूचनाओं का आदान प्रदान | सभी पुलिस थाना, चौकियों, बैरियर, गश्त पर्टियों और वाहन गश्त पार्टियों आदि को संचार व्यवस्था उपलब्ध करवाना |
| 2 | बहुत अधिक Frequency पर Simplex mode में रिपिटरस द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान | राज्य पुलिस नियन्त्रण कक्ष से जिला पुलिस नियन्त्रण कक्षों के बीच लम्बी दूरी तक संचार व्यवस्था उपलब्ध करवाना । |
| 3 | अधिक Frequency पर SWAN | राज्य पुलिस नियन्त्रण कक्ष से जिला पुलिस नियन्त्रण कक्षों के बीच लम्बी दूरी तक डाटा Transfer करना । |
| 4 | वृहत क्षेत्र जाल क्रम | सभी पुलिस नियन्त्रण कक्षों के बीच तेजी से डाटा Transfer करना। |
| 5 | पोल नैट | यह एक उपग्रह पर आधारित चैनल है जिसका उदेश्य भारत में सभी नियन्त्रण कक्षों व राज्य के नियन्त्रण कक्षों में बडी तेजी से आवाज, डाटा और फैक्स के द्वारा संचार व्यवस्था उपलब्ध करवाना है। |
| 6 | टेलिफोन लाईनों पर फैक्स का इस्तेमाल | सभी नियन्त्रण कक्षों को वास्तविक कापी Transfer करना। |

**विशेष संचार व्यवस्था प्रबन्ध :–**

वित आयुक्त, वित्तीय विभाग और आपदा प्रवंधन विभाग हरियाणा, के कार्यालय के कमांक पी0 एस0/एस0एस0 आर0 –1/2020/स्पेसल दिनांक 23.03.2020 के आदेश का पालन करते हुये कोविड–19 महामारी के

प्रकोप को फैलने से रोकने के लिये किये गये विभिन्न उपायों व रोकथाम के योजनाबद्व कियान्वन के लिये सैक्टर –16, पंचकुला में विशेष नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के आदेश कमांक 8219–315/ओ0एस0आई टेली दिनांक 22.03.2020 के अनुसार एक विशेष नियन्त्रण कक्ष कोविड–19 से प्रभावित व्याक्तियों के बारे में दैनिक रिपोर्ट व कुल सख्या जानने बारे सैक्टर –6, पंचकुला में स्थापित किया गया है। जिससे कोविड–19 के बारे सूचनायें सम्बन्धित को समय पर उपलब्ध करवाई जा रही है।

कोविड–19 आपदा के दौरान हरियाणा पुलिस, दूरसंचार विभाग प्रभावशाली व तीव्रता से बेतार नेटवर्क, टेलिफोन, फैक्स, स्वान व पोलनेट का प्रयोग करते हुये कोविड–19 के बारे तथा कानून एवं व्यवस्था बारे सूचनायें सम्बन्धित को तीव्रता से उपलब्ध करवाई जा रही है ।

संचार व्यवस्था

| कमांक न0. | स्थान | कब से कब तक | विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | पंचकुला | 02.04.2022 से 10.04.2022 | माता मनसा देवी मेला |
| 2 | चण्डीगढ़ | 05.04.2022 से 06.04.2022 | विधान सभा चण्ड़ीगढ़ |
| 3 | चण्डीगढ़ | 10.06.2022 से 11.06.2022 | विधान सभा चण्ड़ीगढ़ |
| 4 | कुरुक्षेत्र | 21.10.2022 से 26.10.2022 | सालर अकलिपस मेला |
| 5 | यमुनानगर | 04.11.2022 से 08.11.2022 | कपाल मोचन मेला |
| 6 | पानीपत | 05.01.2023 से 07.01.2023 | वी0वी0आई0पी0 यात्रा |
| 7 | कुरुक्षेत्र | 19.11.2022 से 04.12.2022 | गीता जयंती धार्मिक महोत्सव |
| 8 | सोनीपत | 29.01.2023 | वी0वी0आई0पी0 डयूटी |
| 9 | फरीदाबाद | 03.02.2023 से 19.02.2023 | सूरजकुण्ड मेला |
| 10 | गुरूग्राम | 09.02.2023 | वी0वी0आई0पी0 यात्रा |
| 11 | मधुबन, करनाल | 14.02.2023 | केन्द्रीय मंत्री (अमित शाह) |
| 12 | चण्डीगढ़ | 17.03.2023 से 22.03.2023 | विधान सभा चण्ड़ीगढ़ |
| 13 | पेहवा | 19.03.2023 से 21.03.2023 | पेहवा मेला, कुरूक्षेत्र |

एप्लीकेशन विकास/अनुकूलन

नागरिक पोर्टल–हरसमय 24X7 और एक अनुकूल (CAS) कोर एप्लीकेशन साफटवेयर 01.01.2015 को चलाया गया था। नागरिकों और पुलिस कर्मचारियों द्वारा साफ्टवेयर का प्रयोग प्रगति में है। हरसमय 24X7 पर पहले ही दी गई नागरिक सुविधाएं इस प्रकार है:–

1 आनलाईन शिकायतों की रजिस्ट्रेशन
2 खोई सम्पति का रजिस्ट्रेशन
3 होटल ग्राहकों की जानकारी
4 साईबर कैफे की जानकारी
5 सूचना का अधिकार
6 कम्यूनिटी लाईजन ग्रुप

- हरसमय 24X7 हरियाणा नागरिक पोर्टल को एस0एम0एस0 और पेमेंट गेटवे से जोड़ा गया है।
- अपराध एंव अपराधी खोज नेटवर्क (CCTNS) के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से (STCQ) एस0टी0सी0क्यू0 मान्यता प्राप्त कैस के वर्जन को राज्य की विशेष जरूरतों के अनुरूप बना लिया गया था।
- अपराध एंव अपराधी खोज नेटवर्क (CCTNS) के लिए (CAS) कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर को 1.1.15 से राज्य के सभी उच्चतर कार्यालयों और पुलिस थानों में चलाया गया है।

- फील्ड में तैनात कर्मचारियों को आने वाली दिक्कतों को सुलझाने और नागरिकों द्वारा हरसमय 24X7 को प्रयोग करने में आने वाली समस्याओं में मदद करने के लिए 1.1.15 को अपराध एंव अपराधी खोज नेटवर्क (CCTNS) हैल्पडैस्क स्थापित किया गया था।
- एच0आर0एम0एस0, हथियार, सामान्य सत्यापन, तीसरी आंख, के0एम0एस0, एल0एम0एस0, सामान, एफ0एस0एल0, जी0आई0एस0, जी0पी0एस0 और कैड माडयूलों की (CRP) सी0आर0पी0 का प्रथम राउंड पूरा कर लिया गया था।
- हथियार, सामान्य सत्यापन, तीसरी आंख, के0एम0एस0, सामान, जी0आई0एस0, जी0पी0एस0 और कैड माडयूलों की (CRP) सी0आर0पी0 का दूसरा राउंड पूरा कर लिया गया था।

<u>महिला विरुद्ध अपराध मॉड्यूल (एक और सुधार)</u>

12 जुलाई 2018 को, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने "**एक और सुधार**" शुरूआत की है, जिसके तहत सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में सामाजिक पेंशन, छात्रवृत्ति, शस्त्र लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया गया, अगर उनके खिलाफ महिला या बच्चे के यौन अपराध के लिए अदालत द्वारा आरोप लगाए गए हैं। सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के तहत हरियाणा पुलिस ने "**महिला विरुद्ध अपराध**" मॉड्यूल विकसित किया, जिसके तहत उपायुक्तों के लिए 5 रिपोर्ट विकसित की गई। उपायुक्तों के लिए हरियाणा पुलिस सिटीजन पोर्टल (हरसमय 24X7) पर लॉगइन बनाए गए और ये रिपोर्ट वहां उपलब्ध कराई गई।

<u>महिला विरुद्ध अपराध मॉड्यूल</u>

1. महिला विरुद्ध अपराध के खिलाफ संबंधित रियल टाइम डेटा आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी जिला उपायुक्तों (डी.सी.)/पुलिस अधीक्षक और हरियाणा पुलिस के उच्च रैंक वाले अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए उपलब्ध है।

2. उपलब्ध डेटा से आवश्यक अंतदृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रासंगिक फिल्टरों के साथ हरियाणा पुलिस अधिकारी की जरूरतों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए वर्णनात्मक विश्लेषण का उपयोग किया गया है।

**उपरोक्त मॉड्यूल में निम्नलिखित रिपोर्टें विकसित/उपलब्ध हैं:-**

1. बलात्कार के लंबित मामले।
2. छेड़छाड़ के लंबित मामले।
3. महिला विरुद्ध अपराध की तुलनात्मकता।
4. महिला विरुद्ध अपराध के मामलों में जांच की प्रगति।
5. महिला विरुद्ध अपराध के मामलों का जीवनचक्र।
6. बलात्कार के मामलों में पीड़ितों और अपराधियों की सामाजिक रुपरेखा।
7. बलात्कार के उन्मूलन मामलों में पीड़ितों और अपराधियों की सामाजिक रुपरेखा।

**उपरोक्त मॉड्यूल में निम्नलिखित डैशबोर्ड विकसित/उपलब्ध हैं:-**

1. महिला विरुद्ध अपराध के जिलेवार डैशबोर्ड।
2. शीर्षक अनुसार महिला विरुद्ध अपराध के डैशबोर्ड।
3. मण्डल अनुसार महिला विरुद्ध अपराध के डैशबोर्ड।
6. वर्ष अनुसार महिला विरुद्ध अपराध के डैशबोर्ड।

## हरियाणा डायल 112 (Emergency Response Support System) for the year 2022

1. **24x7x365 operations of Haryana 112**

24x7x365 functional Communication and Dispatch Officer Rooms established at SERC and MERC (with 20% capacity) operating on centralised call taking and centralised dispatch model. The Communication Officers are proficient in all prevalent languages/dial-ects i.e., Hindi, English, Haryanvi and Punjabi. Adding on, a dedicated desk has been setup for persons with deaf and dumb disability. Further, Dispatch Officers manage round the clock dispatch of the event to nearest available Emergency Response Vehicles (ERVs). Both CO and DO operations are running smoothly since launch of the project.

Mechanism for whitelisted callers has been incorporated into the system. Communication Officers (COs) have been directed to greet the whitelist callers. At present, Ministers/MLAs, Senior Police officers and other Senior Civil Administrators have been included under whitelisted callers.

2. **Integration of all other helplines with Haryana 112**

- The integration of Haryana 112 with Cyber Crime Helpline (1930) has been done successfully on 13.06.2022. Further, this integrated helpline is running successfully under Haryana 112.
- State-wide expansion of the integration with Ambulances and Fire Services is under process and is expected to be completed by 30th June, 2023.
- Integration of Disaster Management (1070, 1077) helpline with Haryana 112 is in process and is expected to be completed by 30th June, 2023.
- Integration of Durga Shakti App and on boarding of DSRAF Vehicle under Haryana 112 is in process and is expected to be completed by 30th May, 2023.
- Auto GD entry through integration with CCTNS is in process and is expected to be completed by 30th May, 2023.
- Integration of Haryana 112 with NHAI helpline is in process and is expected to be completed by 30th June, 2023.
- Linkage of Haryana 112 with Social Media Grievance Tracker (SMGT) is in process. Hartron is in tendering process of this App.

3. **Ensure continuous connectivity**

In order to enhance connectivity, wireless sets have been installed in all 630 ERVs. Further, static radio sets in 42 field locations were also installed. All district police control rooms are having a radio static radio set interfaced to a radio server which is capable of recording all conversations happening on the radio network. Furthermore, these conversations can also be heard from SERC in real time through the web interface of the radio server. A central radio server installed in the data centre of SERC keeps a copy of all wireless conversations received by the 23 radio servers.

4. **High satisfaction level of Haryana 112**

- Upto 31st March 2023, **more than 95 lakh calls** have been landed out of which **14.22 lakh calls** were dispatched till 31st March 2023. Increasing number of calls shows acceptance and trust of citizen in Haryana 112.
- The overall Average Response Time of Haryana-112 ERSS has reduced from 24 Min.18 Sec in July 2021 to **12 Min. 12 Sec.** in March 2023. However, Average Response Time of Police ERVs has reduced from 16 min. 14 sec. in July 2021 to **08 Min. 18 Sec.** in March 2023.
- Till March 2023, **93.12% Callers** are found satisfied with the Haryana 112 (ERSS) service.

5. **Extension of DO desks**

Considering the high number of the call volume related to Cyber Financial Fraud, 04 additional Cyber desks have been added in existing 6 numbers of desks. So the current desk for cyber crime helpline is now 10 numbers. In addition to this, DO desks are being added in order to increase current strength with regard to integration of Haryana 112 with other emergency helplines, such as Disaster Management, Durga Shakti and State-wide expansion of ambulance and fire services.

6. **Accountability and Responsibility**

All the calls are being recorded at each level for future reference. In fact, Standard Operating Procedures (SOPs) have been defined in the system to ensure the accountability at each level. All the districts' SPs have been given a login of supervisory module to monitor operations of Haryana 112 at district level.

7. **Software Modules**

User Acceptance Test (UAT) of 24 No. software modules have been completed successfully under Haryana 112. All these software modules are being used by Haryana 112 and running smoothly. For remaining 5 nos. of software, C-DAC has submitted timelines.

8. **User Acceptance of the Project**

For overall acceptance of Haryana 112 project, the following activities are underway:

- UAT of remaining 5 nos. of software module will be completed by end of May 2023.
- DC-DR Drill is likely to be conducted in May Month.
- CAPEX/OPEX Bills submitted by C-DAC are in consideration with committee for further financial approval of State Government.

9. **CII Declaration**

Haryana 112 project is at final stage to get Declaration of Haryana 112 under CII (Critical Information Infrastructure).

10. **Biometric Based Attendance System**

Biometric Based Attendance System has been installed and integrated successfully with HRMS software at SERC Panchkula.

11. **E-Office implemented**

E-Office system has been implemented successfully at SERC Panchkula to ensure minimum consumption of paper.

12. **Field Support Staff**

C-DAC has deployed 23 Field Support Staff, one for each district for providing technical support and assistance to District Staff.

13. **Building Management Services (BMS)**

Manpower for Building Management Services (BMS) engaged through selected agency has now been re-engaged from HKRNL in compliance to the policy of Haryana Government for outsourcing staff.

14. **Facility Management Services (FMS)**

Manpower for Facility Management Services (FMS) engaged through selected agency has now been re-engaged through HKRNL in compliance to the policy of Haryana Government for outsourcing staff.

15. **IEC for Haryana 112**

Since Information Education & Communication (IEC) is a critical part of the project to promote Haryana 112 among citizens, signboards have been installed in various strategic locations across the State. Proposal for putting 250 Nos. boards all across the State is also underway.

16. **Award & Recognition**

a. On 06th March 2023, an award ceremony was organized at State Emergency Response Centre (SERC), Panchkula to felicitate smart citizens of Haryana by Shri T.V.S.N. Prasad, ACS Home to Government of Haryana. These citizens made a call to Haryana 112 and gave substantial information which became instrument for timely help to distress person. Thirty one smart citizens were selected for award for their courage and selfless effort to help a person in distress. A certificate of appreciation with cash award to the smart citizen.

b. On the occasion of Women Day (09th March 2023), an award ceremony was organized at State Emergency Response Centre (SERC), Panchkula to felicitate women staff of Haryana 112 specially all Communication Officers (CO) by Shri Rajesh Kalia, SP ERSS.

c. Merit based monthly reward of COs, DOs and ERV staff for motivation is being done regularly.

17. **Extension of PMU**

The contract for extension of Project Management Unit (PMU) for one year was approved in 11th SEC Meeting held on 14 Sept. 2022 under Haryana-112 ERSS Project.

18. **Approval from Standing Finance Committee (SFC)**

A meeting was held under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister on 03.06.2022 to discuss the proposal "Haryana 112 Emergency Response Support System (ERSS) Project" of Home Department wherein Standing Finance Committee-'C' accorded its approval to said project "Haryana 112 Emergency Response Support System (ERSS)"

19. **Important Meetings**

a. A review meeting of Haryana 112 was held on 07.02.2023 under the Chairmanship of hon'ble Chief Minister, Haryana.

b. A meeting of State Finance Committee – C was held on 03.06.2022 under the Chairmanship of Hon'ble Finance Minister of Haryana.

c. 11th SEC meeting was held on 14.09.2022 under the Chairmanship of worthy Chief Secretary, Haryana.

d. A meeting regarding State-wide expansion of integrated Health and Fire Helpline Services under Haryana 112 was held on 06.03.2023 under the Chairmanship of worthy ACS Home, Haryana.

e. A review meeting of Haryana 112 was held on 18.01.2023 under the Chairmanship of worthy DGP, Haryana.

f. SP, Haryana 112 brief the action taken to Nodal Officer Haryana 112 in the review meetings chaired by Nodal Officer Haryana 112

g. Weekly review meetings are held under the Chairmanship of Nodal officer Haryana-112 ERSS or SP, ERSS

h. SP, Haryana-112 conduct the weekly review meeting of Haryana 112 with all the stakeholders.

20. **Important visits**

a. Dr. V.K. Paul, member of Niti Ayog, has visited State Emergency Response Centre (SERC), Panchkula on 16.01.2023. He was given walk through of various facility under Haryana 112.

b. ADGP L&O, Panjab has visited State Emergency Response Centre (SERC), Panchkula on 16.03.2023. He was given walk through of various facility under Haryana 112.

c. A delegation of U.K. Embassy visited SERC on 07.02.2023. They were given a tour of SERC.

d. A delegation of Chandigarh Management Association (CMA) visited SERC on 03.02.2023. They were given walk through of various facility under Haryana 112.

e. A group of students from Dominic Republic undergoing training on Cyber Security and Malware Analysis through MEA, GoI visited SERC on 09.12.2022 to study the functioning of Haryana 12.

f. Newly joined IPS officers (Haryana Cadre) visited SERC Panchkula in March 2023 and SP Haryana 112 educated about operation and functioning of Dial 112 system.

21. **Other initiatives**

A Free Health Checkup Camp and Investor Awareness Program was organized in association with HDFC Bank at SERC, Panchkula.

## अध्याय–13

## यातायात प्रबन्धन एवं सड़क सुरक्षा

### सडक दुर्घटनाएं

हरियाणा सरकार ने राज्य में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'उत्तम यातायात प्रबन्धन' की ओर विशेष ध्यान दिया है। नैशनल हाई–वेज सेफटी और पैट्रोल की स्थापना की गई है जो कि पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन कार्य कर रही है। इसके गठन के बाद राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के प्रबन्धों में काफी सुधार आया है तथा देश के कुछ अन्य राज्य भी हरियाणा की नकल कर रहे हैं।

हरियाणा हाईवे पैट्रोल एवं सडक सुरक्षा स्टाफ के अथक प्रयासों के फलस्वरुप भारत सरकार, सडक यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हरियाणा हाईवे पैट्रोल एव सडक सुरक्षा' को दुर्घटनाओं को रोकने की एक आदर्श संस्था मानते हुए अन्य सभी राज्य सरकारों को इस प्रणाली का अनुसरण करने के निर्देश दिये हैं।

सड़क दुर्घटनाएं त्रासदी है, जिसमें मूल्यवान मानव जीवन की असामयिक हानि, अंगों की हानि, गंभीर चोट और आघात के अलावा मौद्रिक नुकसान, असमान मुकदमेंबाजी और यातायात की भीड़ के रूप में जबरदस्त मानवीय पीड़ा शामिल है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, इन दुर्घटनाओं के कारण देश में हर साल मानव शरीर और सम्पती के विरूद्व 150000 मुल्यवान जीवन का नुकसान होता है। हरियाणा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन 14 लोग मर जाते है और 27 लोग घायल हो जाते है।

इस समस्या की गहराई को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा हाईवे पैट्रोल एवं सडक सुरक्षा विभाग के गठन करने का निर्णय लिया। इस सम्बन्ध में दिनांक 20.04.2000 को प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक की कार्यवाही के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग न. 1, 2, 8, 10 व 22 पर प्रत्येक 30 कि0मी0 की दूरी के बाद यातायात सहायता केन्द्र खोलने के निर्देश दिये गये। अब इन यातायात सहायता केन्द्रो को 25 यातायात पुलिस थानों व 2 यातायात पुलिस चौकियों में तबदील कर दिया गया है।

### यातायात एंव हाईवे के उद्देश्यः–

1 राष्ट्रीय राजमार्गो पर यातायात को सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करना।

2 राजमार्गो पर दुर्घटनायें कम करना और दुर्घटना होने पर घायलों को तत्काल नजदीकी हस्पताल में कम से कम समय में पहुंचाना।

3 आम जनता को सडक सुरक्षा एवं यातायात सम्बन्धी नियमों बारे जानकारी देना।

4 एल्कोसैंसर की सहायता से शराबी वाहन चालकों को चैक करना व उन पर नियंत्रण करना।

5 आर.एस.ओ. की सहायता से अधिक सवारियां व सामान लादने वाले वाहनों पर नियंत्रण करना।

### उपकरण

1. एम्बुलैंस
2. ईन्टरसैप्टर
3. क्रेन
4. जिप्सी
5. मोटरसाईकिल
6. एल्कोसैंसर
7. कैमरा
8. सा मशीन
9. ई–चालानिंग मशीन
10. अन्य सामान

सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

हरियाणा में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं, मौतों व घायलों का विवरणः—

| साल | दुर्घटनाएं | मौत | घायल |
|---|---|---|---|
| 2013 | 10482 | 4517 | 9143 |
| 2014 | 10702 | 4506 | 8923 |
| 2015 | 11269 | 4989 | 10771 |
| 2016 | 11283 | 5091 | 10738 |
| 2017 | 11384 | 5156 | 10245 |
| 2018 | 11213 | 5107 | 9774 |
| 2019 | 10797 | 4979 | 9279 |
| 2020 | 9320 | 4544 | 7473 |
| 2021 | 9847 | 4601 | 8098 |
| 2022 | 10452 | 4969 | 8389 |

दुर्घटना पीड़ितों की सहायता का विवरण

यातायात एंव हाइवे द्वारा वर्ष 2008 से मार्च 2023 तक दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों को निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की गईः—

| वर्ष | दुर्घटनास्थल पर उपस्थित | प्राथमिक उपचार | नजदीकी अस्पताल में पहुंचाना | क्रेन की सहायता से |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1697 | 1021 | 1560 | 1003 |
| 2009 | 1447 | 1389 | 832 | 1068 |
| 2010 | 1425 | 1409 | 995 | 1215 |
| 2011 | 6652 | 5212 | 4379 | 4186 |
| 2012 | 8143 | 6267 | 5948 | 5787 |
| 2013 | 8950 | 6933 | 6719 | 7537 |
| 2014 | 9810 | 7279 | 7303 | 9740 |
| 2015 | 10572 | 6629 | 7799 | 11682 |
| 2016 | 10882 | 7284 | 8087 | 12031 |
| 2017 | 11027 | 7183 | 8066 | 12395 |
| 2018 | 10643 | 6908 | 7639 | 12041 |
| 2019 | 10221 | 6532 | 7450 | 11779 |
| 2020 | 8814 | 5355 | 6400 | 10402 |
| 2021 | 9321 | 5544 | 6944 | 10964 |
| 2022 | 9912 | 5625 | 7510 | 11547 |

चालान

मोटरयान अधिनियम 1988, के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न अपराधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/चालकों के चालानों का विवरणः—

| साल | कुल चालान | कुल प्राप्त राशि (रु0) |
|---|---|---|
| 2008 | 204018 | 60542700 |
| 2009 | 173183 | 42608635 |
| 2010 | 241392 | 63610640 |
| 2011 | 1050805 | 291212860 |
| 2012 | 1421888 | 391457191 |
| 2013 | 1320801 | 425619423 |
| 2014 | 1034147 | 3014069 |
| 2015 | 1795097 | 507620890 |
| 2016 | 1753697 | 493370074 |
| 2017 | 2632289 | 624978932 |
| 2018 | 3243020 | 711949196 |
| 2019 | 1421920 | 412871255 |
| 2020 | 1214949 | 675325450 |
| 2021 | 1348688 | 667691303 |
| 2022 | 2143604 | 886339252 |

**सोबराईटी चैक पोस्ट**

शराबी चालक एक मानव बम्ब की तरह है, जो कि अपने जीवन को तो खतरे में डालता ही है, साथ–साथ दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालता है। जिसको मध्यनजर रखते हुये दिनांक 17.04.2007 को जिला करनाल में सोबराईटी चैक पोस्ट की स्थापना की गई, जिसके उपरान्त हरियाणा के सभी जिलों में भी शराबी वाहन चालकों पर नियत्रंण हेतू सोबराईटी चैक पोस्ट स्थापित किए गये। जिन पर एल्कोसैन्सर जोकि हरियाणा में कुल 738 वितरित किये गये है की मदद से इन सोबराईटी चैक पोस्टों पर किये गये शराबी वाहन चालकों के चालानों का विवरण निम्न प्रकार से है।

| अवधि | चालान |
|---|---|
| वर्ष 2013 | 19396 |
| वर्ष 2014 | 11458 |
| वर्ष 2015 | 11066 |
| वर्ष 2016 | 6647 |
| वर्ष 2017 | 14761 |
| वर्ष 2018 | 14442 |
| वर्ष 2019 | 6461 |
| वर्ष 2020 | 1116 |
| वर्ष 2021 | 1548 |
| वर्ष 2022 | 3678 |

**ईन्टरसैप्टर:**

हरियाणा में कुल 54 अधिकतम गति नापने वाले ईन्टरसैप्टर हैं जिन द्वारा किये गये चालानों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| वर्ष | चालान |
|---|---|
| 2013 | 72060 |
| 2014 | 40230 |
| 2015 | 78526 |
| 2016 | 53445 |
| 2017 | 72206 |
| 2018 | 71497 |
| 2019 | 46937 |
| 2020 | 12659 |
| 2021 | 87546 |
| 2022 | 115564 |

**सड़क सुरक्षा अभियान**:-

हरियाणा में वर्ष 2022 में विभिन्न स्कूलों, कालेजो, ट्रक युनियनों, ढाबों, होटलों व गांवो इत्यादि में जाकर कुल 2120 सड़क सुरक्षा सम्बन्धी अभियान चलाये गये व सड़क सुरक्षा सम्बन्धी सामग्री बांटी गई।

**यातायात कन्ट्रोल रूम**ः–

हरियाणा के जिला करनाल में यातायात एंव हाईवे कन्ट्रोल रूम स्थापित है जिसमें टोल फ्री नम्बर 112 कार्य कर रहा है जिस पर प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओ सम्बन्धी सूचनाएं प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिला के कन्ट्रोल रूम व यातायात पुलिस थाना में सड़क दुर्घटनाग्रस्त पीडितों की मदद हेतू सूचना दी जाती है।

**सामुदायिक योजना**ः–

सडक दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आम जनता में से मौजिज व्यक्तियों जिसमें सरकारी विभागों से सेवा निवृत, दुकानदार, सीनियर सीटिजन इत्यादि शामिल है जिनकी मदद से दिनांक 27.10.2009 को सड़क सुरक्षा संस्था

स्थापित की गई। जोकि हरियाणा में इस समय कुल 3250 सड़क सुरक्षा अधिकारी कार्य कर रहे है। जोकि ये सड़क सुरक्षा अधिकारी पुलिस के साथ चैकिंग के दौरान व सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करते है।

**दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों की पहचानः–**

दिनांक 31.03.2023 तक हरियाणा में कुल 239 सड़क दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र लम्बित है।

**पुलिस सहायता केन्द्रः–**

सड़को का प्रयोग करने वाली आम जनता को तुरन्त सहायता पहुॅचाने हेतु हरियाणा के सभी राष्ट्रीय/राज्य राममार्गो व अन्य सडकों पर कुल 45 पुलिस सहायता केन्द्र बनाए गए है। जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग न0 44 (अम्बाला से सोनीपत) पर (20), राष्ट्रीय राजमार्ग न0 44 (फरीदाबाद से पलवल) पर (12) व न0 48 (गुरूग्राम से रेवाडी) पर (13) होन्डा कम्पनी द्वारा जिप्सी शैल्टर/पुलिस सहायता केन्द्र बनाए गए है जिसमे पैट्रोलिगं हेतु मोटर साईकल होण्डा कम्पनी द्वारा प्रदान की गई है।

**सड़क सुरक्षा सप्ताहः–**

हरियाणा में प्रति वर्ष 01 जनवरी से 07 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है जिसमें सड़क सुरक्षा सम्बन्धी अभियान चलाये जाते हैं व सड़क सुरक्षा सम्बन्धी सामग्री बांटी जाती है।

**ई–चालानिंग मशीन :–**

हरियाणा में कुल 2189 ई–चालान मशीन सभी जिलों में प्रदान की गई है व इसके अतिरिक्त हरियाणा में सभी जिलों व उपमण्डल स्तर में 53 चालानिगं शाखाए काम कर रही है जो ये सभी चालानिगं शाखाए व सभी ई–चालान मशीन सडक परिवहन मन्त्रालय नई दिल्ली द्वारा बनाए गए ई–चालानिगं सोफ्टवेयर से ओनलाईन जुड़ी हुई है इस सोफ्टवेयर में आम जनता के लिए ऑनलाईन घर बैठे चालान भुगताने की सुविधा प्रदान की गई है।

**सी0सी0टी0वी0 कैमरे :–**

हरियाणा के जिला यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, पंचकूला व गुरूग्राम जिला में सी0सी0टी0वी0 कैमरे से पोस्टल चालान शुरू किए गए है इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग न0 44 पर अम्बाला सीमा से दिल्ली सीमा तक 20 जगहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने का कार्य समाप्त हो चुका है।

**काले चिन्हों की पहचान :–**

दिनांक 31.03.2023 तक हरियाणा में कुल 69 काले चिन्ह लम्बित है।

# अध्याय–14

## प्रशिक्षण

### हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन

परिचय :– हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन करनाल राज्य की उन राजकीय धरोहरों में से एक है, जिसने हरियाणा पुलिस की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान कायम की है। हरियाणा पुलिस अकादमी अपने अस्तित्व में आने से पूर्व, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में कार्य करती रही है, इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी और वर्ष 2002 में राज्य सरकार द्वारा इसे हरियाणा पुलिस अकादमी का दर्जा प्रदान किया गया। यह संस्था अपने गौरव शाली अतीत एवं परम्पराओं के लिये आज भी विख्यात है। हरियाणा पुलिस प्रांगण, मधुबन में स्थित इस अकादमी की खुली चौड़ी सड़कों पर लगे वृक्षों पर लगी फूलों की लताओं की मनोहारी छटा इसकी सुन्दरता को और भी प्रभावशाली बना देती है। इसका स्वस्थ एवं प्रदूषण रहित वातावरण, प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों में एक नई शक्ति का संचार करता है। यह अकादमी हरियाणा पुलिस की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों, सभाओं, संगोष्ठियों एवं सेमिनारों के संचालन का एक प्रमुख केन्द्र बन गई है। इसमें मूल कोर्सो कें अलावा पदोन्नति उन्मुख एवं अल्पकालीन विशिष्ट कोर्सो का आयोजन भी किया जाता है। प्रशिक्षण कोर्सो में राजपत्रित अधिकारियों से लेकर निम्नतम स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। अकादमी द्वारा राज्य पुलिस के अलावा अन्य सरकारी विभागों जैसे आबकारी व कराधान विभाग, अभियोजन शाखा, न्यायिक अधिकारियों (एच.सी.एस.) एवं जेल विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पद स्वीकृत हैः–

**अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्वीकृत एवं नियुक्त संख्या का विवरण**

**राजपत्रित अधिकारी**

| | एडीजीपी /निदेशक | आई0 जी0 | डी0आई0 जी0 | पुलिस अधीक्षक | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक | उप–पुलिस अधीक्षक | जिला न्यायवादी | उप–जिला न्यायवादी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 05 | 01 | 02 |
| नियुक्त | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 06 | 01 | 01 |
| कमी | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |

**अराजपत्रित अधिकारी**

| | निरीक्षक | उप–निरीक्षक | स0उप0नि0 | मु0 सिपाही | सिपाही |
|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 7 | 25 | 25 | 98 | 111 |
| नियुक्त | 5+1 Attached for pay purpose only | 19 | 21 | 67 | 53 |
| कमी | 02 | 6 | 4 | 31 | 58 |

**ब्रास बैण्ड**

| | निरीक्षक | उप–निरीक्षक | स.उप–नि. | मु0सिपाही | सिपाही |
|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 1 | – | 1 | 2 | 17 |
| नियुक्त | – | – | 1 | 2 | 6 |
| कमी | 1 | – | – | – | 11 |

**मिनिस्ट्रीयल स्टाफ**

| | अधीक्षक | उप अधीक्षक | सहायक | लिपिक | दफ्तरी | सेवादार | लाईब्रेरियन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| नियुक्त | 1 | 0 | 5 | 4 | – | 2 | – |
| कमी | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| | सीनियर स्केल स्टैनो | जूनियर स्केल स्टैनो | स्टैनो टाईपिस्ट |
|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 1 | 1 | 1 |
| नियुक्त | 1 | 1 (attached for pay purpose only) | – |
| कमी | – | 1 | 1 |

चिकित्सा विभाग

| | डाक्टर | फार्मासिस्ट | ए.एन.एम |
|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 1 | 2 | 1 |
| नियुक्त | 0 | 1 | 0 |
| कमी | 1 | 1 | 1 |

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

| | सफाई कर्मी | जलवाहक | कुक | माली | बारबर | धोबी | मोची | कारपेंटर | टेलर | मैसन | पेंटर | लोहार | सईस | पलम्बर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत | 21 | 22 | 55 | 8 | 15 | 17 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| नियुक्त | 12 | 17 | 48 | 4 | 10 | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| कमी | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |

हरियाणा पुलिस अकादमी, गौर समिति और बी..पी.आर. एण्ड डी. के परामर्शो के आधार पर प्रशिक्षण कार्य करती है। इच्छित स्तर तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय–समय पर सभी कोर्सों के पाठ्यक्रम में संशोघन किया गया है। प्रशिक्षण को अधिक व्यवहारिक तथा अर्थपूर्ण बनाने हेतु केस अध्ययन, प्रदर्शन तथा बनावटी अभ्यास पर अधिक जोर दिया जाता है। अकादमी, को सेना में कार्यरत सदस्यों तथा सभी पदों के नये प्रवेशकों को आधारिक प्रशिक्षण को आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। इनमें पदोन्नति कोर्स शामिल हैं जो सिपाही, मुख्य सिपाही, उप–निरीक्षक की अगली पदोन्नति के लिए अनिवार्य है।

पुलिस कर्मचारियों को उनके विशेष कार्य करने हेतु अनेक कम अवधि वाले कोर्स जैसे अपराध, अपराधिक खोज, हथियार, ड्रील, कमाण्डो, मानवाधिकार, बैंक धोखाधड़ी, औरतों और बच्चों के खिलाफ अपराध पुलिस–जनता व्यवहार, पुछताछ तकनीक, एस.सी/एस.टी, किशोर न्याय अधिनियम, कारकेड टीम और भीड़ नियन्त्रण के लिये प्रशिक्षण, सहायक जेल निरीक्षक के एक विशेष कोर्स के अर्न्तगत प्रबन्ध में आधारिक संरचना, थर्ड डिग्री, यौन शौषण, बाल अधिकार मामले, साईबर क्राइम आदि से सुसज्जित किया गया है।

## हरियाणा पुलिस अकादमी में उपलब्ध सुविधाएं

हरियाणा पुलिस अकादमी द्वारा समय–2 पर राजपत्रित अधिकारियों से लेकर निम्नतम स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा गोरे कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तैयार किये गए पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। पाठ्यक्रम में आधुनिक एवं नवीनतम धारणाओं तथा सिद्धान्तों को शामिल करके प्रशिक्षण के उच्च स्तर को प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। संस्थान में मूल कोर्सों, पदोन्नति उन्मुख कोर्सों तथा अल्पकालीन/विशेष कोर्सों को आयोजित करने की पर्याप्त सुविधाएं हैं। प्रशिक्षण के दौरान अनेक विधियों जैसे :– केस अध्ययन, समूह विचार विमर्श, प्रदर्शन तथा विचार गोष्ठियों आदि का आयोजन भी किया जाता है ताकि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण लेने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। इन कोर्सों के अलावा इस संस्था में केन्द्र सरकार द्वारा वान्छित एवं प्रस्तावित कोर्सों का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया जाता है।

इस अकादमी के वातावरण को अधिक प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक बनाने के सत्त प्रयास जारी हैं। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये आधुनिकतम उपकरणों जैसे:– 16 मि0मी0 प्रोजैक्टर, टेलिविजन, ओवरहैड प्रोजैक्टर, कम्प्यूटर, स्लाईड्स तथा अन्य दृश्य–श्रृव्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। अकादमी में जनता व पुलिस सम्बन्धों को मधुर एवं सुदृढ़ बनाने और सामुदायिक पुलिस प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिये समय–2 पर

अल्पावधि के कोर्स आयोजित किये जाते हैं। वर्तमान काल में यहां एक बृहद पुस्तकालय तथा एक वीडियो फिल्म पुस्तकालय की स्थापना की गई है ताकि प्रशिक्षणार्थियों को नवीनतम जानकारी प्रदान की जा सके।

आधुनिक दृश्य–श्रवय सहायक यन्त्रो जैसे 16 एम.एम प्रोजेक्शन टी–वी, प्रोजेक्शन ओवर हेड प्रोजक्शन, स्लाइड और प्रशिक्षण फिल्मों की सहायता से प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने के प्रयत्न किये जा रहे है। इन दृश्य–श्रवण सहायक उपकरणों को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण व अनुभव अधिकतर निर्देशकों को दिया गया है।

आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा अकादमी के सफल संचालन के लिये निम्नलिखित शाखाओं की स्थापना की गई है :–

1. **कम्प्यूटर शाखा:–** इस संस्था में प्रशिक्षणार्थियों को कम्प्यूटर के विषय में जानकारी देने/प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये पूर्ण रूप से सुसज्जित कम्प्यूटर सैन्टर की स्थापना की गई है। यहां पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देने के साथ–साथ, इस प्रांगण में स्थित हरियाणा डी.ए.वी.पुलिस पब्लिक स्कूल, मधुबन के विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय कम्प्यूटर सैन्टर में 309 कम्प्यूटर, लेजर प्रिन्टर, डैस्क जैट, रंगीन प्रिन्टर, फोटोस्टेट मशीन, स्कैनर, वैब कैमरा, डी लिंक स्विच (2व8 पोर्ट), डीवीडी/सीडी राईटर, यूपीएस 1 के वी ए (डबल बैटरी) तथा टी.वी. प्रोजैक्टर भी उपलब्ध है।

2. **साईबर लैब:–** हरियाणा पुलिस द्वारा हरियाणा साइबर लैब नैसकॉम और डाटा सिक्योयरटी कॉउसिल ऑफ इंडिया (DSCI) के संयोग से 5.8.2010 को स्थापित की गई। इसमें साइबर अपराधों से सम्बन्धित नियमित कोर्स चलाए जाते है।

3. **सी.सी.टी.एन.एस. लैब:–** काईम और किमिनल ट्रेनिंग नैटवर्किगं सिस्टम लैब में हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में वर्ष 2011 में कार्य करना प्रारम्भ किया इस योजना का मुख्य उद्वेश्य देश के सभी पुलिस थानो और पर्यवेक्षक कार्यालयों को अपराध व आपराधिक सूचना का आदान–प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ना है ताकि पुलिस थाना एक स्तर का काम करे। इनमें प्रशिक्षित सिपाहियों से लेकर डी.एस.पी. पद के अफसर नियुक्त है।

4. **मल्टीमीडिया लैब:–** डिजिटल भाषा कक्ष की स्थापना सन 26.06.2009 में की गई और 29.06.2009 से ही एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इस सुविधा का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में वाक–कुशलता बढाने के लिए किया जाता है। और विभिन्न कोर्सो के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

5. **फोटो लैब:–** किसी भी पद के पुलिस अधिकारी के व्यवसायिक जीवन में फोटोग्राफी के महत्व को ध्यान में रखते हुए करते हुए दिनांक 01.04.2009 को डिजिटल कलर फोटो लैब की स्थापना की गई। अत्याधुनिक तकनीक की रगींन फोटोग्राफ तैयार करने के लिए एक मशीन को स्थापित किया गया है। पुलिस अनुसंधान में फोटोग्राफी का विशेष महत्व हैं इसलिए प्रशिक्षणार्थियों को इस हुनर में पारंगत बनाने के लिए विडियोग्रांफी/फोटोग्राफी की टैकनिक सिखाई जाती है।

6. **पुलिस अजायब घर:–** पुलिस विभाग की ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिये इस संस्था में एक पुलिस अजायब घर की स्थापना की गई है, जिसमें भारतीय पुलिस तथा हरियाणा पुलिस के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वर्दी व उनके चित्र तथा प्राचीन हथियार, जिनमें पुराने रिवॉल्वर तथा पिस्तोल आदि को प्रदशिर्त किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न भौतिक साक्ष्यों को पैक करना तथा न्यायवैद्यिक प्रयोगशाला में भेजने की विधि को भी दर्शाया गया है। इस अजायब घर में विभिन्न प्रकार के मनोत्तेजक पदार्थों (नारकोटिक ड्रग्स) आदि के फोटो भी प्रशिक्षणार्थियों को इन पदार्थों की पहचान करवाने के लिये रखा गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की बारूद (जिन्दा व डी.पी) रखी गई है, जिसका उपयोग प्रशिक्षणार्थियों को इनकी पहचान कराने के लिये किया जाता है। 1857 की क्रांति को न चित्रों के माध्यम से चित्रित किया गया है।

7. **हर्षवर्धन सभागार**:– विशाल हर्षवर्धन सभागार का उद्वघाटन 12 अगस्त 2008 को किया गया। जिसमें 500 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा हैं जो पूर्णतया वातानुकूलित हैं। इसमें शैक्षणिक एंव सांस्कृतिक गतिविधिया होती रहती है।

8. **सामुदायिक हाल**:– रिहायशी इलाके में शादी व अन्य समारोहों के आयोजन के लिए सन 2001 में एक सामुदायिक हाल का निर्माण किया गया। इसे कई बार प्रशिक्षण उद्वेश्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है इसमें 6 कमरे, दो स्टोर, दो हॉल, रसोईघर व शौचालय व सामने एक लॉन है।

9. **फायरिंग सिमुलेटर कक्ष** :– उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने के लिये अकादमी द्वारा एक फायरिंग सिमुलेटर कक्ष की स्थापना की गई है, जिसमें दो फायरिंग सिमुलेटर लगाए गए हैं। इनमें से एक दो लेन तथा दूसरा चार लेन का है। जिन पर राईफल, रिवॉल्वर, पिस्टल तथा कारबाईन के फायर का अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार सिमुलेटर पर फायरिंग प्रैक्टिस करवाने से एम्युनेशन की बचत होती है और प्रशिक्षणार्थियों को कुशलतापूर्वक फायर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

10. **प्रोजैक्टर रूम** :– अन्वेषण के उच्च मानदण्डों को स्थापित करने के लिये अकादमी के सभागार में एक छायाकक्ष की स्थापना की गई है, जिसमें सूक्ष्म साक्ष्यों को प्रदर्शित करने के लिये ऐपीडाईस्कोप नामक यन्त्र का उपयोग किया जाता है। छाया कक्ष में एक वीडियों पुस्तकालय की व्यवस्था भी की गई है। इस पुस्तकालय में लगभग वीडियो फिल्में एवं सी.डीः उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

11. **मॉडल पुलिस स्टेशन** :– व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये इस अकादमी में मॉडल पुलिस थाना स्थापित किया गया है, ताकि उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने, अन्वेषण करने, गवाहों के ब्यान लेने, विभिन्न प्रकार की सूचियॉ तैयार करने, पहचान–पत्र बनाने, गिरफ्तारी मीमों तैयार करने, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने, रिमाण्ड लेने जिमनी लिखने, थाने के रजिस्ट्रों में इन्द्राज करने और चालान तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा सके।

12. **परिवहन शाखा**:– अकादमी की गतिविधियों को गतिशील बनाए रखने के लिये परिवहन शाखा की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त विभागीय गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने तथा बीमार होने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सहायता के लिये समय–2 पर संस्था की गाड़ियों का उपयोग किया जाता है।

13. **ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल**:– इस स्कूल का 2 अप्रैल 2008 को उद्घाटन किया गया। स्कूल में यातायात नियमों और विनियमों में प्रशिक्षणर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूल आधुनिक तर्ज पर बनाया गया है और व्यावहारिक रूप से सभी सडक बाधाओं और भारतीय सडकों पर किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पडे जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है। इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण देने व यातायात सम्बन्धी नियमों की जानकारी देने की उचित व्यवस्था की गई है। इसमे मोटर साईकिल सिमुलेटर व गाडी सिमुलेटर की सुविधा भी है।

14. **शस्त्रागार/कोत** :– अकादमी में प्रशिक्षण पर आने वाले प्रशिक्षणार्थियों को आधुनिक अग्निशस्त्रों, गोला–बारूद तथा विस्फोटक पदार्थों का प्रशिक्षण देने तथा विभिन्न प्रकार के हथियारों के संग्रह के लिये एक शस्त्रागार की स्थापना की गई है और इसी शस्त्रागार में सुरक्षा के लिए क्वार्टर गार्द की स्थापना भी की गई है। श्रेणी के हिसाब से शस्त्रागार में विस्फोटकों एवं गोला–बारूद को रखने की अलग–अलग व्यवस्था की गई है।

15. **बेतार कक्ष** :– आधुनिक संचार व्यवस्था की जानकारी देने के लिये इस अकादमी में बेतार कक्ष की स्थापना की गई है। सभी प्रशिक्षणार्थियों को बेतार संदेश बनाने, भेजने तथा प्राप्त सूचनाओं को जानने और समझने के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन्हें व्यवहारिक रूप से वायरलैस सैट पर काम करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

16. **पुस्तकालय** :– हरियाणा पुलिस की शैक्षिणक एवं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई है, जिसमें इस समय 18192 पुस्तकें तथा 22 प्रकार की पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। इस पुस्तकालय में पुलिस कार्यप्रणाली से सम्बन्धित विभिन्न विषयों के अलावा हिन्दी और अंग्रेजी साहित्य से सम्बन्धित पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। इस पुस्तकालय

में पुलिस विज्ञान, अपराधिक कानून, मनोविज्ञान, व्यवहार विज्ञान, अपराध शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनैतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, योगा, कम्प्यूटर, खेल, फोरैन्सिक साईंस, कहानी/कविता तथा उपन्यास आदि से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध हैं। अकादमी द्वारा प्रत्येक विषय पर 6 खंड़ों में प्रैसी तैयार की गई है जो प्रशिक्षणार्थियों को अध्ययन हेतु निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।

17. **शिक्षण ब्लॉकः**— अकादमी में प्रशिणार्थियों के लिए इन्डोर कक्षाओं हेतु दों शिक्षण ब्लॉक है। पुरानी टीचिंग ब्लॉक प्रशासनिक ब्लॉक के पास है जिसमें 25 कमरें है। न्यू टीचिंग ब्लॉक मल्टीमीडियां ब्लॉक के साथ सटा है जिसमें 12 कमरें है। अतिरिक्त न्यू टीचिंग ब्लॉक 24 कमरें है। आपस में ये दोनों शिक्षण ब्लॉक लगभग 3050 ट्रैनिज की जरूरतों को पूरा कर सकते है।

18. **खेल** :— जीवन में खेलों का विशेष महत्व है इसलिए खेलों के प्रति रूचि बनाए रखने के लिये इस संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है और हरियाणा पुलिस द्वारा आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। कई अवसरों पर अकादमी के प्रशिक्षणार्थियों ने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करके इसे गौरवान्वित किया है।

19. **स्केटिंग रिंगः**— इस रिंग का उद्घाटन 15 अप्रैल 2009 को किया गया। यह रिंक ज्यादातर बच्चों और युवाओं को अतंरराष्ट्रीय मानकों के लिए आकर्षित करती है। थोडे समयावधि में ही परिसर के बच्चे व प्रशिक्षणार्थी प्रतियोगितायों में पुरस्कार जीतकर गौरवान्वित किया है।

20. **व्यायामशाला/जिम** :— जीवन में व्यायामक का विशेष महत्व है क्योकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है । प्रशिक्षणार्थियों को चुस्त—दुरूस्त बनाए रखने के लिये इस अकादमी में 02 व्यायामशाला है इनकी स्थापना 7 सितम्बर, 2006 व जनवरी, 2019 में की गई। इन व्यायामशाला में शरीरसोष्ठव तथा भारोत्तोलन का प्रशिक्षण दिया जाता है। जवानों के सर्वांगिण विकास के लिए अकादमी प्रयासरत है।

21. **रंगशाला** :— प्रशिक्षणार्थियों के मनोरंजन के लिये इस अकादमी में स्थापित रंगशाला में समय—समय पर सामाजिक, सांस्कृतिक,साहित्यक एवं व्यवहारिक ज्ञान के अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों से अवगत कराने के लिये कार्यक्रम आयोजन किये जाते हैं। इस रंगशाला में विभिन्न राज्यों के लोक गीतों, नाटकों, रागिनियों, भजन, कविता, गजल, कव्वालियों, नृत्य एवं नाटिकाओं का भी आयोजन किया जाता है।

22. **पुलिस बैण्ड** :— हरियाणा राज्य एवं पुलिस के राजकीय एवं सांस्कृतिक समारोहों को रोचक एवं संगीतमय बनाने के लिये हरियाणा पुलिस बैण्ड की स्थापना की गई है। इस बैण्ड का उपयोग प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये भी किया जाता है। इस बैण्ड ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर हरियाणा पुलिस का गौरव बढ़ाया है। प्रशिक्षणार्थियों में जोश भरने के लिए बैण्ड की धुन पर परेड/पी0टी0 करवाने का अभ्यास कराया जाता है।

23. **कैन्टीन** :— जवानों के जलपान की व्यवस्था करने व दैनिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित अन्य सामान उपलब्ध करवाने के लिये कैन्टीन बनाई गई है, जिसमें फल, मिठाई, वर्दी व अन्य जरूरी सामान उपलब्ध हैं।

24. **राजपत्रित अधिकारीगण भोजनालय** :— इस संस्था में राजपत्रित अधिकारियों के लिये एक भोजनालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें बाहर से आने वाले राजपत्रित अधिकारियों/प्रशिक्षणार्थियों के लिये खाने—पीने व रहने की व्यवस्था की गई है। इसमें राजपत्रित अधिकारियों के लिये टेबल—टैनिस, बैड—मिन्टन, लॉन टैनिस व बिलियर्ड्स खेलने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

25. **अधिकारीगण भोजनालय** :— इस संस्था में अधिकारियों के लिये एक भोजनालय का निर्माण किया गया है अधिकारीगण प्रशिक्षकों/अतिथिगण भोजनालय की सुविधा प्रदान की जाती है जिसमें 24 कमरें और एक मनोरंजन कक्ष है।

26. **अराजपत्रित अधिकारियों के लिए भोजनालयः—** इस अकादमी में अराजपत्रित अधिकारियों के लिये एक भोजनालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक बड़ा डायनिंग हाल व छः कमरे हैं। इस भोजनालय में अराजपत्रित अधिकारियों/ प्रशिक्षणार्थियों के खाने व रहने की व्यवस्था की गई है।

27. **अन्य कर्मचारियों के लिए भोजनालय** :— इस अकादमी में अन्य पदों के प्रशिक्षणार्थियों के लिये पर्याप्त संख्या में भोजनालयों की व्यवस्था की गई है, जिसमें साप्ताहिक मीनू के अनुसार खाना बनवाया जाता है। भोजनालय संचालन कोऑपरेटिव बेस पर किया जाता है।

28. **आवास** :— इस संस्था में प्रशिक्षणार्थी आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिये पर्याप्त संख्या में पक्की बैरिकों की व्यवस्था की गई है तथा जवानों के सोने के लिये पर्याप्त संख्या में तख्त/चारपाईयॉं भी उपलब्ध करवाई जाती है। बैरिकों की साफ—सफाई के लिये आवश्यक संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में प्रशिक्षकों के लिये अलग से बैरिकों और आवासीय मकानों की व्यवस्था भी की गई है।

29. **स्टाफ का प्रशिक्षणः—** प्रशिक्षण के उच्च्व मानदण्डों को हासिल करने के लिये समय—2 पर इस अकादमी द्वारा प्रशिक्षकों को विभिन्न कोर्स करवाने के लिये राज्य से बाहर अन्य राज्यों के प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा जाता है, ताकि वे इस संस्था के स्तर को बनाए रखने में अपना योगदान दे सकें। इसके अलावा इस अकादमी में भी स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिये अल्पवाधि कोर्सो की व्यवस्था की गई है।

30. **इण्डोर फायरिंग रेंज** :— इस अकादमी में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार के हथियारों से फायर का अभ्यास करवाने के लिए इसकी स्थापना 02 मई, 2018 में की गई। इसमें रैक्रूट बेसिक कोर्स के अलावा सभी कोर्सो के फायर करवाये जाते है।

31. **प्रशिक्षण सहायक वस्तुएं** :— इस अकादमी में प्रशिक्षण के स्तर को और बेहतर बनाए रखने के लिये अनेक दृश्य—श्रव्य सहायक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है और इन सुविधाओं को निरन्तर बनाए रखने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

32. **मनोरंजन कक्ष** :— इस अकादमी में दिनांक 11.02.2022 को एक मंनोरंजन कक्ष की स्थापना की गई। जो अकादमी में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों व प्रशिक्षणार्थियों के मनोरंजन के लिये स्थापित किया गया है जिसमें खेलने के लिये सभी के लिये अलग—अलग समय सारिणी निर्धारित की गई है। मनोरंजन कक्ष में कई प्रकार के खेल खेले जाते है और एलईडी पर प्रसारित प्रोग्राम भी देखे जा सकते है। यह कक्ष तनाव को दुर करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

# अध्याय–15

## कल्याण एवं आवास

**पुलिस में आवास की स्थिति**

वर्ष 2022 में **191,73,72,630/–** रुपये हरियाणा पुलिस कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित रिहायशी–गैर रिहायशी भवनों के निर्माण, चल रहे कार्यों के लिये व भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए गए हैं :–

**''4055 कपिटल आऊट ले पुलिस'' 2022–23 के दौरान राज्य सरकार से भवन निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण करने के लिये निम्नलिखित बजट आबंटित किया गया:–**

| सब हैड | राशि आबंटित | खर्च |
|---|---|---|
| 207 राज्य पुलिस (99) कार्यालय भवन (64) जमीन | 80,00,00,000/- | 69,77,79,630/- |
| 207 राज्य पुलिस (97) पुलिस स्टेशन (16) मेजर वर्कस | 160,00,00,000/- | 121,95,93,000/- |
| कुल जोड़ | **240,00,00,000/-** | **191,73,72,630/-** |

वित्तिय वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित वाहन सरकारी कार्यो के निपटान हेतु विभिन्न पुलिस यूनिटों के लिए खरीदी गई हैं:–

| क्र0 | गाडियों के प्रकार | कुल | कीमत |
|---|---|---|---|
| 1 | मारूति सियाज–10, डिजायर–4 और होण्डा सिटी–4 अधिकारियों के लिए | 18 | 1,67,91,646/– |
| 2 | बोलेरो वाहन नकारा के खिलाफ | 75 | 5,85,82,710/– |
| 3 | बोलेरो वाहन नकारा के खिलाफ | 114 | 8,90,45,719/– |
| 4 | महिन्द्रा स्कार्पियों एच.एस.एन.सी.बी., मधुबन के लिए | 29 | 2,91,31,201/– |
| 5 | आई.एस.यू.जैड.यू. वाहन एच.एस.एन.सी.बी., मधुबन के लिए | 20 | 3,48,16,320/– |
| 6 | बोलेरो | 45 | 4,19,18,254/– |
| 7 | अर्टिगा | 22 | 1,84,42,644/– |
| 8 | महिन्द्रा स्कार्पियों | 15 | 1,88,46,315/– |
| 9 | महिन्द्रा पिकअप | 24 | 2,00,00,000/– |
| 10 | मारूति स्यिाज | 5 | 38,68,480/– |
| 11 | स्कॉर्पियो सी0आई0डी0 के लिए | 12 | 1,46,44,164/– |
| 12 | बस | 6 | 1,50,00,000/– |
| 13 | फॉर्च्यूनर | 23 | 8,74,25,204/– |
| 14 | 733 मोटर साईकिल | 733 | 5,33,14,022/– |
| 15 | मिनी बस | 27 | 5,25,15,000/– |
| | **कुल** | | **54,78,27,715/–** |

**वित्तिय वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित हथियार, गोला बारुद खरीदे गए -**

| क्र0 | मद का नाम | रूपये |
|---|---|---|
| 1 | काटरेज 7.62एम.एम. बाल सी.टी.एन. पैक्ड | 28,22,560/– |
| 2 | काटरेज 5.56एम.एम. बाल सी.टी.एन. पैक्ड | 17,79,440/– |
| 3 | काटरेज 5.56×30एम.एम. जे.वी.पी.सी. एम.के | 2,28,448/– |
| 4 | काटरेज 9एम.एम. बॉल | 54,16,800/– |
| 5 | राईफल 7.62 एम.एम. एस.एल.आर. के 55 प्रकार के पूर्जो की खरीद | 21,16,377/– |
| 6 | 500 केनडल स्मोक ग्राउंड एम.के.3/एल 2.5–6 की खरीद | 23,45,840/– |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | विभिन्न प्रकार के टी.एस.एम. की खरीद के लिए शेष राशि का भुगतान। | 12,88,968/– |
| 8 | विभिन्न प्रकार के मुनेशन की खरीद | 39,27,394/– |
| 9 | विभिन्न प्रकार के टी.एस.एम. की खरीद के लिए शेष राशि का भुगतान। | 13,02,130/– |
| | कुल | **7,83,55,212/–** |

वित्तिय वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित प्रस्ताव की स्वीकृतियां प्राप्त हुई।

| क0 संख्या | विवरण |
|---|---|
| 1 | सरकार ने पत्र क्रमांक 16/01/2022–4 एच0जी0–।। दिनांक 27.04.2022 के द्वारा 21 नये साइबर अपराध पुलिस थानो की 729 पुलिस बल के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है । |
| 2 | सरकार ने पत्र क्रमांक 5/29/2022–2एच.सी. दिनांक 31.12.2022 के द्वारा पुलिस आयुक्तालय, सोनीपत की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है । |
| 3 | सरकार ने पत्र क्रमांक 16/01/2022–4 एच0जी0–।। दिनांक 27.03.2023 के द्वारा पुलिस चौंकी, एम्स बाढ़सा, झज्जर को अस्थाई पुलिस चौकि से स्थाई पुलिस चौकि की स्वीकृति प्रदान की गई है । |

वित्तिय वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य सरकार से निम्नलिखित कार्यालय भवन – भूमि की स्वीकृतियां प्राप्त हुई।

| क | शीर्ष 207 राज्य पुलिस (99) कार्यालय भवन (64) भूमि के अर्न्तगत | |
|---|---|---|
| क्र. | कार्य का नाम | राशि |
| 1 | जिला पानीपत में पुलिस लाइन और सीआईए स्टाफ के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की गई भूमि मालिकों को वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिकी का भुगतान करना | 1,93,198/– |
| 2 | पुलिस स्टेशन, लाइनपार, बहादुरगढ़ जिला झज्जर की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण (32 कनाल = 4 एकड़)। | 1,14,00,000/– |
| 3 | पुलिस स्टेशन, बड़की जिला झज्जर की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण (36 कनाल, 09 मरला = 4 एकड़, 04 कनाल, 09 मरला)। | 1,59,46,875/– |
| 4 | सेक्टर– 3, पंचकुला में हरियाणा पुलिस मुख्यालय के निर्माण के लिए 3-97 एकड़ भूमि की खरीद। | 49,00,13,610/– |
| 5 | 4480.35 वर्ग मीटर की भूमि क्रय। पुलिस स्टेशन सेक्टर 13घ17, पानीपत के निर्माण हेतु। | 10,52,88,225/– |
| 6 | उन भूमि मालिकों को वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिकी का भुगतान करना जिनकी भूमि जिला पानीपत में पुलिस लाइन और सीआईए स्टाफ के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। | 1,97,800/– |
| 7 | 13 कनाल 9 मरला थाना पिनगवां, जिला नूह की भूमि की खरीद। | 61,97,425/– |
| 8 | भूमि का इंतजाम 41 कनाल 4 मरला पुलिस लाइन पानीपत। | 3,29,104/– |
| 9 | अवार्ड संख्या 16] 17 (गांव– मरोधी जाटान, गरनावाटी) के भूमि मालिकों को 10वीं का भुगतान | 3,34,821/– |
| 10 | अवार्ड संख्या 26 गांव–सुनारिया, खुर्द के भूमि मालिकों को 11वीं वार्षिकी का भुगतान | 4,09,194/– |
| 11 | ग्राम के भूस्वामियों को 12वीं वार्षिकी राशि का भुगतान। सुनारिया खुर्द, रोहतक (पुरस्कार संख्या 06) अवधि 16-09-2020 से 15-09-2021 | 1,18,506/– |
| 12 | ग्राम के भूस्वामियों को 13वीं वार्षिकी राशि का भुगतान। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सुनारिया खुर्द, रोहतक (पुरस्कार संख्या 06) अवधि | 1,21,393/– |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | वर्ष 2021 और 2022 के लिए उन भूमि मालिकों को वार्षिकी राशि का भुगतान जिनकी भूमि पुलिस लाइन, कैथल के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी | 17,60,076/— (Rs.880038+ 880038) |
| 14 | ग्राम सालवन में पुलिस चौकी सालवन के निर्माण हेतु 03 कनाल 16 मरला भूमि की खरीद | 8,57,375/— |
| 15 | 18 कनाल 07 मरला गांव मंगलोरा जिला करनाल में जमीन खरीदी | 68,81,250/— |
| 16 | गांव सतनाली जिला मोहिंदरगढ़ में 46 कनाल 15 मरला जमीन खरीदी जा रही है | 2,62,93,953/— |
| 17 | पुलिस स्टेशन, मुनक जिला करनाल के लिए गांव मुनक में 18 कनाल 01 मरला भूमि की खरीद। | 49,63,750/— |
| 18 | पुलिस स्टेशन, कुंजपुरा जिला के लिए गांव कुंजपुरा में 03 एकड़ 04 कनाल 19 मरला भूमि की खरीद। करनाल. | 1,08,56,250/— |
| 19 | पुलिस स्टेशन निगदू के निर्माण और विद्युतीकरण लाइन निगदू जिला करनाल के स्थानांतरण के लिए गांव निगदू में 25 कनाल भूमि की खरीद | 62,50,000+3,89,248 |
| 20 | भूमि मालिक की वार्षिकी का भुगतान करना जिनकी भूमि पीएस चांदहुत और पीएल पावल के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। | 50,87,805/— Formal Sanction drawn |
| 21 | पुलिस विभाग (एआईजी, यातायात और राजमार्ग, करनाल का कार्यालय भवन) के पक्ष में भूमि के परिवर्तन के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की राशि की मंजूरी। | 38,89,772/— |
| | **कुल** | **69,77,79,630/—** |

| ख | **शीर्ष 207 राज्य पुलिस (97) पुलिस थाना (16) बड़े कार्य के अर्न्तगत** | |
|---|---|---|
| **क्र.** | **कार्य का नाम** | **राशि (लाख में)** |
| 1 | राज्य में 10 पुलिस स्टेशनों का निर्माण। | 709.95 |
| 2 | हरियाणा के विभिन्न जिलों में 15 नए पुलिस स्टेशनों का निर्माण। | 557.65 |
| 3 | पुलिस लाइन, मोगीनंद, पंचकुला में नए ट्यूबवेल की स्थापना। | 26.63 |
| 4 | सेक्टर—39] गुरूग्राम के स्थान पर भोंडसी कॉम्प्लेक्स, गुरूग्राम में राज्य अपराध शाखा कार्यालय भवन का निर्माण। | 100.00 |
| 5 | एचपीए मधुबन जिले में 4 फैमिली बैरकों का निर्माण। | 511.00 |
| 6 | सीआईडी कॉलोनी पटेल नगर, हिसार में एक डीएसपी आवास, 18 टाइप—III और 18 टाइप— II आवासों का निर्माण। | 59.69 |
| 7 | पुलिस लाइन, अम्बाला में 60 मकानों की विशेष मरम्मत। | 56.29 |
| 8 | सिटी पुलिस स्टेशन, फतेहाबाद का निर्माण। | 50.00 |
| 9 | पुलिस स्टेशन सेक्टर—20, पंचकुला में मित्र कक्ष का निर्माण। | 40.23 |
| 10 | पुलिस जिला हांसी में पुलिस थाना बास का निर्माण। | 200.00 |
| 11 | गुरुग्राम में पुलिस आयुक्त कार्यालय भवन का निर्माण। | 50.00 |
| 12 | पुलिस लाइन, यमुनानगर में शहीदी स्मारक का निर्माण। | 19.20 |
| 13 | जिला नूंह के पुलिस स्टेशन तौरू में 12 टाइप— II (पंक्ति) मकानों का निर्माण। | 173.07 |
| 14 | एसपीधसिरसा के कार्यालय का उन्नयन। | 171.08 |
| 15 | एसपी/फतेहाबाद का उन्नयन कार्यालय एवं शाखाएं। | 167.74 |
| 16 | नारनौंद पुलिस जिला हांसी में डीएसपी आवास का निर्माण। | 59.87 |
| 17 | एचएपी, मधुबन, करनाल में आंतरिक और बाहरी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वार्षिक रखरखाव अनुमान। | 40.53 |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | पुलिस स्टेशन फीओवा जिला कुरूक्षेत्र में 1 टाइप– IV, 2 टाइप– III और 6 टाइप– II का निर्माण | 18.49 |
| 19 | हरियाणा के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में एआईसी के तहत दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए भवन में सुविधाएं प्रदान करना। | 167.31 |
| 20 | पुलिस परिसर भोंडसी, गुरुग्राम में ओआर के लिए 576 घरों का निर्माण। | 3192.00 |
| 21 | गांव टुंडलाका, जिला नूंह में आईआरबी द्वितीय बटालियन के लिए चारदीवारी और 25 अवलोकन टावरों का निर्माण। | 655.87 |
| 22 | हरियाणा के विभिन्न जिलों में अधिकारियों के आवास की विशेष मरम्मत | 437.30 |
| 23 | पुलिस लाइन फरीदाबाद में कल्याण केंद्र का निर्माण | 79.44 |
| 24 | हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर 146 मित्र कक्षों का निर्माण। | 750.00 |
| 25 | राज्य नियंत्रण केंद्र हरियाणा (एसएससीएच), सेक्टर–6, पंचकुला में स्थापित वस्तुओं के उन्नयन, प्रतिस्थापन का निर्माण | 9.48 |
| 26 | पुलिस लाइन पलवल में पहले से ही निर्मित 5 टावरों (4 नंबर टी– II, 1 नंबर टी– III) बहुमंजिला क्लस्टर घरों के लिए अतिरिक्त फायर सीढ़ी (आग से बचने की पूर्व–फैब सीढ़ी) का निर्माण। | 15.00 |
| 27 | सीआईडी कार्यालय भवन के बाथरूम और शौचालयों की मरम्मत और 33 सरकारी। पुलिस लाइन्स, सेक्टर –30] फरीदाबाद में क्वार्टर। | 40.64 |
| 28 | पुलिस थाना लाडवा जिला कुरूक्षेत्र में डीएसपी आवास एवं डीएसपी कार्यालय का निर्माण। | 15.00 |
| 29 | मुख्यमंत्री आवास सेक्टर–2 चंडीगढ़ में बैरक की विशेष मरम्मत का निर्माण। | 5.00 |
| 30 | सेक्टर–1, पंचकुला में डीसीपी आवास का निर्माण। | 141.89 |
| 31 | पुलिस स्टेशन चंडी मंदिर, सेक्टर –23, पंचकुला में चारदीवारी का उन्नयन | 18.20 |
| 32 | पुलिस लाइन, सेक्टर 30 में 2 गार्ड रूम और ग्रेटर फरीदाबाद में नई पुलिस लाइन का निर्माण। | 12.97 |
| 33 | पुलिस लाइन, करनाल में कंडम वाहनों के लिए पक्के प्लेटफार्म एवं गार्ड रूम का निर्माण। | 87.71 |
| 34 | यमुनानगर में एसपी आवास का निर्माण। | 107.80 |
| 35 | सेक्टर–19, पंचकुला में सीआईडी लाइन्स, भवन के नवीनीकरण/मरम्मत का निर्माण। | 31.61 |
| 36 | पुलिस लाइन, कुरूक्षेत्र में एमटीओ गैराज का निर्माण। | 100.00 |
| 37 | फतेहाबाद में सिटी पुलिस स्टेशन का निर्माण। | 105.86 |
| 38 | गांव टुंडलाका जिला नूंह में द्वितीय बटालियन आईआरबी की 2 नंबर कॉय के विभिन्न घटक परिसर का निर्माण। | 45.00 |
| 39 | राज्य में 10 नये पुलिस स्टेशनों का निर्माण। | 585.00 |
| 40 | कमांडो कॉम्प्लेक्स, जिला करनाल में सामुदायिक केंद्र का निर्माण। | 245.07 |
| 41 | पुलिस लाइन, पानीपत में अधिकारी संस्थान का निर्माण। | 342.97 |
| 42 | एसपी के कैंप कार्यालय का निर्माण कुरुक्षेत्र। | 17.83 |
| 43 | पी.एस चांदनी बाग, सेक्टर–24] एचएसवीपी, पानीपत का निर्माण। | 200.00 |
| 44 | पुलिस लाइन, सेक्टर–30], एफबीडी में अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में फर्निशिंग आइटम। | 61.66 |
| 45 | केंद्रीकृत पुलिस नियंत्रण कक्ष में अतिरिक्त वस्तुएँ (एचआर–100)। | 104.11 |
| 46 | मधुबन में सभी एचएपी बटालियन के लिए नई केंद्रीकृत मेस और सामान्य मेस/कैंटीन का निर्माण। | 230.91 |
| 47 | पीटीसी, सुनारिया में सड़कों का उन्नयन। | 167.00 |
| 48 | पुलिस लाइन, सोनीपत में चारदीवारी का उन्नयन। | 16.53 |
| 49 | एसपी/हिसार के कार्यालय एवं शाखाओं का उन्नयन। | 159.06 |

| | | |
|---|---|---|
| 50 | पीएचक्यू, पीकेएल में प्री–फैब चौथी मंजिल का निर्माण | 87.83 |
| 51 | पुलिस लाइन गेट का निर्माण, पार्किंग एवं सीवर लाइन का विकास गुरूग्राम | 30.90 |
| 52 | पुलिस लाइन करनाल में 96 टी– II (स्टिल6), 12 टी– III (क्लस्टर टाइप) और 12 टाइप– IV (क्लस्टर टाइप) मकानों का निर्माण | 20.00 |
| 53 | पोलिकडे लाइन में 42 टाइप– II, 36 टाइप– III और 6 टाइप– IV (रो हाउस ट्रिपल स्टोरी) मकानों का निर्माण | 20.00 |
| 54 | पुलिस लाइन, सिरसा में 72 टाइप– II, (रो हाउस ट्रिपल मंजिला) 12 टाइप– III और 12 टाइप– IV घरों का निर्माण। | 20.00 |
| 55 | पुलिस थाना यातायात चरखी दादरी, ग्राम समसपुर के परिसर में आवासीय क्वार्टर 8 टाइप– I और 16 टाइप– III का निर्माण। | 15.00 |
| 56 | सदर पुलिस स्टेशन भिवानी में 96 टाइप– II, 24 टाइप– III (स्टिल+6) और 12 टाइप– IV (स्टिल+3) मकानों का निर्माण | 20.00 |
| 57 | पुलिस लाइन हिसार में 48 टाइप– II और 24 टाइप– III (रो हाउस ट्रिपल स्टोरी) मकानों का निर्माण | 18.00 |
| 58 | पुलिस कार्यालय यानी एसपी/आरटीसी, डीआईजीपी, एसटीएफ, आईजीपी/आईआरबी भोंडसी और ट्रैफिक टॉवर सुशांत का नवीनीकरण | 17.97 |
| 59 | पुलिस स्टेशन, बेरी जिला झज्जर में 01 नंबर डीएसपी आवास और 01 नंबर इंस्पेक्टर/एसएचओ आवास का निर्माण। | 15.00 |
| 60 | एचपीए मधुबन में 4 महिला बैरक (चार मंजिला) का निर्माण। | 50.00 |
| 61 | गांव चंद्रका जिला नूंह में पुलिस चौकी का निर्माण। | 15.00 |
| 62 | झज्जर के सेक्टर–6 में सिटी पुलिस स्टेशन का निर्माण। | 25.00 |
| 63 | पुलिस थाना मुरथल जिला सोनीपत के स्थान पर पुलिस थाना राई परिसर में डीएसपी आवास सह कार्यालय का निर्माण। | 41.00 |
| 64 | पुलिस लाइन, गुरुग्राम में संपत्ति सेवा, सीवरेज और पानी की आपूर्ति का वार्षिक रख रखाव। | 27.72 |
| 65 | पुलिस लाइन, सेक्टर– 30] फरीदाबाद में परेड ग्राउंड ट्रैक और विभिन्न पार्कों के आसपास ग्रिल उपलब्ध कराना और ठीक करना। | 34.11 |
| 66 | पुलिस स्टेशन महेंद्रगढ़ के परिसर में 24 टाइप– II, 12 टाइप– III आवासों का निर्माण। | 15.00 |
| 67 | असंध, जिला करनाल में महिला पुलिस थाने का निर्माण। | 25.70 |
| 68 | पुलिस लाइन कैथल में कल्याण केंद्र का निर्माण। | 9.77 |
| 69 | एनआईटी फरीदाबाद में मौजूदा 3 टावरों (2 टाइप– II और 1 टाइप– III) बहु मंजिला क्लस्टर घरों में अतिरिक्त आग से बचाव प्री–फैब संरचना और अग्निशमन का निर्माण। | 15.00 |
| 70 | सफीदों जिला जींद में सिटी पुलिस स्टेशन में 8 मकानों (6 टाइप– II और 2 टाइप– III) का निर्माण। | 63.15 |
| 71 | पुलिस लाइन, नूंह में एमटीओ गैराज का उन्नयन (मौजूदा भवन के ऊपर पहली मंजिल पर बैरक प्रदान करके)। | 29.32 |
| 72 | पुलिस लाइन, पानीपत में 72 प्रकार– II और 12 प्रकार– III आवासों का निर्माण। | 100.00 |
| 73 | हरियाणा के विभिन्न जिलों में 15 नए पुलिस स्टेशनों का निर्माण। | 100.00 |
| | कुल | **11,975.87/–** |

**वर्ष 2022 के दौरान कल्याणकारी कार्यों का विवरण :–**

पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के कार्यालय द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवारों के लिए वर्ष 2022 में निम्नलिखित कार्य किये गये हैं :–

1. **विशेष अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशिः–** वर्ष 2022 के दौरान शहीद सुरेन्द्र सिहं, उप पुलिस अधीक्षक के परिवार को 30 लाख रुपये विशेष अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि प्रदान की गई जो दिनांक 19.07.2022 को असामाजिक तत्वों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुऐ थे।
2. **अनुग्रहपुर्वक अनुदान राशिः–** वर्ष 2022 के दौरान 249 मृत्क पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को कुल राशि 2,48,25,000/– रुपये अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि प्रदान की गई है।
3. **मासिक वित्तिय सहायताः–** वर्ष 2022 के दौरान 148 मृत्क पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को मासिक वित्तिय सहायता (MFA) प्रदान की गई है।
4. **अनुग्रहपूर्वक नीति के तहत नौकरीः–** वर्ष 2022 के दौरान वर्ष 2019 के नियमों अनुसार निम्नलिखित पदों पर मृत्क पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के एक आश्रित को नौकरी प्रदान की गई हैः–

| | |
|---|---|
| पी.एस.आई. | –02 |
| सिपाही | –59 |
| क्लर्क | –47 |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | –19 |

5. **कोरोना के कारण मरने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता राशिः–** वर्ष 2022 के दौरान कुल 37 केस सरकार को भेजे गये थे जिसमें 24 केसों में सरकार द्वारा 20 लाख/5 लाख रुपये प्रदान किये गये है। 13 केस सरकार के पास लम्बित चल रहे हैं।
6. **पुलिस इकाईयों को पैसा प्रदान करने बारेः–** वर्ष 2022 के दौरान हरियाणा पुलिस कल्याण कोष से 4,19,38,262/– रुपये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की बकाया रिटायरमेंट बैनिफिट, मृत्यु सहायता राशि, विदाई पार्टी, स्कॉलरशीप व लोन का भुगतान किया जा सके।
7. **पुलिस पब्लिक स्कूलों को पैसा प्रदान करने बारेः–** वर्ष 2022 के दौरान पुलिस पब्लिक स्कूलों को 1,46,88,971/– रुपये प्रदान किये गये है ताकि पुलिस पब्लिक स्कूल सुचारु रुप से चलते रहें।
8. **HDFC बैंक द्वारा बीमा क्लेमः–** पुलिस सैलरी पैकेज स्कीम के तहत वर्ष 2022 के दौरान निम्नलिखित केसों में पैसा प्रदान किया गया हैः–

| क्र.सं. | केस के प्रकार | केसों की संख्या | प्रदान की गई राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | दुर्घटना बीमा | 16 | 7,35,00,000/– |
| 2 | सामान्य बीमा | 109 | 4,18,00,000/– |
| | **कुल बीमा** | **125** | **11,53,00,000/–** |

9. **पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक शारीरिक जांचः–** वर्ष 2022 के दौरान 18971 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की निशुल्क शारीरिक जांच करवाई गई है।
10. वर्ष 2022 के दौरान पुलिस पब्लिक स्कूलों में पढने वाले सभी मृत्क पुलिस कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा निशुल्क कर दी गई है।

# अध्याय–16
# खेल कुद

**वर्ष 2022 के दौरान खेलकूद गतिविधियां :–**

**सी.एस.ओ. का संक्षिप्त विवरणः–**

खेलों को बढ़ावा देने और खेलों के विकास के लिए एक अलग से खेल कार्यालय बनाया है। इस समय महानिरीक्षक हरियाणा सशस्त्र पुलिस को मुख्य अधिकारी और आदेशक एवं खेल सचिव, पंचम वाहिनी, ह.स.पु, मधुबन को खेल सचिव लगाया गया है। इनकी सहायता के लिए रिर्जव निरीक्षक, लाईन प्रबंधक और मुख्य लिपिक लगाए गए है।

सभी टीमों को हरियाणा पुलिस के N.I.S. प्रशिक्षित प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी टीमें वरिष्ट खिलाड़ियों की देख–रेख में कार्य कर रही हैं।

**सी.एस.ओ. मधुबन में उपलब्ध सुविधाएंः–**

हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों को सी.एस.ओ. मधुबन में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :–

1. 400 Mtr. Synthetic Track.
2. Multi Purpose Sports Hall.
3. Swimming Pool (50 Mtr. Standard Size).
4. Wrestling, Judo & Weight Lifting Hall.
5. Boxing Rings.
6. Grounds of Basketball, Football, Gymnastic, Handball, Hockey, Kabaddi (N), Volleyball, Wushu, karate, Taekwondo & Yoga.
7. Gym.
8. Sports Hostel for Men (63 Rooms).
9. Sports Hostel for Women (30 Rooms).

**चयन प्रक्रिया :–**

हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय, अखिल भारतीय पुलिस खेल/ड्यूटी मीट में भेजने से पहले तीन उच्चस्तरीय अधिकारियों की समिति खिलाड़ियों का चयन करके अच्छे खिलाडियों को इन खेलों में भेजा जाता है।

**खिलाड़ियों को ईनाम/सुविधाएंः–**

हरियाणा पुलिस अच्छे खिलाड़ियों को निम्न सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है:–

1. 3% कोटा लोयर स्कूल कोर्स में पदोन्नति के लिए।
2. हरियाणा पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक द्वारा नकद ईनाम।
3. खिलाड़ियों के लिए स्पेशल डाईट भी दी जाती है।

**भविष्य की योजनाएं :–**

हरियाणा पुलिस सरकार की ऐसी संस्था है जहां पर मधुबन में एथलेटिक्स, बास्केटबाल, बोक्सिंग, क्रिकेट, कबड्डी, जिमनास्टिक, हैंडबाल, हॉकी, जुडो, तैराकी, ताईक्वांडो, वालीबाल, निशानेबाजी, भारोतोलन, साईकलिंग, वुशु व कुश्ती इत्यादि खेलों से संबधित टीमें उपलब्ध है।

अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली के निर्देशानुसार साईकलिंग, माउंटेनरिंग, रोप कलाईबिंग और महिला तैराकी, फुटबाल व जिमनास्टिक खेलों को भी अखिल भारतीय पुलिस खेलों में शामिल करने की योजना है।

**खेल सम्बन्धी सामान :–**

आज कल ज्यादातर मुकाबले इंडोर, अस्ट्रोट्रफ और साईथेटिक ट्रैक पर खेले जाते है। इसलिए हॉकी ग्राउंड के लिए अस्ट्रोट्रफ की हरियाणा पुलिस को आवश्यकता है।

**भोजनालय :–**

हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों को अच्छा खाना मिले इसके लिए वर्ष 2005 से अलग भोजनालय चलाया जा रहा है। जिसमें खिलाड़ियों को बहुत अच्छा खाना दिया जाता है।

## अध्याय–17

## भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

वर्ष 2022 के अन्तर्गत निम्नलिखित पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई :–

| क्रम संख्या | अभियोग संख्या व दिनांक | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | रेड की तारीख | घूस में ली गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06 दिनांक 11.04.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | 1. सहायक उप निरीक्षक राम चन्द्र, क्राईम ब्रान्च, मानेसर, गुरूग्राम में नियुक्त।<br>2. सिपाही शक्ति कुमार नं० 1866/गुरूग्राम, थाना खेड़की दौला, गुरूग्राम। | 11.04.2022 | 1,50,000/– रूपये |
| 2. | 08 दिनांक 13.04.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | ई/उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, नं० 150/गुरूग्राम। | 13.04.2022 | 7,000/– रूपये |
| 3. | 16 दिनांक 21.04.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदबाद। | 1. उप निरीक्षक वेद प्रकाश, इन्चार्ज चौकी पर्वतिया कॉलोनी, थाना सरन, फरीदाबाद।<br>2. एस०पी०ओ० सुरेन्द्र कुमार, चौकी पर्वतिया कॉलोनी, थाना सरन, फरीदाबाद। | 21.04.2022 | 11,000/– रूपये |
| 4. | 09 दिनांक 24.04.2022 धारा 7/13(1)b 13(2) पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | निरीक्षक जगदीश गंगाराम चौधरी, (जे०जी० चौधरी), थाना राजपीपला, जिला नर्मदा, गुजरात। | 24.04.2022 | 2,00,000/– रूपये |
| 5. | 06 दिनांक 29.04.2022, धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार। | सहायक उप निरीक्षक विक्रम, थाना सदर, चरखी दादरी। | 29.04.2022 | 25,000/– रूपये |
| 6. | 12 दिनांक 16.05.2022, धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम। | उप निरीक्षक नरेश, नं० 524/आर०आर०, थाना सदर, महेन्द्रगढ़। | 16.05.2022 | 2,00,000/– रूपये |
| 7. | 13 दिनांक 16.05.2022, धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम। | उप निरीक्षक नरेन्द्र, नं० 433/रोहतक, थाना कनीना, जिला महेन्द्रगढ़। | 16.05.2022 | 15,000/– रूपये |
| 8. | 09 दिनांक 03.06.2022, धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक। | महिला/सहायक उप निरीक्षक पूनम, नं० 364/झज्जर, महिला थाना, झज्जर। | 03.06.2022 | 10,000/– रूपये |
| 9. | 11 दिनांक 06.06.2022, धारा 7 पी०सी० एक्ट, | मुख्य सिपाही विनोद, थाना सफीदों, जिला जीन्द। | 06.06.2022 | 30,000/– रूपये |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल। | | | |
| 10. | 10 दिनांक 16.06.2022, धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला। | 1. उ०नि० जय करण, इन्चार्ज, पुलिस चौकी सैक्टर–7, कुरूक्षेत्र।<br>2. महिला/स०उ०नि० किरण नं० 329/कुरूक्षेत्र, महिला थाना, कुरूक्षेत्र। | 16.06.2022 | 60,000/– रूपये |
| 11. | 19 दिनांक 27.06.2022, धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | महिला/स०उ०नि० सरोज, थाना सदर फिरोजपुर झिरका, नूंह। | 27.06.2022 | 5,000/– रूपये |
| 12. | 16 दिनांक 28.06.2022 धारा 7, 7ए पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल। | महिला/स०उ०नि० सरिता, थाना सैक्टर 32/33, करनाल। | 28.06.2022 | 4,00,000/– रूपये |
| 13. | 20 दिनांक 04.07.2022 धारा, 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | सहायक उप निरीक्षक बिजेन्द्र नं, 1071/गुरूग्राम, थाना फरूखनगर। | 04.07.2022 | 20,000/– रूपये |
| 14. | 21 दिनांक 07.07.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | मुख्य सिपाही सुनिल, नं० 234/गुरूग्राम, पुलिस चौकी ग्वाल पहाड़ी, थाना डी.एल.एफ., फेज नं० 1, गुरूग्राम। | 07.07.202 | 10,000/– रूपये |
| 15. | 22 दिनांक 13.07.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | उप निरीक्षक सुनिल कुमार, थाना जाटूसाना, जिला रेवाड़ी। | 13.07.2022 | 4,000/– रूपये |
| 16. | 23 दिनांक 16.07.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | ई/उप निरीक्षक सतपाल, थाना शहर, महेन्द्रगढ़। | 16.07.2022 | 7,000/– रूपये |
| 17. | 25 दिनांक 20.07.2022 धारा 7, 7ए पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद। | उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, इन्चार्ज पुलिस चौकी सैक्टर–16, थाना सैक्टर–17, फरीदाबाद। | 20.07.2022 | 10,000/– रूपये |
| 18. | 28 दिनांक 09.08.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | सहायक उप निरीक्षक सुनिता, नं० 709/रेवाड़ी। | 09.08.2022 | 10,000/– रूपये |
| 19. | 15 दिनांक 12.08.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक। | 1. दथरथ, प्रवाचक थाना प्रबन्धक, चित्रकुट, जयपुर, राजस्थान।<br>2. सलिन्द्र, उप पुलिस अधीक्षक (सेवानिवृत), राजस्थान पुलिस। | 12.08.2022 | 80,000/– रूपये |
| 20. | 19 दिनांक 23.08.2022 धारा 384 भा०द०सं० व 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार। | उप निरीक्षक धर्मपाल, नं० 169/हिसार। | 19.08.2022 | 20,000/– रूपये |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21. | 32 दिनांक 03.09.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | मुख्य सिपाही प्रदीप कुमार, नं० 469/गुरूग्राम, डी०एल०एफ० फेस 2, गुरूग्राम। | 03.09.2022 | 2,000/– रूपये |
| 22. | 33 दिनांक 04.09.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | मुख्य सिपाही महेश कुमार, नं० 594/गुरूग्राम, थाना पटौदी रोड़, शिवाजी नगर, गुरूग्राम। | 04.09.2022 | 20,000/– रूपये |
| 23. | 30 दिनांक 16.09.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद। | मुख्य सिपाही अख्तर खान, नं० 117/पलवल, थाना रोजका, पलवल। | 16.09.2022 | 30,000/– रूपये |
| 24. | 25 दिनांक 27.09.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला। | सहायक उप निरीक्षक जय भगवान, थाना शहर, पेहवा। | 27.09.2022 | 6,000/– रूपये |
| 25. | 26 दिनांक 04.10.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला। | 1. सहायक उप निरीक्षक सुखबीर, थाना चीका, कैथल।<br>2. उप निरीक्षक धर्मपाल, थाना चीका, कैथल। | 04.10.2022 | 8,000/– रूपये |
| 26. | 38 दिनांक 30.10.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल। | सहायक उप निरीक्षक पूनम, थाना मॉडल टाउन, पानीपत। | 30.10.2022 | 20,000/– रूपये |
| 27. | 16 दिनांक 04.11.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला। | सहायक उप निरीक्षक विक्रम सिंह, थाना सैक्टर 5, पंचकूला। | 04.11.2022 | 17,000/– रूपये |
| 28. | 32 दिनांक 04.11.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला। | उप निरीक्षक बलराज, सुभाष मंडी, कुरूक्षेत्र में नियुक्त। | 04.11.2022 | 40,000/– रूपये |
| 29. | 17 दिनांक 17.11.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला। | सहायक उप निरीक्षक पूनम, महिला थाना, यमुनानगर। | 17.11.2022 | 10,000/– रूपये |
| 30. | 28 दिनांक 19.11.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट व 384 भा०द०स०, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार। | मुख्य सिपाही राजीव, सी०आई०–1 में नियुक्त। | 19.11.2022 | 3,00,000/– रूपये |
| 31. | 38 दिनांक 18.11.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद। | महिला/मुख्य सिपाही कल्पना, नं० 1095/फरीदाबाद, नई पुलिस लाईनस्, खेड़ीपुल, फरीदाबाद। | 18.11.2022 | 10,000/– रूपये |
| 32. | 40 दिनांक 06.12.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद। | मुख्य सिपाही विक्रम, नं० 1171/फरीदाबाद, थाना ओल्ड, फरीदाबाद। | 06.12.2022 | 20,000/– रूपये |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33. | 41 दिनांक 12.12.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद। | सहायक उप निरीक्षक महेन्द्र पाल, नं० 324/फरीदाबाद, पुलिस चौकी सैक्टर 3, फरीदाबाद। | 12.12.2022 | 4,000/— रूपये |
| 34. | 42 दिनांक 22.12.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद। | उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह, थाना बाबुगढ़ जिला हापुड़ (यूपी) | 22.12.2022 | 30,000/— रूपये |
| 35. | 19 दिनांक 16.12.2022, धारा 7 पी०सी० एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला। | मुख्य सिपाही अजय सिंह राणा, नं० 1156/यमुनानगर। | 16.12.2022 | 5,000/— रूपये |
| 36. | 35 दिनांक 31.12.2022 धारा 7 पी०सी० एक्ट व 384 भा०द०स०, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला। | सहायक उप निरीक्षक सरला देवी, थाना थानेसर, जिला कुरूक्षेत्र। | 31.12.2022 | 25,000/— रूपये |
| 37. | 04 दिनांक 11.01.2023 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | उप निरीक्षक भरत पाल, थाना पिनगवान, जिला नूंह। | 11.01.2023 | 30,000/— रूपये |
| 38. | 02 दिनांक 25.01.2023 धारा पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल। | 1. सहायक उप निरीक्षक राकेश कुमार, थाना कुंजपुरा, जिला करनाल।<br>2. सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र कुमार, थाना कुंजपुरा, जिला करनाल।<br>3. उप निरीक्षक/थाना प्रबन्धक कुलदीप सिंह, थाना कुंजपुरा, जिला करनाल। | 25.01.2023 | 80,000/— रूपये |
| 39. | 03 दिनांक 08.02.2023 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला। | सहायक उप निरीक्षक सुभाष चन्द्र, नं० 948/कैथल, थाना पुन्डरी, जिला कैथल। | 08.02.2023 | 10,000/— रूपये |
| 40. | 04 दिनांक 07.02.2023 धारा 120—बी भा०द०स० व 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल। | सहायक उप निरीक्षक सुनील, प्रवाचक उप पुलिस अधीक्षक, जिला पानीपत। | 07.02.2023 | 1,10,000/— रूपये |
| 41. | 05 दिनांक 22.02.2023 धारा 7, 13(1)(b), 13(2)पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल। | उप निरीक्षक नेकी राम, नं० 1257/जीन्द, थाना सदर, नरवाना, जिला जीन्द। | 22.02.2023 | 10,000/— रूपये |
| 42. | 06 दिनांक 02.03.2023 धारा 384 भा०द०स० व 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार। | सहायक उप निरीक्षक सोहन सिंह, नं० 130/फतेहाबाद, थाना जाखल, जिला फतेहाबाद। | 02.03.2023 | 4,000/— रूपये |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43. | 12 दिनांक 09.03.2023 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | सहायक उप निरीक्षक टिकम कुमार, थाना सैक्टर 9, गुरूग्राम। | 09.03.2023 | 8,000/— रूपये |
| 44. | 01 दिनांक 10.03.2023 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला। | उप निरीक्षक धर्मपाल, थाना सढौरा, जिला यमुनानगर। | 10.03.2023 | 50,000/— रूपये |
| 45. | 06 दिनांक 20.03.2023 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला। | समर्पित, इन्चार्ज, पुलिस चौकी, बलदेव नगर, अम्बाला। | 20.03.2023 | 10,000/— रूपये |
| 46. | 04 दिनांक 26.03.2023 धारा 7, 13(1)(b), 13(2) पी०सी० एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला। | सहायक उप निरीक्षक कंवल सिंह, नं० 383/यमुनानगर, इन्चार्ज पुलिस चौकी, खेड़ी लखा सिंह, जिला यमुनानगर। | 26.03.2023 | 8,000/— रूपये |
| 47. | 07 दिनांक 27.03.2023 धारा 384 भा०द०स० व 7 पी०सी० एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार | महिला/उप निरीक्षक मुन्नी, थाना बवानी खेड़ा, जिला भिवानी। | 27.03.2023 | 5,000/— रूपये |

निम्नलिखित जांच जो कि दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक दर्ज की गई इस प्रकार हैः—

| क्र0सं0 | जांच न0 व दिनांक | विरुद्ध |
|---|---|---|
| 1 | 03 दिनांक 22.09.2022, कुरूक्षेत्र | 1. निरीक्षक देवेन्द्र सिंह न0 11/एच.ए.पी.<br>2. उप निरीक्षक चाँद न0 155/ए<br>3. स0उप निरीक्षक दलबीर सिंह न0 5/398<br>4. मुख्य सिपाही जय भगवान सिंह न0 1075/कुरूक्षेत्र<br>5. सिपाही विरेन्द्र सिंह न0 1147/कुरूक्षेत्र<br>6. सिपाही सुमित कुमार न0 734/कुरूक्षेत्र |
| 2 | 03 दिनांक 10.10.2022, करनाल | सी0आई0ए0 स्टाफ के अधिकारी/कर्मचारी |
| 3 | 01 दिनांक 03.03.2023, रोहतक | निरीक्षक अनिल कुमार न. 4/ए |

निम्नलिखित अपराधिक केस जो कि दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक शिकायत/जांच के आधार पर दर्ज किए गए इस प्रकार हैं:—

| क्र0सं0 | मुकदमा क्रमांक दिनांक व जेरधारा | विरुद्ध |
|---|---|---|
| 1 | 30 दिनांक 23.08.2022, धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 आई.पी.सी. व 13(2), 13(1)ई पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | ई.एच.सी. ओम प्रकाश न. 1081/रेवाड़ी। |
| 2 | 38 दिनांक 30.09.2022 धारा 7 पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। | उप निरीक्षक रोहताश न. 228/गुरूग्राम थाना सदर, गुरूग्राम। |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 06 दिनांक 25.05.2022 धारा 7 पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला। | उप निरीक्षक जयपाल, जिला कैथल (सम्मन स्टाफ कार्यालय पुलिस अधीक्षक/कैथल)। |
| 4 | 08 दिनांक 07.06.2022 धारा 7 पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला। | महिला मुख्य सिपाही महिन्द्रो देवी न. 567/कैथल। |
| 5 | 17 दिनांक 05.08.2022 384, 389, 120बी आई.पी.सी. व 7, 7ए पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला। | 1. स.उप निरीक्षक, मुकेश कुमार, पुलिस चौकी किठाना, तहसील राजौंद, जिला कैथल।<br>2. ई.एच.सी. महेन्द्र सिंह एस.ए. राजौंद, जिला कैथल। |
| 6 | 31 दिनांक 20.10.2022 धारा 7 पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला। | मुख्य सिपाही नरेश कुमार थाना बराड़ा, जिला अम्बाला। |
| 7 | 05 दिनांक 01.03.2023 7 पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला। | उप निरीक्षक साहब सिंह, इन्चार्ज, पुलिस चौकी, शाहबाद। |
| 8 | 11 दिनांक 03.10.2022 धारा 7ए, 13(2), 13(1)बी पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला। | स.उप. निरीक्षक लाजवंती, सैक्टर–20 थाना पंचकूला। |
| 9 | 36 दिनांक 18.10.2022 धारा 7, 13(2), 13(1)बी पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल। | ई.उप निरीक्षक राजिन्द्र सिंह दांगी न0 299/जींद। |
| 10 | 18 दिनांक 09.06.2022 धारा 7, 7ए पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद। | स.उप निरीक्षक भूपेन्द्र, थाना दबुआ, फरीदाबाद। |
| 11 | 03 दिनांक 26.01.2023 धारा 7 पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक। | स. उप निरीक्षक मनोज कुमार सी.आई.ए.–2 बहादुरगढ़, जिला झज्जर। |
| 12 | 04 दिनांक 28.02.2023 धारा 7 पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक। | उप निरीक्षक सुरेन्द्र न. 464/आर.आर. पुलिस स्टेशन, कुंडली, जिला सोनीपत। |
| 13 | 18 दिनांक 05.08.2022 धारा 7, 7ए पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार। | सिपाही नवीन कुमार न. 491/भिवानी। |
| 14 | 20 दिनांक 29.08.2022 धारा 7 पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार। | स.उप निरीक्षक शंकर न0 1040/रोहतक। |